

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

अंक संख्या 16



भारतीय रिज़र्व बैंक
दिसंबर 2017

©भारतीय रिज़र्व बैंक

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

यह प्रकाशन इंटरनेट में <http://www.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

कृपया इसके संबंध में प्रतिक्रिया fsu@rbi.org.in को भेजें।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400001 द्वारा प्रकाशित तथा जयंत प्रिंटरी, 352/54, गिरगाँव रोड़, मुरलीधर कंपाउंड, ठाकुरद्वार पोस्ट ऑफिस के पार, मुंबई - 400002 द्वारा अभिकल्पित एवं मुद्रित।

आमुख

वर्ष की शुरुआत में आशा की जो झलक दिखाई दे रही थी वह अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में साफ तौर पर सुधार के रूप में धीरे-धीरे पुनः परिवर्तित हो रही है जो खपत, निवेश और भौगोलिक विस्तार के तीन स्तंभों के बल पर स्थिर दिखाई प्रतीत होती है। फिर भी, भू-राजनीतिक जोखिम से उत्पन्न पण्य वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता, अमेरिकी मौद्रिक नीति के सामान्य बने रहने की संभावना तथा व्यापार के लिए एक व्यापारिक दृष्टिकोण के आविर्भाव से उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल स्थिति की अनदेखी करना मुश्किल है। संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में जीडीपी की श्रमिक हिस्सेदारी में गिरावट, आईटी समर्थित वृद्धि से “डिजिटल हैव-नोट्स” पीढ़ी का आविर्भाव तथा कार्यशील आयु वाले श्रमिकों की संख्या में गिरावट तथा उसके चलते श्रमिकों को बदलने में आने वाली रुकावट, संभावित वृद्धि को धीमी करते हुए प्रतीत होते हैं।

घरेलू स्तर पर, विमुद्रीकरण के बाद देश में वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) कर के लागू होने से हुई शुरुआती परेशानी के बाद अर्थव्यवस्था पुनः मजबूत होती दिखाई दे रही है। यद्यपि, कॉरपोरेट क्षेत्र के अत्यधिक ऋणग्रस्त भाग की मदद में निरंतर कमी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अवरुद्ध क्रेडिट वृद्धि से विकास के लिए जोखिम बना हुआ है। सरकार द्वारा पुनःपूँजीकरण का निर्णायक कदम निजी निवेश को आगे बढ़ने में बहुत अधिक प्रोत्साहित कर सकता है। यदि हम अपनी वित्तीय प्रणाली, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र को, अच्छी स्थिति में बनाए रखते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रण में रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि समष्टि आर्थिक संतुलन की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखना चाहिए।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए आस्ति गुणवत्ता कारणों से उत्पन्न समग्र जोखिम निरंतर बने हुए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में जारी हासित आस्ति तथा उससे संबंधित जोखिमों से महत्वपूर्ण विनियामक गतिविधियां हुई हैं, जिनमें से कुछ इस रिपोर्ट में लिखित हैं। इसके अलावा, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का यह 16वां अंक वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत करता है तथा कुछ समष्टि विवेकपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है जो कि वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं।

एन.एस. विश्वनाथन

उप गवर्नर

21 दिसंबर 2017

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
आमुख	
चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची	i-iii
विहंगावलोकन	1
अध्याय I : समष्टि-वित्तीय जोखिम	3-16
वैश्विक पृष्ठभूमि	3
घरेलू अर्थव्यवस्था	9
अध्याय II : वित्तीय संस्थाएँ: सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता	17-41
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	17
कार्यनिष्पादन	17
जोखिम	23
आघात सहनीयता - दबाव परीक्षण	24
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	32
कार्यनिष्पादन	32
आघात सहनीयता - दबाव परीक्षण	32
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	33
कार्यनिष्पादन	33
आघात सहनीयता - दबाव परीक्षण	34
अंतरसंबद्धता	34
अध्याय III : वित्तीय क्षेत्र : विनियमन और विकास	42-67
अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विनियामकीय गतिविधियां	42
अन्य गतिविधियां, बाज़ार प्रथाएं और पर्यवेक्षी चिंताएं	59
अनुबंध 1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण	68
अनुबंध 2: कार्यप्रणालियां	72

बॉक्सों की सूची

1.1	जिन्स कीमतें और भू-राजनैतिक जोखिम	4
1.2	केंद्रीय बैंक कहता है.....	7
3.1	पूंजी संरचना-कर्ज और इक्विटी	43
3.2	समाधान हेतु विनियमन	45
3.3	पीएसबी में शासन प्रणाली- पूर्व समितियों के विचार	47

चार्ट की सूची

1.1	वैश्विक आर्थिक संवृद्धि	3
1.2	वैश्विक व्यापार में संवृद्धि (वर्ष दर वर्ष)	5
1.3	जीडीपी का वेतन हिस्सा	5
1.4	युरो क्षेत्र और चयनित युरो क्षेत्र देशों का चालू खाता शेष	6
1.5	एशिया में संविभाग निवेश	6
1.6	ब्लूमबर्ग वित्तीय स्थिति सूचकांक	7
1.7	यूएस उच्च प्रतिफल (एचवाई) बॉण्ड बाजार की गतिविधियां	8
1.8	जीडीपी में वृद्धि और इसके घटक	9
1.9	प्रमुख क्षेत्रों और प्रमुख उद्योगों में ऋण वृद्धि	9
1.10	जीडीपी में सकल स्थिर पूंजी निर्माण का हिस्सा	10
1.11	अवरुद्ध परियोजनाएं और नए निवेशों की घोषणा	10
1.12	कुल व्यय के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार का राजस्व और पूंजीगत व्यय	10
1.13	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कर्ज स्थिति	11
1.14	आयात और निर्यात वृद्धि, व्यापार घाटा और कच्चे तेल की कीमतें	11
1.15	एफपीआई निवेश के रुझान	12
1.16	चयनित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी और ऋण में एफपीआई प्रवाह	12
1.17	बही मूल्यन के प्रति संबंधित कीमत और आय आउटलुक	13
1.18	अनुगामी 12 पीई- समकक्षों की तुलना	13
1.19	कॉर्पोरेट बांड स्प्रेड में उतार-चढ़ाव	13
1.20	क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) स्प्रेड, एफपीआई ऋण सीमा का उपयोग, जी-सेक्टर प्रतिफल, अंतर्निहित अस्थिरता, ऑनशोर - ऑफशोर फारवर्ड प्रीमिया अंतर और निफ्टी 50 पर ओपेन इंटेस्ट पॉजिशन	15
1.21	अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक	16
2.1	ऋण एवं जमा वृद्धि वर्ष दर वर्ष आधार पर	17
2.2	पूंजी पर्याप्तता	18
2.3	परिसंपत्ति गुणवत्ता	18
2.4	परिसंपत्ति गुणवत्ता में बदलाव	19
2.5	मानक आस्ति पोर्टफोलियो में से स्लीपेज	19

	पृष्ठ सं.
2.6 प्रमुख क्षेत्रों में तनावग्रस्त अग्रिम	19
2.7 उद्योग प्रमुख उप क्षेत्रों का तनावग्रस्त अग्रिम अनुपात	20
2.8 एससीबी के ऋण पोर्टफोलियो में बड़े उधारकर्ताओं का भाग	20
2.9 बड़े उधारकर्ताओं के परिसंपत्ति गुणवत्ता में प्रतिशत बदलाव	20
2.10 बड़े उधारकर्ताओं का जीएनपीए और एसएमए-2 अनुपात	21
2.11 बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण की बकाया राशि का विवरण	21
2.12 बड़े उधारकर्ताओं को एससीबी द्वारा फंड आधारित ऋण - शीर्षस्थ 100 की हिस्सेदारी	21
2.13 परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता	22
2.14 प्रावधान अंतर एवं लाभप्रदता	23
2.15 लाभप्रदता	23
2.16 बैंकिंग स्थिरता संकेतक	24
2.17 बैंकिंग स्थिरता मानचित्र	24
2.18 समष्टि-आर्थिक परिदृश्य कल्पनाएं	24
2.19 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जीएनपीए का पूर्वानुमान	25
2.20 सीआरएआर का पूर्वानुमान	25
2.21 सीईटी 1 पूंजी अनुपात का पूर्वानुमान	26
2.22 ऋण जोखिम - आघात एवं प्रभाव	27
2.23 बैंकों का सीआरएआर वार वितरण	27
2.24 ऋण संकेंद्रण जोखिम- व्यक्तिगत उधारकर्ता- दवाबग्रस्त अग्रिम	28
2.25 ऋण संकेंद्रण जोखिम- व्यक्तिगत उधारकर्ता - एक्सपोजर	28
2.26 क्षेत्रगत ऋण जोखिम- मूलभूत संरचना-आघात और प्रभाव	29
2.27 इक्विटी कीमत जोखिम	30
2.28 तरलता जोखिम -आघात और प्रभाव	31
2.29 कुल डेरिवेटिव के एमटीएम - चुनिंदा बैंक	31
2.30 चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर आघात का प्रभाव-दवाब परीक्षण	32
2.31 एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता	33
2.32	34
2.33 अंतर-बैंक बाजार में विभिन्न बैंक समूहों की हिस्सेदारी	35
2.34 निधि आधारित अंतर-बैंक बाजार की संरचना	35
2.35 भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (एससीबी + एसयूसीबी)	36
2.36 बैंकिंग प्रणाली (एससीबी) की संबद्धता सांख्यिकी	36
2.37 वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट	37
2.38 संस्थाओं द्वारा दिए गए निवल ऋण (धनात्मक)/ लिए गए उधार (ऋणात्मक)	38
2.39 एनबीएफसी को एक्सपोजर	38
2.40 एचएफसी के प्रति एक्सपोजर	39

2.41	पेंशन निधियों का सकल एक्सपोजर (प्राप्य राशियां)	39
2.42	संक्रामकता प्लॉट - बैंक की विफलता का प्रभाव	39
2.43	समष्टि-आर्थिक आघातों के बाद संक्रामकता प्रभाव	41
3.1	वैश्विक बैंकिंग गतिविधि	42
3.2	ओटीसी व्युत्पन्नी और केंद्रीय समाशोधित सीडीएस	43
3.3	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बॉण्ड जुटाना	49
3.4	एनपीएस- अभिदाताओं का क्षेत्रवार वितरण	51
3.5	एनपीएस- एयूएम का क्षेत्रवार वितरण	51
3.6	एनपीएस- प्रति अभिदाता एयूएम	52
3.7	कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) की स्थिति	52
3.8	सीआईआरपी- आवेदक वार- मामलों की संख्या	53
3.9	म्युचुअल फंड्स	60
3.10	शीर्ष 500 शेयरों के लिए वर्गवार हिस्सेदारी	61
3.11	शीर्ष 500 शेयरों आदि शेयर सूचकांक के लिए वर्गवार हिस्सेदारी	61
3.12	कुल बिक्री के प्रतिशत में परिवर्तन -2016-17	61
3.13	समूहवार कुल कारोबार - कुल इक्विटी के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में	62
3.14	भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय पण्य सूचकांकों की गति	62
3.15	अखिल भारतीय पण्य फ्युचर कुल कारोबार में उत्पाद खंडवार हिस्सा	62
3.16	बीएसबीडीए खाते - बकाया राशि एवं संख्या	63
3.17	बीएसबीडीए खाते - ओडी सुविधा का लाभ लेना	63
3.18	कुल इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का मूल्य एवं उसकी मात्रा	63
3.19	प्रचलन में नोट बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का मूल्य	63

सारणियों की सूची

1.1	एमसीएलआर एवं कॉर्पोरेट प्रतिफल	14
2.1	ऋण संकेंद्रण जोखिम :समूह उधारकर्ता- एक्सपोजर	29
2.2	ब्याज दर जोखिम - बैंक समूह- आघात और प्रभाव	30
2.3	चयनित एसयूसीबी के वित्तीय स्थिति संकेतक	32
2.4	एनबीएफसी क्षेत्र का सकल तुलन पत्र : वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	33
2.5	एनबीएफसी क्षेत्र के चयनित अनुपात	33
2.6	अंतर-क्षेत्र आस्तियां और देयताएं	37
2.7	संक्रामकता का अधिकतम प्रभाव वाले सर्वोच्च पांच बैंक	40
3.1	भारत की प्रमुख ऋण साख एजेंसियों (सीआरए) द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों की रेटिंग	49
3.2	महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण एवं उपभोक्ता संरक्षण उपाय तथा उनसे संबंधित औचित्य	53

चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	सीपीबी	केंद्रीय योजना ब्यूरो (नीदरलैंड आर्थिक नीति विश्लेषण ब्यूरो)
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध	सीआरए	शाख निर्धारण एजेंसी
एआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता	सीआरए	केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि	सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
एआईएफआई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	सीआरआई	बड़े ऋणों के संबंध में सूचना का केंद्रीय भंडार
एएमसी-एमएफ	आस्ति प्रबंधन कंपनियों- म्यूचुअल फंड प्रबंधन	सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
एपीवाई	अटल पेंशन योजना	सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एयूएम	प्रबंधनाधीन आस्तियां	डीआईआई	घरेलू संस्थागत निवेशक
बीसीबीएस	बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति	ईसीबी	यूरोपीयन केंद्रीय बैंक
बीएसबीडीए	साधारण बचत बैंक जमा खाता	ईडीपीएमएस	निर्यात डाटा प्रोसेसिंग और निगरानी तंत्र
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता सूचकांक	ईएमई	उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	ईटीसीडी	विनिमय व्यापार मुद्रा डेरिवेटिव
सीसीडीएल	संयुक्त कॉरपोरेट ऋण सीमा	ईयू	यूरोपियन यूनियन
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	एफएटीसीए	विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम
सीसीएमपी	साइबर संकट प्रबंधन योजना	एफबी	विदेशी बैंक
सीडीआर	कॉरपोरेट ऋण पुनर्संरचना	एफडीएमसी	वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र
सीडीएस	क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप	एफआईएम	नियत आय मुद्रा बाज़ार तथा भारतीय डेरिवेटिव संघ
सीईआरटी-फिन	वित्तीय क्षेत्र में कंप्यूटर आपातकालीन सहायता दल	एमडीए	विदेशी पोर्टफोलियों निवेश
सीईआरटी-इन	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन सहायता दल	एफपीआई	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
सीईटी1	कॉमन इक्विटी टियर 1	एफएसएपी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
सीआईआरपी	कॉरपोरेट दिवाला संकल्प प्रक्रिया	एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
सीकेवाईसीआर	केंद्रीय केवाईसी अभिलेख लेखागार	जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
सीएमआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र		

जीएफसी	वैश्विक वित्तीय संकट	एलबी	बड़े उधारकर्ता
जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्ति अग्रिम	एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
जीओआई	भारत सरकार	एलईआई	विधिक संस्था निर्धारक
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर	एमसीएलआर	निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत
जीवीए	योजित मूल्य वृद्धि	एमएफ	म्यूचुअल फंड
एचएफसी	हाउसिंग फायनेंस कंपनी	एमआईआई	बाज़ार आधारभूत संरचना संस्थाएं
एचएफटी	व्यापार के लिए धारित	एमएल	मशीन लर्निंग
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित	एमएमएमएफ	मनी मार्केट म्यूचुअल फंड
एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां	एमटीएम	बाज़ार अंकित
आईएसी	अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समिति	नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक
आईएआईएस	अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संस्थान	एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
आईएसबी	अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड	एनबीएफसी-डी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - जमा स्वीकार करन वाली
आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड	एनबीएफसीएस-एनडी-एसआई	जमाराशिस्वीकारन करनेवाली - गैरबैंकिंगवित्तीयकंपनियां - प्रणालीगत महत्वपूर्ण
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता	एनसीएफई	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
आईसीटी	सूचना और कंप्यूटर तकनीकी	एनसीएलएटी	राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील अधिकरण
आईईए	अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी	एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण
आईएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक	एनसीएससी	राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कॉऑर्डिनेटर
आईआईबी	भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो	एनडीटीएल	निवलमांगऔरमीयादीदेयताएं
आईएलओ	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन	एनडीयू	गैर निस्तारण उपक्रम
आईओएससीओ	प्रतिभूति आयोग का अंतरराष्ट्रीय संगठन	एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
आईएसआईएन	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या	एनएनपीए	निवल अनर्जक अग्रिम
जेएलएफ	संयुक्त उधारदाता मंच	एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम
		एनएसडीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड

ओडी	ओवरड्राफ्ट	आरटीए	जारीकर्ता और शेयर अंतरण एजेंट संबंधी रजिस्ट्रार
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन	एस4ए	दबाव आस्तियों की संघारणीय संरचना के लिए योजना
ओटीसी	काउंटर पर	एसए	दबावग्रस्त अग्रिम
पीबीटी	कर पूर्व लाभ	एसएआरएफ	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
पीसी	प्रोविज़न कवरेज़	ईएसआई	और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हितका प्रवर्तन
पीसीआर	प्रोविज़न कवरेज़ अनुपात	एसबीएन	विशिष्ट बैंक नोट
पीएफ	पेंशन निधि	एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	एससीडबल्यूएफ	वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि
पीपीएसी	पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष	एसडीआर	कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक	एसआईसीए	रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
पीवीबी	निजी क्षेत्र के बैंक	एसआईपी	सुनियोजित निवेश योजना
आरबीएस	जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण	एसएलसीसी	राज्यी स्तरीय समन्वयन समिति
आरडीबी	रुपये मूल्यवर्ग बॉण्ड	एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
आरडीडीबी	बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिनियम के	एसएमए	विशिष्ट उल्लिखित खाते
एफआई	कारण ऋण की वसूली	एसपीवी	विशेष प्रयोजन माध्यम
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ	एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ	यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
आरपीपीआई	आवासीय संपत्ति मूल्य सूचकांक	वीएआर	वेक्टर ऑटोरिगेशन
आरएसए	पुनर्रचित मानक अग्रिम	डबल्यूटीओ	विश्व व्यापार संघ

विहंगावलोकन

समष्टि-वित्तीय जोखिम

वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाज़ार

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली है तथा वृद्धि की रफ्तार निरंतर बनी हुई प्रतीत हो रही है। फ़ेडरल रिज़र्व तथा बैंक ऑफ़ इंग्लैंड द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण हेतु किए गए प्रयासों के बावजूद उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिति उदार रही। पण्य वस्तुओं में वृद्धि हो रही है तथा बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों से पण्य वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता की संभावना है। उभरते बाज़ार के संदर्भ में देखें तो वैश्विक विकास में वृद्धि के चलते निर्यात छह वर्षों में अधिकतम तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफलों में गिरावट के बावजूद उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऋण प्रवाह मजबूत रहा है।

घरेलू अर्थव्यवस्था और बाज़ार

विमुद्रीकरण के पश्चात देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आने से हुई शुरुआती रुकावट के बाद वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में घरेलू वृद्धि में फिर से उछाल आया। कारपोरेट क्षेत्र के अत्यधिक ऋण वाले भागों की लीवरेजिंग में की जा रही कमी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कमजोर क्रेडिट वृद्धि से विकास को नीचे चले जाने का जोखिम है।

समग्र निवेश का माहौल चुनौतीपूर्ण है क्योंकि नए निवेश प्रस्तावों में गिरावट दिखाई दे रही है। सुधार के सकारात्मक संकेत जैसे 'वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में अवरुद्ध परियोजनाओं की संख्या और लागत में गिरावट', 'सरकारी खर्च की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास', 'ईज ऑफ़ डुइंग बिजनेस रैंकिंग', 'मूडीज़ द्वारा भारत की संप्रभु रेटिंग को बढ़ाने' तथा 'बैंक पुनःपूँजीकरण की घोषणा' से निवेश को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

विमुद्रीकरण के पश्चात चलनिधि की स्थिति में बढ़ोतरी से इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंडों, दोनों में,

अप्रत्याशित निधि प्रवाह हुआ है। पूंजी बाज़ार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह भी ऋण के लिए अधिक प्राथमिकता के साथ उच्च स्तर पर बना रहा।

वित्तीय संस्थाएं: सुदृढ़ता एवं लचीलापन

बैंकिंग स्थिरता सूचकांक (बीएसआई) दर्शाता है कि आस्ति गुणवत्ता में गिरावट बढ़ने से बैंकिंग क्षेत्र का जोखिम उच्च स्तर पर बना रहा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि मार्च तथा सितंबर 2017 के बीच सुधार को दर्शाती है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीसीबी) अपने निजी क्षेत्र के सहयोगी बैंकों से निरंतर पीछे रहे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) मार्च तथा सितंबर 2017 के बीच 0.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2016 से निरंतर नकारात्मक लाभप्रदता अनुपात जारी रखा।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) मार्च तथा सितंबर 2017 के बीच 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया। सितंबर 2017 में वर्ष दर वर्ष आधार पर जीएनपीए 18.5 प्रतिशत बढ़ गया। निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने जीएनपीए में सार्वजनिक क्षेत्र के अपने समकक्ष बैंकों के 17.0 प्रतिशत की तुलना में 40.8 की एक उच्च वृद्धि दर्ज की।

दबाव परीक्षण तथा नेटवर्क विश्लेषण

क्रेडिट जोखिम के लिए समष्टि दबाव परीक्षण यह दर्शाता है कि बेसलाइन समष्टि परिदृश्य के तहत जीएनपीए अनुपात मार्च 2018 में 10.8 प्रतिशत तथा आगे चलकर सितंबर 2018 में 11.1 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

नेटवर्क विश्लेषण से पता चलता है कि बैंकिंग प्रणाली में अंतरसंबद्धता का स्तर वर्ष 2012 से धीरे-धीरे कम हुआ है। संयुक्त ऋण शोधन क्षमता - चलनिधि कंटीजन विश्लेषण यह दर्शाता है कि बैंक की चूक से होने वाली क्षति में कमी हुई है।

वित्तीय क्षेत्र: विनियमन और विकास

एक ओर जहां वैश्विक बैंकों ने पूंजी तथा चलनिधि के संबंध में अपनी सहनीयता को समर्थ बनाया है, वहीं सीमा पार ऋण के संबंध में उनकी गतिविधि सामान्य रही है। घरेलू स्तर पर, समाधानों के संबंध में विनियमन अंततः दिवालियापन ढांचे के रूप में विकसित हुए, तथा हितधारकों को इष्टतम समाधान के लिए उन्हें उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बीच एक उत्तम संतुलन बनाना होगा। बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस बैंक पुनःपूजीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

म्यूचुअल फंड स्कीम (एमएफ) तथा पेंशन योजना के रूप में वित्तीय बचत न केवल निरंतर बढ़ रही है बल्कि स्थानिक वितरण तथा निवेशक प्रोफाईल के रूप में भी अधिक विस्तारित हो रही है। घरेलू बीमा क्षेत्र में लोगों तक पहुँच तथा मजबूती संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधि को देखी गई: पाँच बीमा कंपनियों को पहले ही स्टॉक

एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया है तथा दो ओर कंपनियां सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं। नई दिवाला एवं शोधन क्षमता व्यवस्था एक बाजार निर्धारित और समबद्ध तरिके से दिवालिया कंपनियों के लिए वित्तीय तथा परिचालन लेनदारों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति दिखा रही है।

प्रणालीगत जोखिम का मूल्यांकन

भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है। बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, दबाव सबसे ज्यादा था जो कम होता दिखाई दे रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में अक्टूबर 2017 में किए प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण से पता चलता है कि वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले जोखिमों में 'वैश्विक जोखिम' तथा समष्टि-आर्थिक तथा संस्थागत जोखिमों पर जोखिम आभास को 'मध्यम' श्रेणी के जोखिम में माना गया है।

अध्याय I समष्टि-वित्तीय जोखिम

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है और यह प्रतीत होता है कि संवृद्धि की गति बनी रहेगी। फेडरल रिज़र्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के प्रयासों के बावजूद, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिति समावेशी बनी हुई है। पण्य बाजार मजबूत हो रहा है और भूराजनैतिक जोखिमों के बढ़ने से पण्य कीमतों में अस्थिरता आ सकती है। उभरते बाजारों के संदर्भ में, वैश्विक संवृद्धि में तेजी आने से पिछले छह वर्षों में निर्यात सबसे तेजी से बढ़ा है।

घरेलू स्थिति की बात करें तो विमुद्रीकरण के पश्चात, संपूर्ण देश में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर प्रारंभिक अड़चनों के बाद 2017-18 की दूसरी तिमाही में सकल वर्धित मूल्य में फिर से उछाल आया। कॉर्पोरेट क्षेत्र के भारी कर्ज़ में दबे भागों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में ऋण वृद्धि में जारी डीलीवरेजिंग के कारण संवृद्धि में अल्प जोखिम विद्यमान है। समय निवेश स्थिति चुनौतिपूर्ण रही, हालांकि 2017-18 की पहली तिमाही से स्थिति में सुधार दिखाई दिया है। सुधार के सकारात्मक संकेत - '2017-18 की दूसरी तिमाही में अवरुद्ध परियोजनाओं की संख्या और लागत में गिरावट', 'सरकारी खर्च की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास', 'बिजनेस करने में आसानी रैंकिंग', 'मूडीज़ द्वारा भारत की राष्ट्रिक रेटिंग में उन्नयन' और 'बैंकों के पुनर्पूजीकरण की घोषणा' आदि परिणामस्वरूप आने वाली तिमाहियों में निवेश रुझानों में काफी प्रोत्साहन दिखाई देने की आशा है।


वैश्विक पृष्ठभूमि

अर्थव्यवस्था और व्यापार

1.1 वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अनुसार (अक्टूबर 2017 की स्थिति), निवेश, व्यापार और औद्योगिक उत्पादन में तेजी आने के पश्चात वैश्विक उत्पादन वर्ष 2017 में 3.6 प्रतिशत और 2018 में 3.7 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है (चार्ट 1.1)। 2017 की पहली छमाही में ऊर्जा कीमतों में कमी के कारण पारिवारिक मांग में बढ़ोत्तरी हुई, किंतु वैश्विक ऊर्जा कीमतें दो वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंचने से पारिवारिक क्रय क्षमता पर काफी विपरीत प्रभाव का जोखिम मौजूद है। फिर भी, व्यापक आधार पर वृद्धि की संभावनाओं और बेहतर वैश्विक मूलभूत तत्व विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि जोखिमों के लिए महत्वपूर्ण बफ़र उपलब्ध कराने हैं। इसके विपरीत, बढ़े हुए भू-राजनैतिक जोखिम और यूएस में कर सुधार की रूपरेखा में अभी तक विद्यमान अस्पष्टता के कारण उच्च बाजार मूल्यन पर विपरीत असर पड़ सकता है तथा संवृद्धि की गति कम हो सकती है।

1.2 यदि विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) की बात की जाए तो निजी उपभोग खर्च में वृद्धि, अनिवासी निर्धारित

चार्ट 1.1 : वैश्विक आर्थिक संवृद्धि



स्रोत : वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ

नोट: *: पूर्वानुमान

निवेश और फेडरल सरकार के व्यय के कारण यूएस का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में 3.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। यूएस की निम्न उत्पादन संवृद्धि और अल्प गति से जनता के प्रौढ़ होने के बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था का निष्पादन संतोषजनक है। यूरो क्षेत्र ने भी 2.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 2017 की तीसरी तिमाही में विस्तार की गति बरकरार रखी है जो इस दशक का सर्वोत्तम प्रदर्शन है। जर्मनी ने 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, वहीं इटली की वृद्धि तेज होते हुए 1.7 प्रतिशत रही जो 2010 के बाद सबसे अधिक है। अल्प घरेलू मांग के बावजूद मजबूत निर्यात वृद्धि के चलते 2017 की तीसरी तिमाही में जापान ने अपेक्षा से


अधिक 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कुल मिलाकर संवृद्धि के भौगोलिक प्रसार की गति स्पष्ट दिखाई देती है जो औसत से अधिक वैश्विक संवृद्धि दर को आधार प्रदान करती है।

1.3 विकासशील बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, वैश्विक आर्थिक वृद्धि में उछाल आने से, छह वर्षों में निर्यात अपनी तीव्रतम गति से बढ़ रहा है। निर्यात इकाई कीमतों में वृद्धि होने के कारण यह प्रतीत होता है कि 2011 के बाद से वर्ष 2017 विकासशील बाजारके निर्यातकों के लिए सबसे सकारात्मक वर्ष साबित होगा जिसका एक कारण यह है कि कमोडिटी मूल्यों में पिछले वर्ष के न्यूनतम स्तर से लगातार सुधार हो रहा है (बॉक्स 1.1)। विश्व व्यापार संगठन

बॉक्स 1.1: जिन्स कीमतें और भू-राजनैतिक जोखिम

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की हाल की मासिक तेल रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2017 में ओपेक संदर्भ बास्केट¹ ढाई वर्षों में सर्वोच्च मूल्य तक पहुंच गया। 2015 के मध्य से कूड़ वायदा भी इतना उच्चतम पर पहुंच गया। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन ने मौजूदा मूल्य रुख के चलते शेल तेल उत्पादन में सुधार की उम्मीद जताई और दिसंबर 2017 तक इसका उत्पादन 6.17 मिलियन बैरल प्रतिदिन (एमबीपीडी) तक के रिकॉर्ड तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी(आईईए) के अनुसार 2018 में गैर-ओपेक आपूर्ति 1.4 एमबीपीडी बढ़ेगी। तथापि, वैश्विक तेल बाजार में मांग-आपूर्ति संतुलन एक चर्चा का विषय है। ओपेक रिपोर्ट के अनुसार, ओपेक उत्पादन को स्थिर मानने पर 2018 में वैश्विक तेल बाजार में लगभग 0.80 एमबीपीडी की गिरावट दिखा सकता है। आईईए का यह मानना है कि 2018 में वैश्विक स्तर पर तेल मांग में 1.3 एमबीपीडी की वृद्धि होगी जो गैर-ओपेक आपूर्तिक के कारण हुई वृद्धि को मिलाने के बाद भी अधिक रहेगी। आईईए ने यह भी स्पष्ट किया कि 2017 की चौथी तिमाही में तेल बाजार संतुलित रहेगा तथा 2018 की पहली छमाही में तेल दरों में उछाल आने का अनुमान आ सकता है।

पर्यावरणीय विनियमों के कारण चीन की आपूर्ति घटने से हाल की अवधि में मूल धातुओं में भी तेजी का दौर जारी रहा (चार्ट 1)। इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि जिन्स



बाजार मूल्य निर्धारण पूरी तरह मांग-आपूर्ति संतुलन पर आधारित है। यह ध्यान में रखते हुए कि कुछ महत्वपूर्ण कमोडिटी दुनिया के कुछ सबसे अस्थिर क्षेत्रों आती हैं, भू-राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव से जिन्स की कीमतें अत्यधिक तीव्र, असमान और सतत रूप से प्रभावित हो सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भू-राजनैतिक जोखिमों के कारण वर्तमान 'उच्च मूल्यांकन, न्यून अस्थिरता' में उतार-चढ़ाव को कैबेलर और सिमसेक (2017) में भलीभांति प्रस्तुत किया गया है। लेखकों ने यह बताया है कि संपत्ति बाजार में वर्तमान संतुलन उच्च मूल्यांकन, कम ब्याज दर और उच्च इक्विटी जोखिम प्रीमियम के साथ हो रहा है लेकिन यह वास्तविक अस्थिरता के रिकॉर्ड न्यून स्तर के माहौल

(जारी....)

¹ ओपीईसी देशों द्वारा उत्पादित पेट्रोलियम मिश्रण के लिए भारत औसत कीमत।

में भी घटित हो रहा है। ऐसे संतुलन में आस्ति मूल्यांकन के लिए उच्च शार्प अनुपात² की आवश्यकता है जो वर्तमान में प्रचलित है। आस्ति मूल्य अस्थिरता में लगातार तीव्रता बने रहने से वैश्विक प्रभावित होती है। वे मानते हैं कि बाजार में तकनीकी सुधार, मंदी अथवा भू-राजनैतिक घटना से अस्थिरता पैदा हो सकती है और वर्तमान स्थिति में उन्होंने पहले दो को निरस्त कर दिया है। इस प्रकार, अवशिष्ट..... महत्वपूर्ण भूराजनैतिक घटना, जो अस्थिरता स्पाइक में उतार-चढ़ाव का सर्वाधिक कारण होने की संभावना है। परिणामतः, आस्ति और जिन्स बाजारों में एक साथ तीव्र गतिविधि के कारण स्व-समर्थित फीडबैक हो सकते हैं जो विशेषकर विकासशील बाजारों के लिए संवेदनशील है।


संदर्भ:

1. कैबेलर, रिकार्डो और अल्प सिमसेक (2017), 'रिस्क इंटोलरेंस एंड द ग्लोबल इकॉनोमी : एक नया मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क', यहां उपलब्ध है: <http://voxeu.org/article/risk-intolerance-and-global-economy>
2. ओपेक (2017), ओपेक मासिक तेल बाजार रिपोर्ट, 13 नवंबर: <http://www.opec.org/> पर उपलब्ध http://www.opec.org/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC%20MOMR%20November%202017.pdf
3. आईईए (2017), आईईए मासिक तेल बाजार रिपोर्ट, नवंबर, जो यहाँ पर उपलब्ध है: www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic

(डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, सभी क्षेत्रों में व्यापार वृद्धि पिछले कई वर्षों की तुलना में अधिक संतुलित रूप से हो रही है। (चार्ट 1.2)


1.4 संरचनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में, देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संवृद्धि दुनिया को संभवतः बहुत अधिक असमान बना रही है, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की सभी राजनैतिक अर्थव्यवस्थाओं में चुनौतीपूर्ण माहौल बना हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी में निहित सीमा से बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण प्रौद्योगिकी संबंधी बड़ी संस्थाएं उत्तरोत्तर अधिक प्रभावशाली बनी हैं। मूर्त धन से अमूर्त धन में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। इस संदर्भ में, आई की जीडीपी में वेतन का हिस्सा कम होने से उनकी राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं (चार्ट 1.3)। जहां तक उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने पाया कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका में काफी गिरावट सहित इनमें से कई देशों में श्रम आय की गिरावट विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। लैटिन अमेरिका में वेतन का भाग अधिक स्थिर है लेकिन इसमें गिरावट³ जारी है। इस निरंतर नीतिगत तवज्जो की जरूरत है।

चार्ट 1.2 : वैश्विक व्यापार में संवृद्धि (वर्ष दर वर्ष)



स्रोत : आर्थिक नीति विश्लेषण हेतु सीपीबी नीदरलैंड ब्यूरो

चार्ट 1.3 : जीडीपी का वेतन हिस्सा




स्रोत : युरोपियन कमिशन

² कुल जोखिम अथवा अस्थिरता की प्रति इकाई जोखिम रहित दर की अधिकता में अर्जित औसत प्रतिफल ही शार्प अनुपात है।

³ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ) (2011) 'वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट' : मेकिंग मार्केट्स वर्क फोर जॉब, जेनेवा, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_166021.pdf पर उपलब्ध।

चार्ट 1.4 : यूरो क्षेत्र और चयनित यूरो क्षेत्र देशों का चालू खाता शेष



स्रोत : आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)


पूंजी प्रवाह और दर बाजार

1.5 यद्यपि समग्र यूरो क्षेत्र में 'सभी क्षेत्रों में' उल्लेखनीय सुधार हुआ है, 'वैश्विक बचत की प्रचुरता' और वैश्विक बचत असंतुलन पर यूरो क्षेत्र की संवृद्धि का प्रभाव (चार्ट 1.4) उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे बचत भंडार को अवशोषित करने हेतु शेष विश्व अर्थव्यवस्थाओं को लंबे समय तक चालू खाता घाटे को परिचालित करना होगा। विश्व की शेष प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, बढ़ाते जापान में विशाल और बढ़ता हुआ चालू खाता अधिशेष है; ब्रेकिजट संबंधी परिवर्तन मुद्दों से यूके में घरेलू मांग प्रभावित होती रही है और जबकि अमेरिकी घरेलू मांग और परिणामतः चालू खाता

घाटा काफी बड़ा है, इतना अधिक घाटा, द्विपक्षीय व्यापार सौदों के अधीन है।


1.6 एशिया की पाँच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में (चीन को छोड़कर) संकुचित अपरिपक्व माहौल के बाद से पूंजी प्रवाह, विशिष्ट देश के प्रभाव कारक को दर्शाता है (चार्ट 1.5)। आगे, यह आशा है कि अनिवासी निवेशक मूलभूत तत्वों, संरचनात्मक सुधार और राजनैतिक परिदृश्य के आधार पर देशों का चयन करते रहेंगे। भारत में, योजनाबद्ध पुनर्पूंजीकरण पैकेज के चलते बैंक-संबंधित विपरीत स्थितियाँ कम होने की संभावना है और जिससे पूंजी प्रवाह में मजबूती आ सकती है।

चार्ट 1.5: एशिया में संविभाग निवेश (संचित, तिमाही आंकड़े)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.6: ब्लूमबर्ग वित्तीय स्थिति सूचकांक



स्रोत: ब्लूमबर्ग

1.7 एई में अभी तक वित्तीय स्थितियां ठीक बनी रही (चार्ट 1.6)। किंतु वे यूके और अमेरिका में अपेक्षाकृत संकुचित हो सकती हैं। आगे ईसीबी नीति का रुख अनुकूल जारी रह सकता है। हालांकि एशिया में वित्तीय स्थिति अनुकूल बनी हुई है, जिन्स की बढ़ती कीमतों के कारण यह

बदल सकती है। चूंकि एई में केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक नीति रुख में काफी भिन्नता है, नीति पथ की बाजार अनुकूलन अपेक्षाओं का तंत्र संप्रेषण के संबंध में चुनौतिपूर्ण बना हुआ है (बॉक्स 1.2)।

बॉक्स 1.2: केंद्रीय बैंक कहता है.....

पिछले कुछ दशकों में, केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय बाजार और आम जनता से संप्रेषण के तरीके में बहुत परिवर्तन किया है। मौजूदा विकास से वायदा मार्गदर्शन तक की नीतिगत दरों की सूचना देने में अस्पष्टता से शुरुआत करके केंद्रीय बैंक के संप्रेषण में उल्लेखनीय रूपांतरण हुआ है जब वर्तमान में शोधकर्ता केंद्रीय बैंकों के चेहरे के हाव-भाव (अशाब्दिक संप्रेषण) से उनका दिमाग पढ़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता ले रहे हैं। लेकिन क्या यह परिवर्तन सही कार्य की अति है? वायदा मार्गदर्शन के संदर्भ में, हुन शिन (2013) ने 'श्रेणीगत भूल' के विषय में चेतना है। शिन का तर्क है कि केंद्रीय बैंकों के वादा मार्गदर्शन से संबंधित ज्यादातर चर्चाओं में, बाजार को प्रतिनिधि एजेंट के समान समझा जाता है जिसके साथ केंद्रीय बैंक बैठकर कारणों की समीक्षा कर सकते हैं अर्थात् केंद्रीय बैंक बाजार एजेंटों की विविधता पर ध्यान नहीं देते हैं। स्टीन (2014) ने टेपर टेन्त्रम (उतार आवेश) के इस पहलू को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि उचित औसत उम्मीदों वाले बाजार में भी सबसे आशावादी निवेशकों का व्यवहार कीमतों का निर्धारण करता है न कि औसत निवेशकों का, क्योंकि वे अपने विश्वास के आधार पर बड़े निर्णय लेने के इच्छुक होते हैं। इसके अलावा, यह आशावाद उन्हें अपनी स्थिति विशेष रूप से लाभ

उठाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी परिस्थितियों में केंद्रीय बैंकों के संचार जो केवल 'चीजों को स्पष्ट करता है - अर्थात्, वह मध्यम बाजार की उम्मीदें वर्णित करता है लेकिन अधिक उन चरम आशावादियों को अपनी पोजीशन घटानी पड़ती है जिससे अन्य निवेशकों द्वारा, कम मूल्यांकन पर, अवशोषित कर लेना चाहिए। यदि असामान्य रूप से कम अस्थिरता वाली पूर्व घोषित अवधि बनी रहती है तो इस प्रभाव के बढ़ने की संभावना है..

इसके अलावा, भविष्य की नीतिगत दरों के निर्धारण संबंधी पारदर्शिता को दीर्घ दरों की गणना हेतु एक उपकरण के रूप में माना जा रहा है। सुसंगतता के लिए ऐसी गणनाएं महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी हो सकती हैं। लेकिन इस तरह की कार्रवाई करने में शिन का मानना है कि केंद्रीय बैंकों को श्रेणीगत भूल होने का खतरा है जिसमें हम बाजार को मानवीय रूप में विश्वास से परिपूर्ण एक विवेकी व्यक्ति के रूप में मानते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संप्रेषण दुरतरफा (बोलना और सुनना) होता है। अलग-थलग निरीक्षण करने की तुलना में बोलने और सुनने के बीच संतुलन तलाशना अधिक सार्थक है। शिन यह मानते हैं कि बोलने और सुनने में संतुलन होना चाहिए। किसी एक के कम होने से दूसरा अधिक हो जाता है

(जारी....)

यानी, यदि केंद्रीय बैंक अधिक बोलते हैं तो उनको कम सुनना चाहिए, अन्यथा उन्हें जोखिम यह है कि वे अपनी स्वयं द्वारा स्थापित प्रतिध्वनि कक्ष में सीमित हो जाएंगे जहां वे बाजार सूचकों पर कार्यवाही करेंगे, जो उनकी स्वयं की घोषणाओं की प्रतिध्वनि होगी। हालांकि, सामान्य जनता के जीवन में केंद्रीय बैंक का महत्व अत्यधिक है इसलिए वे संप्रेषण चैनल से पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकते: बल्कि बाजार को उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए केंद्रीय बैंक जितना प्रेषण संकेत देते हैं, बाजार भागीदार बेहतर सुनने के लिए उतना अधिक प्रयास करते हैं (स्टीन, 2014)।

फेड अध्यक्ष जेनेट येलेन ने यद्यपि सूचना जरूरतों पर अलग से एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य सामने रखा है। उनके अनुसार यद्यपि नीति पथ के विषय में जानकारी हेतु बाजार सहभागियों की मांग केंद्रीय बैंक द्वारा जानकारी देने की इच्छा से सामान्यतः अधिक रहती है, मुद्रास्फीति उद्देश्यों से संबंधित केंद्रीय बैंक की वचनबद्धता संबंधी आवधिक सुदृढीकरण से आम जनता संतुष्ट होती है।

फिर भी, शिन मानते हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा सुना जाना अल्प मान्य गुण रहा है।

संदर्भ:

1. शिन, ह्यून सांग (2013), 'कॉमेंट्री ऑन रॉबर्ट ई. हॉल 'द रूट्स इनटू एंड आउट ऑफ़ द जीरो लोअर

बाउंड, "ग्लोबल डाइमेंशन ऑफ़ अनकन्वेंशनल मोनेटरी पॉलिसी" द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ़ कान्सास सिटी, जैक्सन होल, वायो।, 22-24 अगस्त, 2013 पीपी 8- 9 में दिया भाषण।

2. शिन, ह्यून सांग (2017), 'कैन सेंट्रल बैंक टाल्क टू मच?' "नीति प्रभावशीलता, जवाबदेही और प्रतिष्ठा के लिए संप्रेषण चुनौतियां" पर ईसीबी सम्मेलन में भाषण, फ्रैंकफर्ट, 14 नवंबर।

3. स्टीन, जेरेमी सी (2014), 'मौद्रिक नीति संप्रेषण के लिए चुनौतियां', न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क के मनी मार्किटीअर में भाषण, 6 मई

4. येलेन, जेनेट (2017), 'एट द हार्ट ऑफ़ पालिसी: चेलेंजेज़ एंड अपोर्चुनिटी ऑफ़ सेंट्रल बैंक कम्युनिकेशन' - सेंट्रल बैंक कम्युनिकेशन पर ईसीबी सम्मेलन में नीतिगत पैनल, फ्रैंकफर्ट, 14 नवंबर

1.8 इस बीच, हाल ही में अमेरिकी ब्याज दरों में सख्ती और जिंस कीमतों में हलचल के कारण यूएस दीर्घावधि दरों में क्रमिक रूप से ऊर्ध्व परिवर्तन हुआ है। हालांकि, उच्च प्रतिफल बॉण्ड में आय कम है (अवधि में क्रमिक कटौति के बावजूद), जोखिम वहन प्रवृत्ति की वापसी से संबंधी कोई प्रत्यक्ष रुख दिखाई नहीं देता (चार्ट 1.7)।

चार्ट 1.7: यूएस उच्च प्रतिफल (एचवाई) बॉण्ड बाजार की गतिविधियां



स्रोत: जेपी मोर्गन

घरेलू अर्थव्यवस्था

घरेलू समष्टि वित्तीय गतिविधियां


1.9 विमुद्रीकरण के बाद संपूर्ण देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने से जुड़ी हुई शुरुआती अस्थिरता के बाद भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में संवृद्धि 2017-18 की पहली तिमाही में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 की दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत पहुंच गई (चार्ट 1.8 क)। योजित सकल मूल्य (जीवीए) जो पिछली तिमाही में 5.6 प्रतिशत था, बढ़क की दूसरी तिमाही में 6.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट 1.8 ख)।

1.10 कॉर्पोरेट क्षेत्र के भारी कर्ज में दबे भागों में जारी डीलीवरेजिंग और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में धीमी

ऋण वृद्धि के कारण संवृद्धि संबंधी जोखिम बना हुआ है। ऋण की कमी का एक कारण पीएसबी में अल्प पूंजी बफर भी हो सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश कम हो रहा है। पिछले दो वर्षों में उद्योगों के साथ-साथ मुख्य क्षेत्रों की ऋण वृद्धि में कमी⁴ आई है (चार्ट 1.9)। अन्य क्षेत्रों में मंद ऋण वृद्धि वातावरण रहने पर भी निजी ऋण की चमक बरकरार रही। यह उम्मीद की जाती है कि हाल ही में उठाया गया पीएसबी के लिए पुनर्पूजीकरण का कदम, ऋण वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन साबित होगा।


1.11 सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) के रूप में परिकलित निवेश मांग उदासीन बनी रही। जीडीपी में इसका हिस्सा वर्ष 2011-12 में 34.3 प्रतिशत की तुलना में घटकर

चार्ट 1.8: जीडीपी में वृद्धि और इसके घटक



स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय


चार्ट 1.9: प्रमुख क्षेत्रों और प्रमुख उद्योगों में ऋण वृद्धि



स्रोत: आरबीआई

⁴ न्यून मुद्रास्फीति रहने की स्थिति में तेल के दाम कम होने से तेल कंपनियों द्वारा प्रयुक्त ऋण सीमा में कमी और सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों (डिसकोम) के ऋणों का बॉण्ड में रूपांतरण के कारण ऋण और अग्रिमों में कमी आई है।

चार्ट 1.10: जीडीपी में सकल स्थिर पूंजी निर्माण का हिस्सा




स्रोत : सीएसओ

2016-17 में 29.5 प्रतिशत रह गया (चार्ट 1.10)। 2017-18 की पहली तिमाही के दौरान निवेश में अल्प सुधार दिखाई दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) के अनुसार, 2017-18 की दूसरी तिमाही में नए निवेश प्रस्तावों की संख्या और मूल्य दोनों में काफी गिरावट आई (चार्ट 1.11 ए)। तथापि, 2017-18 की दूसरी तिमाही में रुकी हुई परियोजनाओं की संख्या और लागत में गिरावट दिखाई दी (चार्ट 1.11 बी)।


1.12 हाल के वर्षों में सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार के चिह्न दिखाई दिए हैं (चार्ट 1.12)। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू⁵) ने अपने निवेश में

चार्ट: 1.11 अवरुद्ध परियोजनाएं और नए निवेशों की घोषणा



स्रोत: सीएमआईई केपएक्स डाटाबेस


चार्ट: 1.12: कुल व्यय के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार का राजस्व और पूंजीगत व्यय



स्रोत : आरबीआई

⁵ कुल 26 बड़ी केंद्रीय पीएसयू को शामिल किया गया। क्षेत्रवार वितरण इस प्रकार है- तेल (8) खनन(4) ऊर्जा(4) और विनिर्माण(10)

चार्ट 1.13: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कर्ज स्थिति



स्रोत : कैपिटलाइन

वृद्धि की है किंतु इसके चलते उनका लीवरेज बढ़ा है (चार्ट 1.13)। बैंकिंग क्षेत्र के लिए पुनर्पूजीकरण योजना से आगे निवेश में वृद्धि होने की संभावना है।


बाह्य क्षेत्र

1.13 वैश्विक व्यापार में सुधार होने के फलस्वरूप भारतीय माल निर्यात में वृद्धि फिर जोर पकड़ रही है। लगातार सात तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के बाद, 2016-17 की तीसरी तिमाही से निर्यात में वृद्धि हो रही है (चार्ट 1.14 क)। व्यापारिक माल के आयात में वृद्धि, जो हाल के समय में निर्यात वृद्धि से अधिक रही है (चार्ट 1.14 ख), नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आयात के बराबर रही। हालांकि पिछली तिमाही में व्यापार घाटा 2017-18 की दूसरी तिमाही में अपने स्तर की तुलना में कम हुआ, तेल की कीमतों में उछाल आने से निर्यात की तुलना में आयात में सतत उच्च वृद्धि दर्ज हुई जिसके कारण बाह्य क्षेत्र के आघातसहनीयता में काफी कमी हुई है।

वित्तीय बाजार

1.14 विमुद्रीकरण के चलते वित्तीय बाजारों में चलनिधि की अधिक वृद्धि से इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड दोनों को

चार्ट 1.14: आयात और निर्यात वृद्धि, व्यापार घाटा और कच्चे तेल की कीमतें




स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय (डीजीसीआई और एस), वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण कक्ष (पीपीएस)

अभूतपूर्व निधि प्राप्त हुई (चार्ट 1.15 क)। पूंजी बाजार में विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई⁶) भी कर्ज बाजार के लिए प्राथमिकता के साथ उच्चता स्तर पर बना रहा (चार्ट 1.15 बी)। जनवरी से अक्टूबर 2017 के दौरान ब्रिक्स देशों (चीन को छोड़कर) में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा एफपीआई इक्विटी प्रवाह भारत को मिला (चार्ट 1.16 क)। भारत को ऋण खंड में सर्वाधिक एफपीआई प्रवाह प्राप्त हुआ (चार्ट 1.16 क)।


1.15 पूंजी बाजार में, एमएससीआई एशिया पैसिफिक सूचकांक की तुलना में सेंसेक्स के प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) अनुमान में लगभग 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई, वहीं एमएससीआई एशिया पैसिफिक ने लगभग 4 प्रतिशत का

चार्ट: 1.15 एफपीआई निवेश के रुझान



स्रोत: सेबी
नोट: *: 28 नवंबर तक


चार्ट: 1.16: चयनित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी और ऋण में एफपीआई प्रवाह



नोट: \$: 31 अक्टूबर तक, ब्राजील: 30 सितंबर 2017 तक का ऋण प्रवाह, रूस: 30 जून 2017 तक का ऋण व इक्विटी प्रवाह
स्रोत: सेबी

⁶ उपर्युक्त विश्लेषण में एफपीआई प्रवाह शामिल नहीं है क्योंकि एफपीआई की तरह उनकी आकस्मिक वापसी सुगम नहीं है।

चार्ट: 1.17: बही मूल्यन के प्रति संबंधित कीमत और आय आउटलुक




स्रोत: ब्लूमबर्ग और जेपी मॉर्गन अनुमान

उन्नयन दिखाया (चार्ट 1.17 ए)। एशिया पैसिफिक⁷ कंपनियों की क्षेत्रवार वायदा प्रतिफलों का अनुमान (2017-18) जैसे प्रमुख घरेलू-केंद्रित क्षेत्रों में भारतीय कॉरपोरेटों ने बेहतर कार्यनिष्पादन किया है (चार्ट 1.17 ख)। पीई आधारित मापनों के अनुगमन में भारतीय मूल्यन अपने एशियाई समकक्षों में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

1.16 क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के तरल टी-बिल बेंचमार्क⁸ के ऊपर प्रतिनिधि मनी मार्केट फंड से करीब 250 बीपीएस (वार्षिक) की अतिरिक्त मासिक रिटर्न और म्यूचुअल फंड्स (एमएफ) राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि को देखते हुए लगता है कि कुछ जोखिम बैंकों से हटकर म्यूचुअल फंडों में आ गया। विभिन्न स्तरों पर, शीर्ष 5 फंड हाउसों ने तरल और मनी मार्केट म्यूचुअल फंडों (एमएमएमएफ) की सकल राशि में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान दिया।


1.17 बढ़ती हुई एमएफ राशि और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में परिणामी निवेश का एक और पहलू यह है कि उच्चतर रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड स्प्रेड⁹ में एक क्रमिक संकुचन आया है (चार्ट 1.19)। बीबीबी कॉरपोरेट स्प्रेड में अप्रत्याशित

चार्ट 1.18 : अनुगामी 12 पीई-समकक्षों की तुलना



स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.19 : कॉरपोरेट बांड स्प्रेड में उतार-चढ़ाव



स्रोत : सेबी; एफआईएमएमडीए

⁷ यदि मूल एमएससीआई एशिया पैसिफिक / एसएंडपी संसेक्स ईपीएस का अनुमान 100 पर इंडेक्स किया गया था, तो नवंबर 2017 तक एमएससीआई एशिया पैसिफिक का ईपीएस अनुमान लगभग 104 और एस एंड पी संसेक्स की अंक करीब करीब 89 है।

⁸ लगभग 0.30 वर्षों की अवधि।

⁹ उदाहरण के लिए एफआईएमएमडीए मूल्यांकन स्प्रेड का उपयोग किया गया है।

वृद्धि विमुद्रीकरण के कारण कम रेटिंग वाले कॉर्पोरेट में तरलता की कमी और इस तरह के रेटिंग ग्रेड के लिए स्प्रेड निर्धारण पद्धति में परिणामस्वरूप संशोधन के कारण हो सकती है।

1.18 जोखिम मुक्त दर (टी-बिल प्रतिफल) और बैंक आधारभूत ऋण दर (एमसीएलआर¹⁰) के बीच एक बड़े अंतर से यह संभावना बढ़ जाती है कि गुणवत्ता वाले कंपनियों के मामले में कॉर्पोरेट बॉन्ड द्वारा बैंक वित्तपोषण की मध्यस्थता कम हो जाए; कॉर्पोरेट जगत के लिए बैंक वित्त की मांग करने के बजाय एमएफ की ओर उन्मुख होना लाभप्रद हो सकता है (सारणी -1.1)। सारणी से यह ज्ञात होता है कि हाल ही में एफआईएमएमडीए मूल्यांकन (अगस्त 2017)¹¹ के आधार पर बैंक वित्तपोषण का दर्जा स्पर्धा में ग्रेड 'एए' के नीचे है। इस तरह मध्यस्थता में कमी सभी अवधियों के लिए समान रूप से दिखाई देती हैं जिसे सारणी 1.1¹² से भी देखा जा सकता है। क्रेडिट पोर्टफोलियो की

गुणवत्ता में क्षय को रोकने के लिए, कुछ सुदृढ़ पूंजीवाले बैंकों ने कथित तौर पर एमसीएलआर से जुड़ी कीमतों के बजाय जोखिम-मुक्त बेंचमार्क आधारित मूल्य निर्धारण का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

1.19 विमुद्रीकरण के बाद वित्तीय बाजारों में घरेलू तरलता बढ़ने और विदेशी मुद्रा विनिमय परिचालन के परिणामस्वरूप प्रचुर मात्रा में नकदी प्रवाह की वजह से उच्च रेटिंग वाली भारतीय कंपनियों के लिए उधार की लागत में कमी आई है। अनहेज्ड सरकारी और कॉर्पोरेट बांड एक्सपोजर के लिए एफपीआई में जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ गयी है (चार्ट 1.20 ए)। मूडी द्वारा भारत की सार्वभौम रेटिंग में हालिया उन्नयन का अर्थ है कि भारतीय कंपनियों के डॉलर उधार लेने की लागत अनुकूल बनी रहने की संभावना है। हालांकि, घरेलू कर्ज बाजारों में दीर्घकालिक प्रतिफल में थोड़ी मजबूती आई है (चार्ट 1.20 बी)। छोटी अवधि में विदेशी मुद्रा आप्शन में अंतर्निहित अस्थिरता में भी वृद्धि दर्ज की गई

सारणी 1.1: एमसीएलआर एवं कॉर्पोरेट प्रतिफल

अवधि (वर्ष में)	जोखिम मुक्त दर	प्रतिफल							एमसीएलआर संदर्भ (वार्षिक)
		एएए	एए+	एए	एए-	ए+	ए	ए-	
1	6.21	6.99	7.32	7.57	7.68	8.43	9.43	9.68	8.30
2	6.39	7.19	7.45	7.66	7.84	8.59	9.59	9.84	8.41
3	6.52	7.26	7.57	7.75	8	8.75	9.75	10	8.41
4	6.55	7.32	7.64	7.83	8.1	8.85	9.85	10.1	8.41
5	6.57	7.39	7.7	7.9	8.2	8.95	9.95	10.2	8.41

स्रोत : एफआईएमएमडीए और आरबीआई स्टाफ अनुमान

¹⁰ रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 2016 में शुरू की गई फंड-आधारित लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) की सीमांत लागत, बैंकों द्वारा मूल्य निर्धारण क्रेडिट के लिए उपयोग किया गया एक आंतरिक बेंचमार्क है। इसका उद्देश्य मौद्रिक नीति संचरण की दक्षता में सुधार करना था। एमसीएलआर प्रणाली के तहत, बैंक को पिछले आधार दर प्रणाली के तहत उपयोग किए गए निधियों के मिश्रित लागत के बजाय निधियों की लागत की गणना के लिए निधियों की सीमांत लागत का उपयोग करना आवश्यक है। एसबीआई एमसीएलआर, जो बैंकों में सबसे कम है, तुलना के लिए उदाहरणस्वरूप उपयोग किया गया है।


¹¹ उदाहरण के लिए, 'ए +' के ऊपर रेटिंग ग्रेड के लिए, जैसाकि एक वर्ष की अवधि के लिए, 'एए' के एफआईएमएमडीए का मूल्यांकन 7.68 प्रतिशत पर है, जो संदर्भ एमसीएलआर के 8.30 प्रतिशत के मुकाबले कम है जिससे मध्यस्थता में कमी की गुंजाइश बनती है।

¹² फिक्स्ड रेट कूपन की तुलना फ्लोटिंग दर एमसीएलआर सूचकांक आधारित लोन (1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए) के साथ की गई है, जो पहली नजर में, असंगत दिखाई दे सकती है, इसमें फ्लोटिंग दर फिक्सिंग की तुलना निर्धारित दर कूपन के साथ की गई। किंतु, निश्चित दर के कूपन के ऊपर एमसीएलआर निर्धारण से कम से कम एक अल्पकालिक निगेटिव कैरी अंतर्निहित है। इससे अल्पकालिक पी एंड एल के दबाव के अधीन वाणिज्यिक बैंकों के निवेश निर्णयों पर असर पड़ सकता है।

(चार्ट 1.20 सी)। अंततः ऑफ-शोर इंडेक्स फ्यूचर्स¹³ में आई मजबूती, जो ऑन-शोर से संबंधित है, का प्रभाव दबाव की

स्थिति में संबंधित ऑन-शोर मार्केट पर भी पड़ सकता है (चार्ट 1.20 डी एवं चार्ट 1.20 ई)।

चार्ट 1.20 : क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस) स्प्रेड, एफपीआई ऋण सीमा का उपयोग, जी-सेक्टर प्रतिफल, अंतर्निहित अस्थिरता, ऑनशोर - ऑफशोर फारवर्ड प्रीमिया अंतर और निफटी 50 पर ओपेन इंस्ट्रूमेंट पॉजिशन




स्रोत: ब्लूमबर्ग और नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)

¹³ एसजीएक्स ऑपेन इंस्ट्रूमेंट को ऑन-शोर के अनुरूप निफटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आकार के अंतर के लिए समायोजित किया गया है।

आवास मूल्य

1.20 वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के दौरान अखिल भारतीय आवास सूचकांक (आरपीपीआई) में 8.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 7.3 प्रतिशत थी (चार्ट 1.21)। सितंबर 2017 में आवास वित्त आस्तियों¹⁴ का सकल अनर्जक अग्रिम अनुपात (जीएनपीए) 1.2 प्रतिशत पर स्थिर रहा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में खुदरा हाउसिंग क्षेत्र किसी प्रकार का महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करता प्रतीत नहीं होता।

चार्ट 1.21: अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (2010-11:प्रथम तिमाही=100)



स्रोत : आवासीय परिसंपत्ति मूल्य निगरानी सर्वे, आरबीआई

¹⁴ सितंबर 2017 के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए (आरबीआई पर्यवेक्षण विवरणी)

अध्याय II

वित्तीय संस्थाएँ : सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता

परिसंपत्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के चलते बैंकिंग क्षेत्र में समय जोखिम बना रहा। मार्च और सितंबर 2017 के बीच, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादन (जीएनपीए) अनुपात 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया और तनावग्रस्त अग्रिम अनुपात में मामूली रूप से 12.1 प्रतिशत से 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने सितंबर 2017 में जीएनपीए अनुपात 13.5 प्रतिशत और तनावग्रस्त अग्रिम अनुपात 16.2 प्रतिशत दर्ज किया।

ऋण जोखिम का वृहत तनाव परीक्षण यह इंगित करता है कि आधार रेखा के वृहत परिदृश्य के तहत, मार्च 2018 तक जीएनपीए अनुपात 10.8 प्रतिशत और सितंबर 2018 तक 11.1 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

नेटवर्क विश्लेषण से पता चलता है कि बैंकिंग प्रणाली में अंतर संबंध का स्तर 2012 के बाद से धीरे-धीरे कम हो गया है। संयुक्त शोधन क्षमता-तरलता संक्रमण विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक की चूक के कारण होने वाले नुकसानों में गिरावट आई है।

खंड-1

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

2.1 इस खंड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता पर मोटे तौर पर दो उप-शीर्षों के तहत विचार किया गया है- i) कार्यनिष्पादन, और ii) आघात सहनीयता। आघात सहनीयता में परिदृश्यों और एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से वृहत तनाव परीक्षण का उपयोग किया गया है।

कार्यनिष्पादन


ऋण और जमा वृद्धि

2.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण संवृद्धि वर्ष दर वर्ष आधार पर मार्च और सितंबर 2017 के बीच 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की ऋण संवृद्धि 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गई जबकि पिछले दो वर्षों उसमें गिरावट थी। अध्याय -1 (पैरा 1.10) में मंद वृद्धि के कारण उभरते जोखिमों का जिक्र किया गया है। दूसरी तरफ वर्ष दर वर्ष अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमा वृद्धि मार्च और सितंबर 2017 के बीच 11.2 प्रतिशत से घटकर 7.8 प्रतिशत हो गयी। सभी बैंक समूहों में जमा वृद्धि में गिरावट देखी गयी (चार्ट 2.1)।

सुदृढ़ता - पूंजी पर्याप्तता और लीवरेज अनुपात

2.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) में सुधार के कारण मार्च और सितंबर 2017 के बीच 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान एससीबी का कामन ईक्विटी टियर (सीईटी)-1 लीवरेज अनुपात² में भी

चार्ट 2.1 ऋण एवं जमा वृद्धि वर्ष दर वर्ष आधार पर



नोट : पीएसबी = सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पीवीबी = निजी क्षेत्र के बैंक और एफबी = विदेशी बैंक

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

¹ विश्लेषण पर्यवेक्षी रिटर्न पर आधारित है जिसमें एससीबी के केवल घरेलू संचालन को शामिल किया गया है जिसमें बड़े उधारकर्ता शामिल नहीं हैं, एससीबी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक शामिल हैं, जो बैंकों के वैश्विक परिचालनों पर आधारित है।

² सीईटी-1 लीवरेज अनुपात को कुल आस्तियों की तुलना में सीईटी-1 पूंजी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल आस्तियों में तुलन-पत्र से इतर मदों की क्रेडिट समतुल्यता शामिल है।

सुधार हुआ जो 6 प्रतिशत से बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.2)।


आस्ति गुणवत्ता

2.4 मार्च और सितंबर 2017 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का जीएनपीए अनुपात³ 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया जबकि उनका पुनः संरचित मानक अग्रिम (आर एस ए) अनुपात घटकर 2.5 से 2.0 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान दबावग्रस्त अग्रिमों (एसए) के अनुपात⁴ में मामूली रूप से वृद्धि दर्ज की गई और वह 12.1 प्रतिशत से 12.2 प्रतिशत हो गए। मार्च और सितंबर 2017 के बीच पीएसबी का जीएनपीए अनुपात 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 13.5 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान दबावग्रस्त अग्रिमों के अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई 15.6 प्रतिशत से बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.3 ए)।

2.5 मार्च और सितंबर 2017 के बीच कुल निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक अग्रिमों में वृद्धि हुई और उसका प्रतिशत 5.5 से बढ़कर 5.7 तक हो गया। पीएसबी ने उल्लेखनीय रूप से एनएनपीए अनुपात में 7.9 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की।


2.6 वर्ष दर वर्ष आधार पर सितंबर 2017 में सभी एससीबी के जीएनपीए में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। अपने सहयोगी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (17.0 प्रतिशत) के मुकाबले पी वी बी ने जी एन पी ए में ऊंची (40.5 प्रतिशत)

चार्ट 2.2: पूंजी पर्याप्तता



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.3 : परिसंपत्ति गुणवत्ता




स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

³ जीएनपीए, आरएसए और मानक अग्रिमों की गणना कुल सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में की गई है।

⁴ परिसंपत्ति की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, तनावग्रस्त अग्रिमों को जीएनपीए और आरएसए के जोड़ के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट 2.4 परिसंपत्ति गुणवत्ता में बदलाव




स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

वृद्धि दर्ज की (चार्ट 2.4 ए)। वर्ष दर वर्ष के आधार पर सभी एससीबी के एनएनपीए में सितंबर 2017 में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई (चार्ट 2.4 बी)।

2.7 27 बैंकों के स्लीपेज अनुपात⁵ (बैंकिंग प्रणाली की कुल परिसंपत्तियों का लगभग 87 प्रतिशत हिस्सा) के विश्लेषण में, मिडियान और टेल कमजोर पड़ने के संकेत दिखा रहे हैं। दाहिने तरफ के छोर का अवलोकन (अनर्जक आस्तियों के प्रति अधिक झुकाव के संकेत) ज्यादातर पीएसबी से संबंधित है (चार्ट 2.5)।

2.8 एससीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता मार्च से सितंबर 2017 के बीच सभी प्रमुख क्षेत्रों में बिगड़ी है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र इस समूह के उच्चतम स्तर पर है (चार्ट 2.6)।


चार्ट 2.5 : मानक आस्ति पोर्टफोलियो में से स्लीपेज



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.6 : प्रमुख क्षेत्रों में तनावग्रस्त अग्रिम

(संबंधित क्षेत्रों के अग्रिमों का प्रतिशत)




स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

⁵ इस संदर्भ में स्लीपेज अनुपात, मानक अग्रिमों के अनुपात के रूप में मानक अग्रिमों का एनपीए स्थिति में पहुंचना दर्शाता है (पुनर्गठित मानक अग्रिमों से गिरावट को छोड़कर)।

चार्ट 2.7 उद्योग प्रमुख उप क्षेत्रों का तनावग्रस्त अग्रिम अनुपात

(संबंधित क्षेत्रों के अग्रिमों का प्रतिशत)



नोट : उप क्षेत्रों के साथ कोष्ठक में लीड के साथ दी गई संख्या उद्योग को कुल ऋण में संबंधित उप-क्षेत्र के ऋण का हिस्सा है।
 स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां


2.9 मार्च और सितंबर 2017 के बीच प्रमुख उद्योग उप-क्षेत्रों में खनन और उत्खनन, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, निर्माण और आधारभूत संरचना क्षेत्र में तनावग्रस्त अग्रिम अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, इसी अवधि में वस्त्र, रबर, सीमेंट, बुनियादी धातुओं और वाहनों जैसे उप-क्षेत्रों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ (चार्ट 2.7)।

बड़े उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता

2.10 मार्च से सितंबर 2017 के बीच कुल एससीबी ऋण और जीएनपीए दोनों में बड़े उधारकर्ताओं को हिस्से में गिरावट आई (चार्ट 2.8)।


2.11 मार्च और सितंबर 2017 के बीच बड़े उधारकर्ताओं के कुल तनावग्रस्त अग्रिमों में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए ऐसे अग्रिमों, जिन्हें विशेष उल्लेख खाता-2⁷ (एसएमए -2) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 56.5 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 2.9)।

चार्ट 2.8 : एससीबी के ऋण पोर्टफोलियो में बड़े उधारकर्ताओं का भाग



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.9 : मार्च और सितंबर 2017 के बीच बड़े उधारकर्ताओं के परिसंपत्ति गुणवत्ता में प्रतिशत बदलाव




स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

⁶ बड़े उधारकर्ताओं की परिभाषा इस प्रकार है - ऐसे उधारकर्ता जिनका एससीबी के संदर्भ में सकल-निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित जोखिम 50 मिलियन और अधिक है।

⁷ कोई ऋण खाता एनपीए में बदलने पहले बैंकों से अपेक्षित है कि एसएमए के तीन खराब-आस्ति वर्ग सृजित करके खाते में आरंभिक दबाव की पहचान करें- यथा - i) एसएमए-0: मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 30 दिन से अधिक बकाया नहीं हो लेकिन खाते में आरंभिक दबाव दिखाई दे रहा हो; ii) एसएमए-1: मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 31-60 दिन के बीच अतिदेय हो। iii) मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 61-90 दिनों के बीच अतिदेय हो।

चार्ट 2.10 : बड़े उधारकर्ताओं का जीएनपीए और एसएमए-2 अनुपात

(कुल अग्रिम का प्रतिशत)




स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

2.12 मार्च और सितंबर 2017 के बीच बड़े उधारकर्ताओं का जीएनपीए अनुपात 14.6 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान पीएसबी और पीवीबी दोनों के जीएनपीए अनुपात में वृद्धि हुई, वहीं विदेशी बैंकों (एफबी) के लिए यह नीचे आ गया (चार्ट 2.10)।


2.13 बड़े उधारकर्ताओं की बकाया कुल वित्त पोषित राशि में मानक अग्रिमों (पुनर्गठित मानक अग्रिम को छोड़कर) का हिस्सा मार्च और सितंबर 2017 के बीच 80.9 प्रतिशत से घटकर 80.6 प्रतिशत रह गया। एससीबी के शीर्ष 100 बड़े उधारकर्ताओं (बकाया वित्त पोषित राशि के मामले में) ऋण का 15.5 प्रतिशत और जीएनपीए का 25.0 प्रतिशत हिस्सा था (चार्ट 2.11 एवं 2.12)।

चार्ट 2.11 : बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण की बकाया राशि का विवरण



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.12 बड़े उधारकर्ताओं को एससीबी द्वारा फंड आधारित ऋण - शीर्षस्थ 100 की हिस्सेदारी



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां


एससीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

2.14 जो बैंक अपेक्षाकृत कम संपत्ति गुणवत्ता वाले हैं उनकी पूंजी पर्याप्तता भी कम है जैसाकि सीआरएआर और तनावग्रस्त अग्रिम अनुपात के बीच दिखाए गए नकारात्मक संबंध से दिखाई देता है। परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता के बीच यह नकारात्मक संबंध, जो मार्च 2011 में

(-) 0.18 के निम्न स्तर पर था, सितंबर 2017 तक (-)0.74 तक तेजी से बढ़ गया (चार्ट 2.13)।

2.15 बैंकों के जोखिम को अवशोषित करने की क्षमता का आकलन करने पर यह पाया गया कि 50 प्रतिशत⁸ के प्रावधान कवरेज (पीसी) के बैंचमार्क के आधार पर सभी पीएसबी और कुछ पीवीबी के पास एक ऋणात्मक प्रावधानीकरण अंतर है

चार्ट 2.13 : परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता



नोट : 1 केवल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर आधारित

2 अंतःसंबंध की गणना बैंक-वार तनावग्रस्त अग्रिम अनुपात और सीआरएआर के बीच की गई है।
 स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ

⁸ प्रावधान अंतर को वास्तविक पीसी और लक्ष्य पीसी के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। वास्तविक पीसी की गणना (जीएनपीए ऋण से एनएनपीए घटाने के बाद) अनुपात और दबावग्रस्त अग्रिमों के बीच अनुपात के रूप में की जाती है। लक्ष्य (बैंचमार्क) पीसी 50 प्रतिशत माना जाता है। बैंक के लिए नकारात्मक अंतर यह दर्शाता है कि बैंक द्वारा बनाए गए वास्तविक प्रावधान लक्ष्य प्रावधान से कम है इसका मतलब बैंक को अपने प्रावधान स्तरों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

। इसके अतिरिक्त, प्रावधानीरण के तहत स्थित पीएसबी की आस्तियों पर नकारात्मक प्रतिफल के कारण उनकी हानि अवशोषण क्षमता के निर्माण में बाधा बन सकता है (चार्ट 2.14)।

लाभप्रदता


2.16 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आस्तियों पर प्रतिलाभ में कोई बदलाव नहीं हुआ और मार्च से सितंबर 2017 के बीच यह 0.04 प्रतिशत ही रहा जबकि उनके इक्विटी पर प्रतिलाभ में 4.3 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत की गिरावट हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभप्रदता अनुपात मार्च 2016 से नकारात्मक ही रिकार्ड किया गया। (चार्ट 2.15)

जोखिम

बैंकिंग स्थिरता संकेतक


2.17 बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई)⁹ यह दर्शाता है कि आस्ति गुणवत्ता में गिरावट के भार के कारण बैंकिंग

चार्ट 2.14 प्रावधान अंतर एवं लाभप्रदता - सितंबर 2017



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.15 : लाभप्रदता



नोट: आरओए और आरओई से संबंधित आंकड़े वार्षिक हैं।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

⁹ विभिन्न बीएसआई आयामों के तहत प्रयुक्त मूल सूचकों और विस्तृत कार्य-प्रणाली अनुबंध 2 में दी गई हैं।

क्षेत्र में जोखिम का स्तर अभी भी अधिक है। (चार्ट 2.16 और 2.17)


लचीलापन-दबाव परीक्षण

समष्टि दबाव परीक्षण - ऋण जोखिम

2.18 ऋण जोखिम के लिए समष्टि दबाव परीक्षण के माध्यम से, समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रति भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के लचीलेपन की जांच की गई। कल्पित बेसलाइन और दो (मध्यम और तीव्र) प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक दबाव परिदृश्यों में ये परीक्षण किए गए (चार्ट 2.18)। समष्टि-आर्थिक चरों के पूर्व मूल्यों में ऐतिहासिक मानक विचलन के आधार पर प्रतिकूल परिदृश्य को प्राप्त किया गया: मध्यम दबाव के लिए 1 मानक विचलन (एसडी) तक और तीव्र दबाव (10 वर्ष का ऐतिहासिक डाटा) के लिए 1.25 से 2 एसडी।

2.19 दबाव परीक्षण से यह संकेत मिला कि बेसलाइन परिदृश्य के तहत सभी एससीबी का औसत जीएनपीए अनुपात सितंबर 2017 में 10.02 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2018 में बढ़कर 10.8 प्रतिशत तथा सितंबर 2018 में 11.1 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। तथापि, यदि समष्टि-आर्थिक


चार्ट 2.16: बैंकिंग स्थिरता संकेतक



नोट: संकेतक मूल्यों में वृद्धि न्यून स्थिरता को दर्शाती है। प्रत्येक पहलू की चौड़ाई जोखिम में उसकी हिस्सेदारी को प्रकट करती है।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणनाएं।


चार्ट 2.17: बैंकिंग स्थिरता मानचित्र



नोट: केंद्र से दूरी जोखिम में वृद्धि को दिखाता है।


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणनाएं।

चार्ट 2.18: समष्टि-आर्थिक परिदृश्य कल्पनाएं¹⁰ (2017-18 और 2018-19)



¹⁰ ये दबाव परिदृश्य सख्त और अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों में कल्पित और संकुचित मूल्यांकन पर आधारित हैं, अतः इसके आधार पर पूर्वानुमान अथवा अपेक्षित परिणामों के रूप में इनकी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2017-18 (विव18) के लिए संख्या पिछले दो तिमाहियों के समान है। वित्तीय वर्ष 2018-19 (विव19) के लिए संख्या प्रथम दो तिमाहियों के समान है।

चार्ट 2.19: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जीएनपीए का पूर्वानुमान (विभिन्न परिदृश्यों के तहत)



नोट: प्रणाली स्तर जीएनपीए अनुपात(55 चयनित बैंक) के पूर्वानुमान के लिए तीन अलग प्रकार के लेकिन एक दूसरे की पूरक अर्थमितीय मॉडलों का उपयोग किया है: मल्टी वेरिएट रिग्रेशन, वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (वीएआर) और क्वांटाइल रिग्रेशन (जो पश्च जोखिमों का समाधान करता है और समष्टि-आर्थिक आघात के असमान प्रभाव को शामिल करता है) इन तीनों मॉडल का औसत जीएनपीए चार्ट में दिया गया है। तथापि, बैंक समूहों के मामले में, दो मॉडल यानी मल्टीवेरियेट मॉडल रिग्रेशन और वीएआर का प्रयोग किया गया।


स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना।

स्थितियां बिगड़ती हैं तो ऐसे परिणामी दवाब परिदृश्यों के अंतर्गत जीएनपीए अनुपात में वृद्धि हो सकती है (चार्ट 2.19).

2.20 कल्पित बेसलाइन समष्टि परिदृश्य के तहत, सितंबर 2018 तक छः बैंकों का सीआरएआर न्यूनतम विनियामक स्तर अर्थात 9 प्रतिशत के नीचे रह सकता है। तथापि यदि समष्टि स्थितियां खराब होती हैं तो दवाब परिदृश्य के तहत और बैंकों का सीआरएआर विनियामक

आवश्यकताओं के नीचे पहुँच सकता है। ऐसे कठोर दवाब परिदृश्य के तहत, प्रणाली स्तर सीआरएआर सितंबर 2017 में 13.5 प्रतिशत की तुलना में कम होकर सितंबर 2018 तक 11.5 प्रतिशत हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हाल ही में घोषित पूंजीकरण योजना से प्रभावित बैंकों के पूंजी बफर बढ़ने तथा क्रेडिट में वृद्धि होने की संभावना है (चार्ट 2.20)।

चार्ट 2.20: सीआरएआर का पूर्वानुमान



*55 चयनित बैंक प्रणाली

नोट: आरक्षित पूंजी में 25% के न्यूनतम लाभ अंतरण की संकुचित परिकल्पना के तहत पूंजी पूर्वानुमान किया गया है। किसी भी हितधारक द्वारा लगाई गई किसी भी पूंजी की गणना इसमें नहीं की गई है।

स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना।

2.21 ऐसे कठोर दवाब परिदृश्य के तहत, सितंबर 2018 तक 7 बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के लिए सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी के मामले में न्यूनतम विनियामक अपेक्षा स्तर 5.5 प्रतिशत से कम हो सकता है। प्रणाली स्तर सीईटी 1 पूंजी अनुपात, सितंबर 2017 में 10.2 प्रतिशत की तुलना में कम होकर सितंबर 2018 तक 8.7 प्रतिशत हो सकता है (चार्ट 2.21)।


संवेदनशीलता विश्लेषण: बैंक स्तर¹¹

2.22 विभिन्न परिदृश्यों¹⁴ के तहत बैंकों की दुर्बलता और लचीलेपन के निर्धारण हेतु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों¹³ पर केवल एक घटक पर आधारित संवेदनशीलता दवाब परीक्षण¹² (ऊपर से नीचे) किए गए। इक्विटी कीमतों में गिरावट के जोखिम सहित, ऋण, ब्याज दर और चलनिधि जोखिम के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लचीलेपन का अध्ययन ऊपर से नीचे दवाब परीक्षण के लिए उसी प्रकार के निर्धारित आघातों का प्रयोग चयनित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर किया गया। परिणाम सितंबर 2017 के आकड़ों पर आधारित हैं।

ऋण जोखिम

2.23 कठोर ऋण आघात का प्रभाव काफी बैंकों, ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता पर पड़ सकता है। बैंकों के लिए विभिन्न स्थिर ऋण आघात का प्रभाव यह दर्शाता है कि प्रणाली स्तर सीआरएआर 9 प्रतिशत के न्यूनतम आवश्यकता के ऊपर बना रहेगा। 3एसडी¹⁵ (अर्थात यदि चयनित एससीबी का औसत जीएनपीए अनुपात 10.6 प्रतिशत से बढ़कर 16.6 प्रतिशत हो जाए) के कठोर आघात से प्रणाली स्तर सीआरएआर और टियर-1 सीआरएआर घटकर क्रमशः 10.6 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत हो जाएगा। प्रणाली स्तर पर पूंजी में हास का प्रतिशत लगभग 23.6 हो सकता है। प्रति दवाब परीक्षण परिणाम यह दर्शाते हैं कि प्रणाली स्तर सीआरएआर को कम करके

चार्ट 2.21: सीईटी 1 पूंजी अनुपात का पूर्वानुमान



*55 चयनित बैंकों का सिस्टम

नोट: आरक्षित पूंजी में 25% के न्यूनतम लाभ अंतरण की संकुचित परिकल्पना के तहत पूंजी पूर्वानुमान किया गया है। किसी भी हितधारक द्वारा लगाई गई पूंजी की गणना इसमें नहीं की गई है।

स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना।

¹¹ ऋण जोखिम के लिए समष्टि दवाब परीक्षणों के अतिरिक्त संवेदनशीलता विश्लेषण भी किया गया। पूर्व स्थिति में आस्ति गुणवत्ता(जीएनपीए) को प्रत्यक्ष आघात दिए गए थे, बाद में प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक स्थितियों के संबंध में आघात थे। हालांकि, समष्टि दवाब परीक्षणों का केंद्र ऋण जोखिम था लेकिन संवेदनशीलता विश्लेषण में ऋण, ब्याज दर और चलनिधि जोखिम को शामिल किया गया।


¹² दवाब परीक्षणों के विवरण के लिए, कृपया अनुबंध 2 देखें।

¹³ एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण दवाब परीक्षण 54 एससीबी(1 अप्रैल, 2017 से स्टेट बैंक के सहायक संस्थाओं के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के फलस्वरूप) के नमूने के लिए किए गए जिनका कुल बैंकिंग क्षेत्र आस्तियों में 99 प्रतिशत हिस्सा है।

¹⁴ आघातों को विभिन्न परिकल्पित परिदृश्यों के तहत तैयार किया गया था, जो चरम किंतु युक्तिसंगत हैं।

¹⁵ जीएनपीए अनुपात के एसडी का अनुमान सन 2004 से त्रैमासिक आकड़ों का प्रयोग करके किया गया है। एक एसडी आघात, जीएनपीए में लगभग 19 प्रतिशत वृद्धि के बराबर है।

चार्ट 2.22: ऋण जोखिम - आघात एवं प्रभाव




आघात 1: जीएनपीए पर 1 एसडी आघात
 आघात 2: जीएनपीए पर 2 एसडी आघात
 आघात 3: जीएनपीए पर 3 एसडी आघात
 आघात 4: पुनर्संचित अग्रिम का 30 प्रतिशत जीएनपीए हो गया है (अवमानक वर्ग)
 आघात 5: पुनर्संचित अग्रिम का 30 प्रतिशत जीएनपीए हो गया है (हानि वर्ग)- बड़े खाते में डाला गया
 नोट: चयनित 54 एससीबी प्रणाली
 स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना।

9 प्रतिशत तक लाने के लिए 4.54 एसडी के आघात की आवश्यकता है। दूसरी ओर, यदि जीएनपीए अनुपात 0.77 एसडी से 12.1 प्रतिशत होता है तो एससीबी को उनके संपूर्ण वार्षिक लाभ में हानि होगी। प्रत्येक बैंक के स्तर पर दबाव परीक्षण परिणाम यह दर्शाता है कि 19 बैंक, जिनका एससीबी की कुल आस्तियों में 39.1 प्रतिशत हिस्सा है, जीएनपीए में बड़े 3एसडी वृद्धि के आघात से अपेक्षित सीआरएआर बनाए रखने में असफल हो सकते हैं। पीएसबी पर इसका तीव्र प्रभाव दिखाई दे सकता है जबकि 17 पीएसबी का सीआरएआर 9 प्रतिशत से नीचे जा सकता है। (चार्ट 2.22 और 2.23)

ऋण संकेंद्रीकरण जोखिम

2.24 बैंक के दबावग्रस्त ऋण संकेंद्रीकरण जोखिम संबंधी दबाव परीक्षण से यह संकेत मिला कि (तीन विविध परिदृश्यों में) शीर्ष एकल उधारकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान में चूक करने से चरम परिदृश्य में 09 बैंक, जो आस्तियों में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं, प्रभावित¹⁶ हुए। ये बैंक केएम से केएम एक परिदृश्य में भी 9 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखने में असफल हो सकते हैं। शीर्ष दबावग्रस्त उधारकर्ताओं द्वारा चूक होने के परिदृश्य में पड़ने वाला प्रभाव पीबीटी का 87 प्रतिशत हो सकता था। शीर्ष एक, दो और तीन दबावग्रस्त उधारकर्ताओं द्वारा चूक करने के कल्पित परिदृश्य में प्रणाली स्तर के सीआरएआर पर प्रभाव¹⁷

चार्ट 2.23: बैंकों का सीआरएआर वार वितरण (जीएनपीए अनुपात पर 3 एसडी आघात के तहत)




नोट: चयनित 54 एससीबी प्रणाली
 स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना।

¹⁶ चूक होने की स्थिति में, यह मान लिया जाता है कि उधारकर्ता हानि वर्ग में आ गया। कृपया ब्यौरे के लिए अनुबंध 2 देखें।

¹⁷ परिकल्पित आघात परिदृश्य के तहत बेसलाइन सीआरएआर तथा दबावग्रस्त सीआरएआर में अंतर के आधार पर प्रभाव की गणना की गई है।

चार्ट 2.24: ऋण संकेंद्रण जोखिम- व्यक्तिगत उधारकर्ता- दवाबग्रस्त अग्रिम



आघात 1: शीर्ष दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करता है।
 आघात 2: शीर्ष दो दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करते हैं।
 आघात 3: शीर्ष तीन दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करते हैं।
 नोट: *चयनित 54 एससीबी प्रणाली।
 स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना।


64, 102 और 127 आधार अंक होगा (चार्ट 2.24)।

2.25 एक्सपोजर के अनुसार शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ताओं का विचार करते हुए बैंक के ऋण संकेंद्रित जोखिम पर दवाब परीक्षण (तीन पृथक परिदृश्यों के तहत) में एक बैंक पर उल्लेखनीय प्रभाव¹⁸ दिखाई दिया जिनकी कुल आस्तियों में लगभग 2.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है, यह बैंक कम से कम एक परिदृश्य में 9 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखने में असफल रह सकता है। प्रत्येक बैंक के शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ता द्वारा चूक करने के परिदृश्य में पीबीटी के 45 प्रतिशत की

हानि हो सकती है। प्रत्येक बैंक के शीर्ष तीन उधारकर्ताओं द्वारा चूक करने के परिदृश्य के तहत (आघात 3) बैंकिंग क्षेत्र के लाभ पर पूर्ण अपक्षरण होगा। शीर्ष तीन उधारकर्ताओं द्वारा चूक करने के परिकल्पित परिदृश्य के तहत प्रणाली स्तर पर सीआरएआर 77 आधार अंक से प्रभावित होगा (चार्ट 2.25)।

2.26 ऋण संकेंद्रण जोखिम के प्रति उधारकर्ता के कल्पित विफलता के कारण दबाव परीक्षण यह दर्शाता है की शीर्ष समूह उधारकर्ताओं द्वारा चूक¹⁹ के कल्पित परिदृश्य में बैंकों

चार्ट 2.25: ऋण संकेंद्रण जोखिम- व्यक्तिगत उधारकर्ता- एक्सपोजर



आघात 1: शीर्ष दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करता है।
 आघात 2: शीर्ष दो दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करते हैं।
 आघात 3: शीर्ष तीन दवाबग्रस्त व्यक्तिगत उधारकर्ता चूक करते हैं।
 नोट: *चयनित 54 एससीबी प्रणाली।
 स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना।

¹⁸ चूक होने की स्थिति में, यह मान लिया जाता है कि उधारकर्ता अवमानक वर्ग में आ गया है। कृपया ब्योरे के लिए अनुबंध-2 देखें।

¹⁹ चूक होने की स्थिति में, यह मान लिया जाता है कि उधारकर्ता अवमानक वर्ग में आ गया है। कृपया ब्योरे के लिए अनुबंध-2 देखें।

सारणी 2.1: ऋण संकेंद्रण जोखिम- समूह उधारकर्ता - एक्सपोजर

आघात	प्रणाली स्तर				बैंक स्तर	
	सीआरएआर	कोर सीआरएआर	जीएनपीए अनुपात	पूंजी की तुलना में हानि का प्रतिशत	प्रभावित बैंक (सीआरएआर<9%)	
बेसलाइन (आघात पूर्व)	13.5	11.1	10.6	---	बैंकों की संख्या	एससीबी की कुल आस्तियों में हिस्सा (% में)
आघात 1 शीर्ष 1 उधारकर्ता समूह चूक करता है।	12.7	10.3	14.4	6.3	2	4.2
आघात 2 शीर्ष 2 उधारकर्ता समूह चूक करते हैं।	12.1	9.7	17.3	11.1	4	7.1
आघात 3 शीर्ष 3 उधारकर्ता समूह चूक करते हैं।	11.6	9.2	19.8	15.1	6	11.4

नोट: * चयनित 54 एससीबी की प्रणाली।

स्रोत: रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना।


की कुल पूंजी 6 प्रतिशत तक हो सकती है। 2 शीर्ष समूह उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में 11 प्रतिशत तक हानि हो सकती है। यदि प्रत्येक एकल बैंक के 3 समूह उधारकर्ता चूक कराते हैं तो 6 बैंक अपना 9 प्रतिशत का सीआरएआर बनाए रखने में असफल होंगे।

क्षेत्रगत ऋण जोखिम

2.27 क्षेत्रगत ऋण दवाब परीक्षण के माध्यम से मूलभूत संरचना क्षेत्र (विशेषकर ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार) को एक्सपोजर से उत्पन्न ऋण जोखिम का परीक्षण किया गया।

यह एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ जीएनपीए अनुपात में नियत प्रतिशत अंकों में बढ़ने का अनुमान था जिससे बैंकिंग प्रणाली के संपूर्ण जीएनपीए अनुपात पर प्रभाव पड़ता। परिणामों से स्पष्ट होता है कि मूलभूत संरचना क्षेत्र को होने वाले आघातों से बैंकों की लाभप्रदता काफी प्रभावित होगी, जबकि सर्वाधिक कठोर आघात (पुनर्संचित मानक अग्रिमों का 15 प्रतिशत तथा मानक अग्रिमों का 10 प्रतिशत एनपीए हो जाएगा और हानि वर्ग में आ जाएगा) से लाभ का 87 प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। एकल घटक आघात ऊर्जा क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा (चार्ट 2.26)।

चार्ट 2.26: क्षेत्रगत ऋण जोखिम- मूलभूत संरचना-आघात और प्रभाव



नोट - 1. चयनित 52 एससीबी की प्रणाली।

2. आघात से क्षेत्रगत एनपीए अनुपात में प्रतिशत वृद्धि और पुनर्संचित मानक अग्रिम का कुछ भाग एनपीए में बदलना कल्पित है।

आघात	आघात-1	आघात-2	आघात-3	आघात-4	आघात-5	आघात-6	आघात-7	आघात-8	आघात-9
पुनर्संचित मानक अग्रिमों पर आघात [§]	0			15			15		
अन्य मानक अग्रिमों पर आघात [#]	2	5	10	2	5	10	2	5	10

§ आघात 1-3: पुनर्संचित मानक अग्रिमों पर कोई आघात नहीं।
आघात 4-6: पुनर्संचित मानक अग्रिमों से अवमानक अग्रिम वर्ग ।
आघात 7-9: पुनर्संचित मानक अग्रिमों से हानि वर्ग।

आघात परिदृश्य में मानक अग्रिमों (पुनर्संचित मानक अग्रिमों से इतर) में से उत्पन्न हुए नए एनपीए को विभिन्न आस्तियों (विद्यमान पैटर्न के अनुसार) में वितरण कल्पित किया गया है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ द्वारा गणना।

ब्याज दर जोखिम

2.28 बिक्री हेतु उपलब्ध एएफएस तथा व्यापार हेतु रखे गए (एचएफटी) वर्ग (प्रत्यक्ष प्रभाव) के निवेशों के संबंध में, प्रतिफल वक्र में 2.5 प्रतिशत अंकों का समानांतर ऊर्ध्व बदलाव होने से प्रणाली स्तर सीआरएआर लगभग 123 आधार अंक नीचे आएगा (तालिका 2.2)। यदि अलग-अलग स्तर पर देखें तो कुल आस्ति का लगभग 5.3 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले चार बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम हो गया है। प्रणाली स्तर पर पूंजी में लगभग 10.3 प्रतिशत हानि होने का अनुमान है। बैंकों की परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) निवेश सूचियों के संबंध में, यदि वे बाजार मूल्यों के अनुसार अंकित हों (एमटीएम), प्रतिफल वक्र के समानांतर ऊर्ध्व बदलाव में 2.5 प्रतिशत अंकों के आघात की यदि कल्पना की जाए तो सीआरएआर में लगभग 280 आधार अंकों की कमी आएगी, परिणामतः 19 बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत के नीचे जाएगा।

इक्विटी कीमत जोखिम

2.29 इक्विटी कीमत जोखिम के अंतर्गत, बैंक की पूंजी पर इक्विटी कीमत की गिरावट के आघात के प्रभाव और लाभ का परीक्षण किया गया। 55 प्रतिशत गिरावट के परिदृश्य में प्रणालीगत सीआरएआर में बेसलाइन से केवल 41 आधार अंकों की कमी आई (चार्ट 2.27)। व्यक्तिगत बैंक के स्तर पर केवल एक बैंक के औसत सीआरएआर में 9 प्रतिशत से कम की मामूली गिरावट हुई जबकि दो बैंकों जिनकी कुल परिसंपत्ति 4.4 प्रतिशत है का टियर 1 सीआरएआर सांविधिक अपेक्षा 7 प्रतिशत से कम है। पाँच बैंकों का दबावग्रस्त लाभ नकारात्मक है।

तरलता जोखिम : तरलता स्टॉक्स पर जमाराशियों के कम होने का प्रभाव


2.30 तरलता जोखिम विश्लेषणों का उद्देश्य यह रहता है कि जमाराशियों की कमी होने और स्वीकृत /वचनबद्ध/ गारंटीकृत क्रेडिट लाइनों के अप्रयुक्त हिस्सों हेतु बढ़ी हुई मांग से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को समझा जा सके। सामान्यतः बैंकों से अपेक्षा रहती है कि वे अपनी उच्च कोटि की चलआस्तियों (एचक्यूएलए)²⁰ की सहायता से चलनिधि

सारणी 2.2: ब्याज दर जोखिम - बैंक समूह- आघात और प्रभाव (250 आधार अंकों के आघात के तहत आईएनआर प्रतिफल वक्र में ऊपर की ओर अंतराल)

	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		सभी एससीबी	
	एएफएस	एचएफटी	एएफएस	एचएफटी	एएफएस	एचएफटी	एएफएस	एचएफटी
संशोधित अवधि	3.5	6.1	2.0	1.6	1.4	2.0	1.4	2.0
कुल निवेश में शैयर	41.9	0.3	32.6	5.1	91.0	9.8	42.5	2.1
सीआरएआर में घटौती (बीपीएस)	165		53		116		123	

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणनाएं।

चार्ट 2.27: इक्विटी कीमत जोखिम



नोट : चयनित 54 एससीबी की प्रणाली।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणनाएं।

²⁰ भारत में 01 जनवरी, 2015 से चलनिधि कवरेज अनुपात(एलसीआर) के लागू हो जाने से चलनिधि आस्तियों की परिभाषा को दबाव परीक्षण के प्रयोजन से संशोधित किया गया है। इस प्रकार के दबाव परीक्षण के लिए एचक्यूएलए का आकलन अपेक्षित सीआरएआर की राशि से बेशी नकदी आरक्षित निधि, बेशी एसएलआर निवेश, एनडीटीएल के दो प्रतिशत के बराबर एसएलआर में निवेश(एमएसएफ के अंतर्गत) तथा एनडीटीएल के नौ प्रतिशत के बराबर एसएलआर में अतिरिक्त निवेश को मिलाकर किया जाएगा। (दिनांक 28 नवंबर, 2014 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी 52/21.04.098/2014-15 और दिनांक 21 जुलाई, 2016 का परिपत्र डीबीआर. बीसी. सं. बीपी.2/21.04.098/2016-17 के अनुसरण में)

आघातों को सहन करने की स्थिति में रहें। कल्पित परिदृश्यों में गैर बीमाकृत जमाराशियों²¹ का आहरण बढ़ जाएगा और साथ ही साथ क्रेडिट की मांग भी बढ़ेगी जिससे बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं के अप्रयुक्त हिस्से का आहरण और क्रेडिट वचनबद्धताओं तथा गारंटियों का उपयोग भी बढ़ेगा।


2.31 अपनी दैनिक चलनिधि जरूरतों को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए का प्रयोग करते हुए अधिकांश बैंक (नमूने में लिए गए 54 में से 49 बैंक) लगभग 12 प्रतिशत जमाराशियों का आकस्मिक आहरण और वचनबद्ध क्रेडिट लाइनों के 75 प्रतिशत उपभोग के कल्पित परिदृश्य के प्रति आघात-सहनीय बने रहेंगे (चार्ट-2.28)।

बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का दबाव परीक्षण : बाटम अप दबाव परीक्षण

2.32 30 सितंबर 2017 के अंत को संदर्भ तारीख मानते हुए नमूना चुनिंदा बैंकों²² हेतु डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो के संबंध में बाटम-अप दबाव परीक्षणों (संवेदनशीलता विश्लेषण) की श्रृंखलाएं प्रतिपादित की गईं। ब्याज दरों से संबंधित आघातों 100 से 250 आधार अंकों के बीच थे जबकि विदेशी मुद्रा विनिमय दर के लिए 20 प्रतिशत मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के आघात दिए गए। दबाव परीक्षण पृथक आधार पर एकल आघातों के लिए किए गए।

2.33 नमूने में अधिकांश पीएसबी और पीवीबी (एक बैंक को छोड़कर) के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो लघु बाजार मूल्यांकित (माकड टू मार्केट) एमटीएम मूल्य रजिस्टर किया गया। जबकि एफबी का एमटीएम वृहद रूप से सकारात्मक तथा नकारात्मक था। अधिकांश पीएसबी तथा पीवीबी का सकारात्मक निवल एमटीएम था जबकि अधिकतर विदेशी बैंकों ने निवल नकारात्मक एमटीएम दर्ज किया (चार्ट 2.29)।

चार्ट 2.28 : तरलता जोखिम -आघात और प्रभाव (तरलता सहायता के लिए एचक्यूएलए के प्रयोग)




- नोट : 1. एक बैंक को परीक्षण में असफल माना जाता था जब वह अपनी तरल परिसंपत्तियों की सहायता से तनाव परिस्थितियों में (आघात देने पर) आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था।
2. आघात: तरलता झटके में प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों(मंजूर कार्यशील पूंजी की सीमाओं के साथ-साथ उनके ग्राहकों के लिए क्रेडिट प्रतिबद्धताओं के अप्रयुक्त भाग शामिल हैं) के 75 प्रतिशत की मांग शामिल है और नीचे दी गई गैर बीमा राशि के एक हिस्से की वापसी भी शामिल है

आघात	1	2	3	4
गैर बीमाकृत जमाराशियों के आहरण का प्रतिशत	5	10	12	15

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणनाएं।

चार्ट 2.29 : कुल डेरिवेटिव के एमटीएम - चुनिंदा बैंक - सितंबर 2017



टिप्पणी: पीएसबी - सरकारी क्षेत्र के बैंक, पीवीबी-निजी क्षेत्र के बैंक, एफबी - विदेशी बैंक
स्रोत : नमूना बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बाटम-अप दबाव परीक्षण)

²¹ वर्तमान में गैर बीमाकृत जमाराशि कुल जमाराशियों की 70 प्रतिशत है। (स्रोत : डीआईसीजीसी, हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकॉनमी)

²² डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर दबाव परीक्षण 20 बैंकों के नमूने के लिए किया गया। विवरण अनुलग्नक 2 में दिया गया है।

2.34 दबाव परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने हेतु चुने गए बैंकों पर ब्याज दर आघातों का नगण्य औसत निवल प्रभाव रहा। विदेशी मुद्रा विनिमय आघातों के परिदृश्य यह दर्शाते हैं कि आघात का प्रभाव पिछले स्पाइक के बाद सितंबर 2017 में सामान्य हो रहा है। (चार्ट 2.30)।

खंड - II

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

निष्पादन


2.35 प्रणालीगत स्तर पर²³ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर सितंबर 2017 में 13.6 हो गया जो मार्च 2017 में 13.7 प्रतिशत था। हालांकि भिन्न-भिन्न देखा जाए तो 5 बैंक सीआरएआर के न्यूनतम अपेक्षित 9 प्रतिशत के स्तर के नीचे रहे। एसयूसीबी के सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए में 6.9 प्रतिशत से 8.5 की बढ़ोत्तरी हुई। उनका प्रावधान कवरेज अनुपात²⁴ 55.3 प्रतिशत से घटकर 47.1 प्रतिशत हो गया। साथ ही आस्तियों के प्रतिफल (आरओए) में 0.7 प्रतिशत से 0.09 की बढ़ोत्तरी हुई। चलनिधि अनुपात²⁵ में 35.9 प्रतिशत से 35.7 प्रतिशत तक की कमी हुई।

लचीलापन - दबाव परीक्षण

ऋण जोखिम

2.36 एसयूसीबी के सीआरएआर के संबंध में ऋण जोखिम आघातों का प्रभाव चार अलग-अलग परिदृश्यों²⁶ के अंतर्गत प्रेक्षित किया गया। परिणामों से यह प्रदर्शित हुआ कि सबसे खराब परिदृश्य में जीएनपीए में दो एसडी की वृद्धि, जिसे हानि अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, एसयूसीबी का प्रणालीगत स्तरीय सीआरएआर न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा के स्तर के नीचे आ सकता था। हालांकि, अलग-अलग बैंकों के संबंध में देखा जाए तो सबसे खराब परिदृश्य के अंतर्गत काफी अधिक संख्या (54 में से 39) में बैंक सीआरएआर के अपेक्षित स्तरों को पूरा नहीं कर पाएंगे।

चार्ट 2.30: चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर आघात का प्रभाव-दबाव परीक्षण (आघात के बाद निवल एमटीएम में परिवर्तन) (पूजीगत निधि का प्रतिशत)



टिप्पणी: बेसलाइन के संदर्भ में आघात के कारण निवल एमटीएम में परिवर्तन
स्रोत: नमूना बैंक (डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर बॉटम-अप दबाव परीक्षण)

सारणी 2.3: चयनित एसयूसीबी के वित्तीय स्थिति संकेतक (प्रतिशत)

वित्तीय स्थिति संकेतक	मार्च-17	सित-17
1. सीआरएआर	13.7	13.6
2. सकल अग्रिम में सकल एनपीए का हिस्सा	6.9	8.5
3. आस्तियों पीआर प्रतिफल (वार्षिक)	0.7	0.9
4. तरलता अनुपात	35.9	35.7
5. पीसीआर	55.3	47.1

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

²³ 54 एसयूसीबी की प्रणाली

²⁴ पीसीआर का समेकन इस रूप में किया गया - 'सकल एनपीए के प्रतिशत के रूप में एनपीए प्रावधान'

²⁵ तरलता अनुपात = $100 \times (\text{नकद} + \text{बैंक के स्तर पर देय} + \text{एसएलआर निवेश}) / \text{कुल आस्तियां}$

²⁶ चार परिदृश्य हैं: i) जीएनपीए पर 1 एसडी आघात(अव -मानक अग्रिम में वर्गीकृत), ii) जीएनपीए पर 2 एसडी आघात(अव -मानक अग्रिम में वर्गीकृत), iii) जीएनपीए पर 1 एसडी आघात(हानि वाले अग्रिम के रूप में वर्गीकृत), तथा iv) जीएनपीए पर 2 एसडी आघात(हानि वाले अग्रिम के रूप में वर्गीकृत)। एसडी का अनुमान 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किया गया। दबाव परीक्षण के विवरण के लिए अनुलग्नक 2 देखें।

चलनिधि जोखिम

2.37 54 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए चलनिधि जोखिम पर दो अलग परिदृश्यों का प्रयोग करके एक दबाव परीक्षण किया गया : एक दिन से 28 दिन तक की अवधि में नकदी बहिर्वाहों में i) 50 प्रतिशत और ii) 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी। यह भी माना गया कि दोनों परिदृश्यों के अंतर्गत नकदी अंतर्वाहों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस दबाव परीक्षण के परिणामों से यह पता चला कि पहले परिदृश्य में 22 बैंक और दूसरे परिदृश्य में 40 बैंक काफी प्रभावित हुए।

भाग-III

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों

2.38 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार 11,469 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत थीं, जिनमें से 172 कंपनियां जमा-स्वीकार (एनबीएफसी-डी) करने वाली थीं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण 220 कंपनियां गैर जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) थीं।²⁷ सभी एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं के साथ ही पूंजी पर्याप्तता की अपेक्षाओं और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों जैसे विवेकपूर्ण विनियमों के अधीन हैं।

कार्यनिष्पादन

2.39 सितंबर 2017 में एनबीएफसी²⁸ क्षेत्र के सकल तुलन पत्र का आकार 15.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए सितंबर 2017 में रु.13.8 ट्रिलियन पर पहुंच गया, जबकि सितंबर 2016 के दौरान यह रु.11.9 ट्रिलियन रहा। ऋणों और अग्रिमों में 15.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं, निवेशों में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई (सारणी 2.4)।

2.40 सितंबर 2017 (वर्ष-दर-वर्ष) में निवल लाभ में 4.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं, सितंबर 2017 में आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.9 प्रतिशत रहा (सारणी 2.5)।

आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

2.41 कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में एनबीएफसी क्षेत्र का जीएनपीए मार्च 2017 के 4.4 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर सितंबर 2017 में 4.9 प्रतिशत पर पहुंच गया। निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में एनएनपीए भी मार्च से सितंबर 2017 तक की अवधि में 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.4 प्रतिशत पर दर्ज हुआ (चार्ट 2.31)।

सारणी 2.4 : एनबीएफसी क्षेत्र का सकल तुलन पत्र : वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)

	मार्च-17	सितं-17
1. शेयर पूंजी	15.2	8.8
2. रिज़र्व और प्रारक्षित निधियां	12.2	18.1
3. कुल उधार	15.0	15.1
4. चालू देयताएं और प्रावधान	16.0	26.7
कुल देयताएं/ आस्तियां	14.5	15.6
1. ऋण और अग्रिम	16.4	15.7
2. निवेश	11.9	15.8
3. अन्य	7.9	15.2
आय/ व्यय		
1. कुल आय	8.9	15.3
2. कुल व्यय	9.6	18.1
3. निवल लाभ	-2.9	4.7


स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

सारणी 2.5 : एनबीएफसी क्षेत्र के चयनित अनुपात (प्रतिशत)

	मार्च-17	सितं-17
1. कुल आस्तियों की तुलना में पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र (सीएमई)	7.8	10.8
2. कुल आस्तियों की तुलना में रियल एस्टेट एक्सपोज़र (आरईई)	5.6	9.0
3. लीवरेज अनुपात	2.8	3.0
4. कुल आय की तुलना में निवल लाभ	14.0	14.8
5. आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.8	1.9
6. इक्विटी पर प्रतिलाभ	6.8	7.6

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.31 : एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

²⁷ एनबीएफसी-एनडी-एसआई का तात्पर्य ऐसी एनबीएफसी-एनडी से है जिनकी आस्तियां रु.5 बिलियन और उससे अधिक हैं।

²⁸ सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को छोड़कर।

2.42 मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी²⁹ के लिए अपेक्षित है कि वे टियर 1³⁰ और टियर 2 पूंजी युक्त न्यूनतम पूंजी रखें जो कि उनकी अपनी सकल जोखिम भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत से कम न हो। एनबीएफसी का सीआरएआर मार्च 2017 के 22.8 प्रतिशत के स्तर से कम होकर सितंबर 2017 में 22.5 प्रतिशत पर दर्ज हुआ (चार्ट 2.31)।

आघात-सहनीयता - दबाव परीक्षण

प्रणाली स्तर

2.43 सितंबर 2017 को समाप्त अवधि के लिए एनबीएफसी³¹ हेतु क्रेडिट जोखिम पर दबाव परीक्षण तीन परिदृश्यों के अंतर्गत कराया गया : जीएनपीए में (i) 0.5 एसडी, (ii) 1 एसडी और (iii) 3 एसडी की बढ़ोतरी। परिणामों से यह पता चला कि पहले परिदृश्य के मामले में इस क्षेत्र का सीआरएआर मामूली गिरावट दर्ज करते हुए 22.5 प्रतिशत से 22.4 प्रतिशत पर पहुंच गया। दूसरे परिदृश्य के मामले में सीआरएआर घटकर 22.3 प्रतिशत हो गया और तीसरे परिदृश्य में वह गिरावट दर्ज करते हुए 21.9 प्रतिशत पर दर्ज हुआ।

वैयक्तिक एनबीएफसी

2.44 वैयक्तिक एनबीएफसी से संबंधित दबाव परीक्षण के परिणामों से यह पता चलता है कि उपर्युक्त परिदृश्य (i) और (ii) में लगभग 7 प्रतिशत कंपनियां 15 प्रतिशत की न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असमर्थ हैं। तीसरे परिदृश्य के मामले में 10 प्रतिशत कंपनियां न्यूनतम विनियामक सीआरएआर मानदंड का अनुपालन करने में असमर्थ हैं।

भाग-IV


अंतरसंबद्धता³²

अंतर-बैंक³³ बाज़ार

2.45 अंतर-बैंक बाज़ार बैंकिंग संस्थाओं के लिए वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत होता है, हालांकि उसका आकार मार्च 2017

के लगभग रु.8 ट्रिलियन के स्तर से घटकर सितंबर 2017 में रु.7 ट्रिलियन हो गया। अंतर-बैंक बाज़ार मुख्य रूप से निधि-आधारित (कुल एक्सपोजर के लगभग 86 प्रतिशत तक) बना रहा और सितंबर 2017 में बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों में उसका लगभग 5.3 प्रतिशत का हिस्सा था (चार्ट 2.32)।

चार्ट 2.32 : अंतर-बैंक बाज़ार



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणनाएं।

²⁹ जमाराशि स्वीकार करने वाली और जमाराशि स्वीकार न करने वाली ऐसी एनबीएफसी शामिल हैं, जिनकी आस्ति का आकार रु.5 बिलियन और उससे अधिक है।

³⁰ 10 नवंबर 2014 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी-एनडी-एसआई (जिनकी आस्ति का आकार रु.5 बिलियन और उससे अधिक है) और जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी के लिए न्यूनतम टियर 1 पूंजी को संशोधित करके 10 प्रतिशत (पहले टियर 1 पूंजी 7.5 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती थी) तक कर दिया गया तथा इन संस्थाओं के लिए अपेक्षित है कि वे इसका अनुपालन चरणबद्ध तरीके से करें : मार्च 2016 के अंत तक 8.5 प्रतिशत और मार्च 2017 के अंत तक 10 प्रतिशत।

³¹ दबाव परीक्षण हेतु एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई को चुना गया।

³² इस विश्लेषण में प्रयुक्त नेटवर्क मॉडल का विकास प्रोफेसर शैरी मार्कोस (यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स) और डॉ. साइमन गियानसेन्टे (बाथ विश्वविद्यालय) द्वारा वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।

³³ इस विश्लेषण के प्रयोजन से सितंबर 2017 के अंत से संबंधित आंकड़े 80 अनुसूचित सहकारी बैंकों तक सीमित हैं। मौजूदा विश्लेषण में उल्लिखित अंतर-बैंक का तात्पर्य है बैंकों के बीच के सभी अल्पावधिक और दीर्घावधिक बकाया एक्सपोजरों का जोड़।


2.46 अंतर-बैंक बाज़ार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 62 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा बरकरार रहा, जिसके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का क्रमशः 26 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का हिस्सा था (चार्ट 2.33)।

2.47 अंतर-बैंक³⁴ बाज़ार में निधि आधारित एक्सपोज़र का बड़ा हिस्सा अल्पावधिक स्वरूप का है। अल्पावधिक (एसटी) निधि आधारित अंतर-बैंक एक्सपोज़र की संरचना से यह पता चलता है कि सितंबर 2017 में अल्पावधिक जमाराशियों का हिस्सा सबसे अधिक था और उसके बाद अल्पावधिक ऋणों का हिस्सा सर्वाधिक रहा। इसी प्रकार, दीर्घावधिक (एलटी) निधि आधारित अंतर-बैंक एक्सपोज़र की संरचना से यह पता चलता है कि ऋणों व अग्रिमों का हिस्सा सबसे अधिक रहा और उसके बाद दीर्घावधिक जमाराशियों और दीर्घावधिक कर्ज लिखतों का हिस्सा सर्वाधिक रहा (चार्ट 2.34)।

नेटवर्क संरचना और संबद्धता


2.48 बैंकिंग प्रणाली³⁵ की नेटवर्क संरचना³⁶, जो कि टियरबद्ध स्वरूप की है, से यह पता चलता है कि जहां तक

चार्ट 2.33 : अंतर-बैंक बाज़ार में विभिन्न बैंक समूहों की हिस्सेदारी



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणनाएं।

चार्ट 2.34 : निधि आधारित अंतर-बैंक बाज़ार की संरचना - सितंबर 2017




स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ परिकलन

³⁴ निधि आधारित गतिविधियों पर अधिक ब्योरेवार सूचना प्राप्त करने तथा अन्य वर्गों की जानकारी कम करने हेतु दिसंबर 2016 में एक संशोधित डेटा रिपोर्टिंग फॉर्मेट शुरू किया गया। अतः दिसंबर 2016 से पहले की अवधि से संबंधित आंकड़ों की तुलना पूर्ण रूप से करना संभव नहीं है।

³⁵ नेटवर्क आरेख में पहली बार अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ शामिल किया गया है।

³⁶ बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क का आरेखी निरूपण एक टियरबद्ध संरचना के अनुरूप है, जहां नेटवर्क के अंतर्गत विभिन्न बैंक अन्य बैंकों के साथ विभिन्न स्तर पर संबद्ध होते हैं। मौजूदा विश्लेषण में सबसे अधिक संबद्ध बैंक अंतरतम कोर (नेटवर्क आरेख के केंद्र में) में हैं। उसके बाद बैंकों को उनकी सापेक्ष संबद्धता के स्तर के आधार पर मध्य कोर, बाहरी और पेरिफेरी कोर में रखा गया है। टियरबद्ध नेटवर्क आरेख की रंगीन कोडिंग का तात्पर्य है नेटवर्क में विभिन्न टियरों से लिया गया उधार (उदाहरणार्थ, हरे लिंक अंतरतम कोर में बैंकों से लिए गए उधार को दर्शाते हैं)। प्रत्येक बॉल बैंकों का प्रतिरूप है तथा प्रणाली में अन्य बैंकों की तुलना में उनकी निवल स्थिति के अनुसार उनका भारांक निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैंक को जोड़ने वाली रेखाओं का भारांक बकाया एक्सपोज़रों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

चार्ट 2.35 : भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक+ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) (सितंबर 2017)




नोट : इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) और चयनित अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (एसयूसीबी) शामिल हैं।
 स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ और स्टाफ परिकल्पना।

प्रबल बैंकों का मामला है उनकी संख्या मार्च 2012 के नौ के स्तर से घटकर सितंबर 2017 में पांच हो गई (चार्ट 2.35)।

2.49 बैंकिंग प्रणाली (एससीबी) में अंतर-संबद्धता, जिसे संबद्धता अनुपात³⁷ द्वारा मापित किया जाता है, का स्तर 2012 से धीरे-धीरे घटता रहा है, जिससे यह पता चलता है कि कालांतर में बैंकों के बीच के लिंक/ संबंध की मात्रा में गिरावट आई है। तथापि, मार्च 2012 से सितंबर 2017 तक की अवधि में क्लस्टर गुणांक³⁸, जो कि स्थानीय अंतर-संबद्धता का परिचायक है, स्थिर बना रहा, जिससे यह पता चलता है कि बैंकिंग नेटवर्क में क्लस्टरिंग/ समूहन के मामले में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है (चार्ट 2.36)।

चार्ट 2.36 : बैंकिंग प्रणाली (एससीबी) की संबद्धता सांख्यिकी



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणनाएं।

³⁷ संबद्धता अनुपात : यह एक ऐसा आंकड़ा है, जो कि समूचे ग्राफ में नोड और सापेक्षित सभी संभावित लिंक के बीच संबंधों का मापक है।

³⁸ क्लस्टर गुणांक : नेटवर्कों में क्लस्टरिंग से यह माप किया जाता है कि किस प्रकार से प्रत्येक नोड अंतर-संबद्ध होता है। विशेषकर, इस बात की संभावना अधिक रहती है कि नोड के पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षकार) भी एक-दूसरे के पड़ोसी होते हैं। नेटवर्क के मामले में क्लस्टर गुणांक प्रणाली में बड़े पैमाने पर स्थानीय अंतर-संबद्धता के अनुरूप बढ़ता है।


वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क

2.50 समूची वित्तीय प्रणाली³⁹ में एससीबी सबसे बड़ा भागीदार हैं, जो द्विपक्षीय एक्सपोजर के लगभग 47 प्रतिशत का हिस्सा रखते हैं और उसके बाद म्यूचुअल फंडों का प्रबंध करने वाली आस्ति प्रबंध कंपनियों (एएमसी-एमएफ) का लगभग 15 प्रतिशत का हिस्सा है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पास 12 प्रतिशत का द्विपक्षीय एक्सपोजर था, वहीं, बीमा कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का प्रत्येक रूप से 9 प्रतिशत का एक्सपोजर रहा। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) का 7 प्रतिशत का एक्सपोजर था। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों और पेंशन निधियों (पीएफ) के मामले में वित्तीय प्रणाली में द्विपक्षीय एक्सपोजर का कुल मिलाकर लगभग एक प्रतिशत का हिस्सा रहा।

2.51 जहां तक अंतर-क्षेत्र⁴⁰ एक्सपोजर का मामला है, एएमसी-एमएफ के बाद बीमा कंपनियां प्रणाली में सबसे बड़ी निधि-प्रदाता रहीं। जबकि एनबीएफसी के बाद एचएफसी और एससीबी बड़े पैमाने पर निधियों का प्राप्तकर्ता रहे। समूचे वित्तीय क्षेत्र के साथ तुलना करें तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक दोनों निवल देनदारी स्थिति में थे, वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निवल प्राप्य स्थिति में रहे (चार्ट 2.37 और सारणी 2.6)।

2.52 जहां तक ऋणदाताओं (अर्थात् वित्तीय प्रणाली में अन्यो की तुलना में जो निवल प्राप्य स्थिति में हैं) का सवाल है मार्च 2017 की तुलना में सितंबर 2017 में एएमसी-एमएफ, एसयूसीबी, पीएफ और पीएसबी द्वारा दिए गए उधार की राशि में बढ़ोतरी हुई, वहीं, बीमा कंपनियों के मामले में इसमें कमी आई। उधारकर्ताओं के मामले में एआईएफआई (नाबार्ड, एक्विजम, एनएचबी और सिडबी) और एफबी द्वारा उधार ली गई निधियों में गिरावट दर्ज हुई,

चार्ट 2.37 : वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट (सितंबर 2017)



नोट : नमूने पर आधारित। प्राप्य और देय राशियों के अंतर्गत एक ही समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेनों की राशि शामिल नहीं है। लाल वृत्त निवल देय संस्थाओं के संकेत हैं और नीले वृत्त निवल प्राप्य संस्थाओं के संकेत हैं।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ परिकलन।

सारणी 2.6 : अंतर-क्षेत्र आस्तियां और देयताएं - सितंबर 2017

(रुपये - बिलियन में)

वित्तीय संस्था	प्राप्य राशि	देय राशि
पीएसबी	6163.2	2798.1
पीवीबी	2633.4	7328.8
एफबी	802.5	1000.9
एएमसी-एमएफ ⁴¹	7723.6	629.6
बीमा कंपनियां ⁴²	4684.2	158.7
एनबीएफसी ⁴³	453.5	6321.1
एसयूसीबी ⁴⁴	143.8	28.8
एआईएफआई (नाबार्ड, एक्विजम, एनएचबी, सिडबी)	1906.3	2266.6
पीएफ	491.0	8.2
एचएफसी ⁴⁵	368.2	4827.2

नोट : नमूने पर आधारित। प्राप्य और देय राशियों के अंतर्गत एक ही समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेनों की राशि शामिल नहीं है।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ परिकलन।

³⁹ एक ही समूह की संस्थाओं के बीच के एक्सपोजर के अंतर्गत वित्तीय प्रणाली का बृहत् विश्लेषण भी शामिल है।

⁴⁰ अंतर-क्षेत्र एक्सपोजर के अंतर्गत एक ही समूह की संस्थाओं के बीच के लेनदेन शामिल नहीं हैं।

⁴¹ नमूने के अंतर्गत 22 एएमसी-एमएफ शामिल हैं, जो म्यूचुअल फंड क्षेत्र की प्रबंधनाधीन आस्तियों के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं।

⁴² नमूने के अंतर्गत 21 बीमा कंपनियां शामिल हैं, जो बीमा कंपनियों की आस्तियों में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखती हैं।

⁴³ यह एनबीएफसी क्षेत्र का प्रतिनिधिक नमूना है और इसमें 34 कंपनियां (जमाराशि स्वीकारने वाली और गैर-जमाराशि स्वीकारने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियां दोनों) शामिल हैं।

⁴⁴ नमूने के अंतर्गत 20 एसयूसीबी शामिल हैं। अंतर-क्षेत्र नमूने के अंतर्गत 7 पीएफ भी शामिल हैं।

⁴⁵ एचएफसी के नमूने के अंतर्गत 15 संस्थाएं शामिल हैं।

जबकि एनबीएफसी, पीवीबी और एचएफसी के मामले में इसमें बढ़ोतरी हुई (चार्ट 2.38)।

एससीबी, एएमसी-एमएफ और बीमा कंपनियों⁴⁶ के बीच आदान-प्रदान

2.53 सितंबर 2017 के अंत की स्थिति के अनुसार वित्तीय प्रणाली से एएमसी-एमएफ को प्राप्य सकल राशि उनकी प्रबंधनाधीन औसत आस्तियों (एयूएम) के 38.2 प्रतिशत के आसपास रही। जबकि बैंकिंग प्रणाली को प्राप्य सकल राशि उनकी कुल आस्तियों के 9.8 प्रतिशत के आसपास रही।

2.54 सितंबर 2017 में बीमा और म्यूचुअल फंड क्षेत्रों दोनों के प्रति बैंकिंग क्षेत्र का सकल एक्सपोजर (प्राप्तियां) रु.238 बिलियन के आसपास रहा (जबकि मार्च 2017 में यह राशि रु.154 बिलियन थी)। इसी अवधि में बैंकिंग क्षेत्र के प्रति एएमसी-एमएफ और बीमा कंपनियों का कुल एक्सपोजर (सकल प्राप्तियां) रु.5.12 ट्रिलियन के आसपास था (जबकि मार्च 2017 में यह राशि रु.4.8 ट्रिलियन थी)।


एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर

2.55 एनबीएफसी वित्तीय प्रणाली, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (40 प्रतिशत) से सर्वाधिक निधि प्राप्त की गई, उसके बाद एएमसी-एमएफ (37 प्रतिशत) और बीमा कंपनियों (19 प्रतिशत) से निधि प्राप्त की गई, से निधियों की सबसे बड़ी निवल उधारकर्ता रहीं। एनबीएफसी द्वारा वित्तीय प्रणाली⁴⁷ से प्राप्त निधि के अंतर्गत एसयूसीबी, एचएफसी और पीएफ का हिस्सा कुल मिलाकर 4 प्रतिशत था (चार्ट 2.39)।

एचएफसी के प्रति एक्सपोजर

2.56 एचएफसी वित्तीय प्रणाली से निधि के निवल उधारकर्ता रहीं। एचएफसी द्वारा प्राप्त की गई निधियों में एएमसी-एमएफ (36 प्रतिशत), एससीबी (35 प्रतिशत), बीमा क्षेत्र (19 प्रतिशत) और एआईएफआई (8 प्रतिशत) का सर्वाधिक योगदानकर्ता थीं। एचएफसी द्वारा उधार ली


चार्ट 2.38 : संस्थाओं द्वारा दिए गए निवल ऋण (धनात्मक)/ लिए गए उधार (ऋणात्मक)



नोट : नमूने पर आधारित।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ परिकलन

चार्ट 2.39 : एनबीएफसी को एक्सपोजर




नोट : नमूने पर आधारित

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ परिकलन

⁴⁶ यह विश्लेषण 80 एससीबी और एएमसी-एमएफ के चयनित नमूनों तथा बीमा कंपनियों के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) तक सीमित है।

⁴⁷ इस पैरा में उल्लिखित संख्या उन एनबीएफसी के चयनित नमूने तक सीमित है, जो संक्रामकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और विनियमाधीन वित्तीय संस्थाओं के किसी नमूने के प्रति उनका द्विपक्षीय एक्सपोजर है।

चार्ट 2.40 : एचएफसी के प्रति एक्सपोज़र



नोट : नमूने पर आधारित।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ परिकलन

गई निधियों में एसयूसीबी, एनबीएफसी और पीएफ का कुल मिलाकर 2 प्रतिशत का हिस्सा था (चार्ट 2.40)।

पेंशन निधियों के प्रति एक्सपोज़र⁴⁸


2.57 पेंशन निधियां वित्तीय प्रणाली में निवल ऋणादाता रहीं। वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत पेंशन निधियों का लगभग 35 प्रतिशत का एक्सपोज़र (सकल प्राप्य राशियां) एनबीएफसी के प्रति रहा तथा 35 प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रति रहा तथा उसके बाद एचएफसी (20 प्रतिशत) और एआईएफआई (10 प्रतिशत) के प्रति था (चार्ट 2.41)⁴⁹

संक्रामकता विश्लेषण

एससीबी और एसयूसीबी

2.58 बैंकिंग प्रणाली में शोधन-क्षमता और चलनिधि जोखिमों के कारण एक या उससे अधिक बैंकों की विफलता होने की दशा में होने वाली संभावित हानियों का आकलन करने हेतु नेटवर्क साधनों के प्रयोग से एक संक्रामकता विश्लेषण किया गया (चार्ट 2.42)⁵⁰ संयुक्त एससीबी और एसयूसीबी⁵¹ की प्रणाली के लिए संयुक्त शोधन-क्षमता⁵²-चलनिधि⁵³ संक्रामकता के प्रभाव का आकलन किया गया।


चार्ट 2.41 : पेंशन निधियों का सकल एक्सपोज़र (प्राप्य राशियां)



नोट : इन एक्सपोज़रों को पेंशन निधियों के तुलन-पत्र में शामिल नहीं किया गया है, किंतु इन्हें पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित एनपीएस योजनाओं के तुलन-पत्र में शामिल किया गया है। यह विश्लेषण विनियमाधीन संस्थाओं के चयनित नमूने के बीच द्विपक्षीय एक्सपोज़र (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) तक सीमित है। नमूने पर आधारित।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ परिकलन

चार्ट 2.42 : संक्रामकता प्लॉट - बैंक की विफलता का प्रभाव



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ परिकलन

नोट : 'ट्रिगर' संस्था (अंतरतम काला नोड) की विफलता से उत्पन्न संक्रामकता संचरण प्रदर्शित किया गया है। हरे नोड सुदृढ संस्थाओं के संकेत हैं, वहीं काले नोड विफल संस्थाओं के संकेत हैं। लाल नोड उन संस्थाओं को दर्शाते हैं जो चलनिधिगत समस्याओं के कारण विफल हुईं।

⁴⁸ यह आंकड़ा पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/ प्रशासित सात पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित योजनाओं के एक्सपोज़र से संबंधित है।

⁴⁹ एसयूसीबी और बीमा कंपनियों (चयनित नमूने में शामिल) को दिया गया एक्सपोज़र शून्य रहा

⁵⁰ यह बैंकिंग प्रणाली में संक्रामकता का एक संचित्र निरूपण है। कार्यपद्धति के लिए अनुबंध-2 देखें। संक्रामकता विश्लेषण की दृष्टि से एससीबी के साथ-साथ पहली बार एसयूसीबी को भी शामिल किया गया है।

⁵¹ एसयूसीबी के मामले में यह मानते हुए कि विभिन्न प्रकार के बैंकों पर समान रूप से विनियम लागू होते हैं, उसी परिभाषा और मानदंड का प्रयोग किया गया जो एससीबी के मामले में लागू होता है।

⁵² चलनिधिगत आस्तियों का परिकलन निम्नानुसार किया गया है : अतिरिक्त एसएलआर + अतिरिक्त सीआरआर + एनडीटीएल का 11 प्रतिशत

⁵³ संक्रामकता विश्लेषण के लिए विफलता मानदंड निम्नानुसार लिया गया : 7 प्रतिशत से कम टियर 1 सीआरएआर

2.59 विश्लेषण से यह पता चला है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (ट्रिगर बैंक) की विफलता न केवल अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विपत्ति को बढ़ाती है, बल्कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों⁵⁴ की विपत्ति को भी बढ़ा देती है। जबकि किसी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक की विफलता का प्रभाव केवल अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों तक ही सीमित रहा (सारणी 2.7)। आगे विश्लेषण से यह पता चला कि शोधन-क्षमता का प्रभाव अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के मामले में अधिक महत्व रखता है और चलनिधि संक्रामकता का प्रभाव कम रहता है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर समष्टि-आर्थिक आघातों के बाद संक्रामकता प्रभाव

2.60 किसी भी बैंक की विफलता का संक्रामकता-प्रभाव उस स्थिति में बढ़ने की संभावना है जब अर्थव्यवस्था में सामान्यीकृत मंदी की परिस्थिति में बैंकिंग प्रणाली में समष्टि-आर्थिक आघातों के कारण विपत्ति पैदा हो जाए। संक्रामकता प्रभाव⁵⁵ का आकलन करने की दृष्टि से समष्टिगत दबाव परीक्षणों से वैयक्तिक बैंकों पर संक्रामकता आघातों के शुरुआती प्रभाव पर विचार किया गया, जहां बेसलाइन और दो (मध्यम और भयंकर) प्रतिकूल परिदृश्यों पर विचार किया गया (चार्ट 2.18 देखें)।⁵⁶

2.61 समष्टिगत दबाव परीक्षण के परिणाम पर संक्रामकता प्रभाव से यह पता चला है कि जहां तक टियर-1 पूंजी के संदर्भ में बैंकिंग प्रणाली को संक्रामकता (समष्टिगत आघात की प्रारंभिक हानि शामिल नहीं है) के कारण हुई अतिरिक्त शोधन-क्षमतागत हानियों का सवाल है वह बेसलाइन में 5.5 प्रतिशत, मध्यम स्तरीय दबाव में 8.1 प्रतिशत और भयंकर दबाव के परिदृश्यों में 8.8 प्रतिशत तक सीमित है। जहां तक संक्रामकता (समष्टिगत आघातों के कारण प्रारंभिक स्तरीय

सारणी 2.7 : संक्रामकता का अधिकतम प्रभाव वाले सर्वोच्च पांच बैंक - सितंबर 2017 (संयुक्त शोधन-क्षमता-चलनिधि संक्रामकता)

ट्रिगर बैंक (एससीबी)	चूकर्ता बैंकों की संख्या		शोधन-क्षमता संबंधी हानियां (टियर-1 पूंजी का प्रतिशत)	चलनिधिगत हानियां (चलनिधिगत आस्तियों का प्रतिशत)
	एससीबी + एसयूसीबी	एसयूसीबी		
बैंक 1	17	1	10.45	10.93
बैंक 2	10	0	4.45	9.55
बैंक 3	9	0	5.12	9.59
बैंक 4	6	0	3.17	6.51
बैंक 5	2	0	4.49	5.58

- नोट : 1. पूंजीगत हानि प्रणाली (एससीबी+एसयूसीबी) की टियर-1 पूंजी के प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है।
2. चलनिधिगत हानि प्रणाली (एससीबी+एसयूसीबी) की कुल चलनिधिगत आस्ति के प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है।
3. सर्वोच्च पांच बैंकों का चयन संक्रामकता में चूकर्ता बैंकों की संख्या के आधार पर किया गया है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ परिकलन

⁵⁴ पांच अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक संक्रामकता की शुरुआत में ही शोधन-क्षमता मानदंड की दृष्टि से विफल हो गए। तथापि, इन बैंकों के कारण संक्रामकता के चलते आगे और बैंकों की विफलता नहीं हुई। सारणी 2.7 में दर्शाए गए चूकर्ता बैंकों की संख्या में ये पांच शामिल नहीं हैं।

⁵⁵ चूक संबंधी मानदंड निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया गया है : टियर-1 सीआरएआर गिरावट दर्ज करते हुए 7 प्रतिशत से कम होना।

⁵⁶ समष्टिगत दबाव परीक्षणों के परिणामों का प्रयोग संक्रामकता विश्लेषण के इनपुट के रूप में किया गया है। इस हेतु निम्नलिखित अभिधारणाएं अपनाई गईं :


क) समष्टिगत दबाव परीक्षणों के लिए प्रयुक्त अनुमानित तुलन-पत्र की संरचना का प्रयोग आनुपातिक रूप से नेटवर्क संरचना हेतु किया गया;

ख) समष्टिगत परिदृश्य (सितंबर 2018 में अनुमानित टियर-1 सीआरएआर में कटौती के रूप में परिकलित, वहीं सितंबर 2017 में वास्तविक मूल्य के संदर्भ में परिकलित) के अंतर्गत अनुमानित हानियों का प्रयोग सितंबर 2017 पूंजी स्थिति के लिए यह मानते हुए किया गया कि सितंबर 2017 और सितंबर 2018 दोनों के लिए तुलन-पत्रगत संरचना आनुपातिक रूप से समान है।

ग) सितंबर 2017 और सितंबर 2018 दोनों में वित्तीय संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर संरचना समान है।

चूककर्ता बैंक शामिल हैं) के बाद चूककर्ता बैंकों की संख्या का प्रश्न है वह बेसलाइन में 8, मध्यम स्तरीय दबाव में 16 और भयंकर दबाव के परिदृश्यों में 18 होगी (चार्ट 2.43)।

चार्ट 2.43 : समष्टि-आर्थिक आघातों के बाद संक्रामकता प्रभाव - सितंबर 2018
(शोधन-क्षमता की संक्रामकता)



नोट : सितंबर 2018 में अनुमानित पूंजी को स्टोक होल्डरों द्वारा लगाई गई किसी भी पूंजी के प्रयोजन से हिसाब में नहीं लिया गया। इन अनुमानों का आकलन करते समय पूंजी-रिज़र्व में 25 प्रतिशत के न्यूनतम लाभ अंतरण की परिमित अवधारणा अपनाई गई।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ परिकलन।

अध्याय III

वित्तीय क्षेत्र : विनियम और विकास

वैश्विक बैंकों ने पूंजी और चलनिधि के संदर्भ में मज़बूती हासिल की है, तथापि, विदेशी उधार के संदर्भ में उनके कार्यकलाप की गति धीमी हुई है। जहां देशी मोर्चे का मामला है समाधान संबंधी विनियम दिवालियापन ढांचे में परिणत हुए हैं तथा इष्टतम समाधान हासिल करने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को लेकर स्टैकहोल्डरों को उचित रूप से संतुलन बनाए रखना पड़ा। नई दिवाला और दिवालियापन व्यवस्था, जो कि मई 2016 में विद्यमान हुआ, ने दिवाला संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने की दृष्टि से बाज़ार-उन्मुख और समयबद्ध तंत्र की शुरुआत की है। चूंकि बैंकों के पुनर्पूजीकरण की सफलता को सुनिश्चित करने में कॉरपोरेट गवर्नेंस की भूमिका अहम होती है, अतः सरकार ने पुनर्पूजीकरण हेतु निधि प्रदान करते समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गवर्नेंस संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए व्यक्त रूप से प्रतिबद्धता जताई है।

म्यूचुअल फंड (एमएफ) निवेशों और पेंशन योजनाओं के रूप में की गई वित्तीय बचत में न केवल बढ़ोतरी होती रही, बल्कि वह स्थानिक वितरण और निवेशक प्रोफाइल के संदर्भ में व्यापक स्वरूपी हो गई है। फिनटेक में बैंकिंग के अनुरूप विस्तार हो रहा है और पारंपरिक बैंकों की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का परीक्षण कर रहा है। त्वरित रूप से बदलते परिचालनात्मक वातावरण और बैंकों के साइबर मोर्चे संबंधी अनुवर्ती जोखिमों के मद्देनज़र साइबर आघात-सहनीयता को सुनिश्चित करने हेतु सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों ने कई कदम उठाए हैं।

सेबी ने पण्यवस्तु डेरिवेटिव बाज़ार को और मज़बूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके अंतर्गत 'डिलिवरबल सप्लाइ' की तुलना में कृषि पण्यवस्तुओं की ओपन पज़िशन सीमाओं में सुधार करने से संबंधित सिद्धांतमूलक पद्धति शामिल है। जहां तक पर्यवेक्षण मोर्चे का सवाल है आईआरडीएआई और पीएफआरडीए ने अपने विनियमाधीन संस्थाओं के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) हेतु पहल की है। रिज़र्व बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग ग्राहकों के मामले में अप्राधिकृत/ कपटपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों और सुविधाओं में ग्राहक देयताओं से संबंधित अपने अनुदेशों की समीक्षा की है। इसी प्रकार सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीएआई ने अपने ग्राहक संरक्षण ढांचे को मज़बूत किया है।

'इतिहास अपने आपको दोहराता नहीं है, लेकिन वह अक्सर तुकबंदी करता है' - मार्क ट्वेन

भाग-क

अंतरराष्ट्रीय और देशी विनियामकीय गतिविधियां


1. बैंक

क. अंतरराष्ट्रीय विनियामकीय गतिविधियां

3.1 वैश्विक स्तर पर पूंजी और चलनिधि के परिप्रेक्ष्य में बैंकों की आघात-सहनीयता मज़बूत होती रही।¹ तथापि, 2017 की दूसरी तिमाही (चार्ट 3.1) में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग गतिविधि में सुस्ती आई, जबकि 2017 की पहली तिमाही² में सुधार हुआ था। परिणामस्वरूप 2017 की दूसरी तिमाही में विदेशी बैंक क्रेडिट के स्तर में पिछली तिमाही² के स्तर की तुलना में \$91 बिलियन की गिरावट दर्ज हुई।

3.2 ओवर-द काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाज़ार से प्रणालीगत जोखिम का कम किया जाना बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति

चार्ट 3.1 : वैश्विक बैंकिंग गतिविधि



स्रोत : जून 2017 के अंत से संबंधित बीआईएस अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी

¹ <https://www.bis.org/bcb/publ/d416.pdf>


² जून 2017 के अंत से संबंधित बीआईएस अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी

आयोग संगठन (आईओएससीओ) द्वारा शुरू किए गए संकटोत्तर सुधार कदमों का एक मुख्या पहलू रहा। बीसीबीएस और आईओएससीओ द्वारा मई 2015 में संयुक्त रूप से जारी 'अकेंद्रित समाशोधित व्युत्पन्नियों के लिए मार्जिन आवश्यकताएं' मानक के देरी से लागू होने के बावजूद, ओटीसी व्युत्पन्नियों की मात्रा में उनके सकल बाजार मूल्य³ की तुलना में काफी कमी आई है। चार्ट (3.2)

3.3 बीसीबीएस द्वारा जारी वर्तमान मानकों और दिशानिर्देशों में 'जोखिम स्टेप इन की पहचान और प्रबंधन'(अक्टूबर 2017) शामिल है। ये जी 20 पहल का हिस्सा हैं जो आभासी बैंकिंग प्रणाली के निरीक्षण और विनियमन को मजबूती प्रदान करता है ताकि आभासी बैंकिंग संस्थाओं के प्रभाव में आए बैंकों के जोखिमों को कम किया जा सके। दिशानिर्देशों के अनुसार 'स्टेप इन जोखिम' वह जोखिम है जिसका समना बैंक तब करता है जब वह एक ऐसे असंगठित संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लेता है जो ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए किसी अनुबंध संबंधी दायित्वों⁴ की अनुपस्थिति में या उसकी अधिकता से अधिक दवाब का सामना कर रही होती है।

3.4 इसी बीच, कंपनियों के उच्च ऋण और ब्याज व्यय ने उभरते संदर्भ में जिससे ऐसे कर लाभ को अत्याधिक

चार्ट 3.2 : ओटीसी व्युत्पन्नी और केंद्रीय समाशोधित सीडीएस



स्रोत: जून 2017 के अंत में बीआईएस ओटीसी व्युत्पन्नी सांख्यिकी

प्रोस्ताहन मिल सकता है, कर कटौती व्यय के रूप में ब्याज अदायगी की मंजूरी के स्पष्टीकरण के लिए बहस शुरू हो गई। इससे प्रोत्साहन संरचना में फेरबदल द्वारा अभिशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है। (बाक्स 3.1)

बाक्स 3.1: पूंजी संरचना- कर्ज और ईक्विटी

यूएस विधान मंडल में वर्तमान कर सुधार पर चर्चा की गई जिसका उद्देश्य था ब्याज व्यय पर कर कटौती को सीमित कर वित्तपोषण के माध्यम से तटस्थता को बढ़ावा देना। वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन को हटाने जैसे उपायों से राजस्व बढ़ेगी और वित्तीय स्थिरता में भी वृद्धि होगी। अक्टूबर 2016 के आईएमएफ प्रलेख में यह बतलाया गया है कि अत्यधिक निजी लीवरेज से उत्पन्न समष्टि आर्थिक स्थिरता का जोखिम कर विकृतियों द्वारा काफी बढ़ जाता है। लेकिन कम लीवरेज की प्रत्यक्ष वेलफेयर को बढ़ाने की सुविधा के अलावा, फर्मों की वित्तीय संरचनाओं के बारे में चिंता करने के अन्य क्या कारण हैं? यह विषय विशेषकर मोडिगलिनी और मीलर(1958,1963)(एम एम) के विचारों के असाधारण नतीजों पर उपयुक्त बैठती है जिसके अनुसार एरो डेब्रू परिवेश (सम्पूर्ण बाजार, लेने-देन रहित लागत, कर रहित, दिवालियापन लागत रहित) के अंतर्गत फर्म का मूल्य/महत्व वित्तीय संरचना या लाभांश नीति से अप्रभावित रहती है। कर्ज का कर लाभ फर्म के मूल्य को बढ़ा सकती है जबकि कर्ज पूंजी की प्रभावी लागत

को घटा सकती है। हालांकि मीलर(1977) ने इस प्रस्ताव को सामने लाते हुए कहा है कि फर्म उच्च ब्याज दर के माध्यम से ऋणदाता को व्यक्तिगत कर के कारण होने वाली हानि की पूर्ति कर्ज के कर लाभ से हो जाती है। यह ऋण की कर कटौती योग्यता के लाभ को नकारती है और इसलिए मिलर एमएम का ऋण पर ब्याज की कर कटौती का प्रस्ताव अभी भी मान्य है। अन्य लोगों ने (डीएनजो और मसुलिस, 1980) ने यह प्रस्ताव दिया है कि ऋण की वित्तीय संकट की लागत ऑफसेट से कम से कम कुछ कर लाभ है।

हालांकि निष्कर्षतः मौद्रिक नीति संचालन पर ब्याज दर में कटौती की वापसी का प्रभाव और एक विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्रेडिट मध्यस्थता विशिष्ट विकृतियों की जांच करने की अनुमति देगा, जिससे ब्याज दरों की कर कटौती शुरू हुई है। चूंकि लीवरेज के साथ ब्याज खर्च में विषम रूप से बढ़ोतरी हुई है, ब्याज दर कटौती के बिना संतुलित लीवरेज अनुमानित ईबीआईटी के किसी भी दिए गए स्तर पर एक फर्म के लिए

(जारी....)

³ सकल बाजार मूल्य: सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिस्थापन मूल्यों के साथ सभी बकाया डेरिवेटिव के पूर्ण मूल्यों का योग, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्यों पर मूल्यांकित की गई। यह बकाया प्रतीकात्मक राशि से बाजार का अधिक अर्थपूर्ण उपाय और प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम प्रदान करता है।

⁴ थर्ड पार्टी को प्रदान किए गए बैंकों की संविदात्मक प्रतिबद्धताएं मौजूदा विवेकपूर्ण उपायों जैसे पूंजी और तरलता शुल्क के अधीन हैं।

कम होगी। वित्तीय संरचना में इक्विटी की इस सापेक्ष प्रबलता से इसका अर्थ यह होगा कि परिसंपत्ति मूल्य चैनल संचरण तंत्र में एक प्रमुख भूमिका है निभाएगी। यदि विकसेलियन तटस्थ बचत-निवेश अंतराल का कार्य है तो ब्याज दरों पर कर कटौती को स्पष्टतः समाप्त करना वित्त के लिए अनुकूल होगा। इससे तटस्थ ब्याज दर में भी कमी आएगी।⁵

एम एम प्रस्ताव यह है कि कर्ज और इक्विटी के मिश्र के प्रति वित्तपोषण की कुल लागत अपरिवर्तनीय रहती है और वास्तविक जगत में मात्र कल्पना के स्तर पर उपयोगी होता है। विभिन्न स्तरों पर एजेंसी संबंधी समस्याओं (प्रबंधकीय टीम, विशिष्ट दावा धारक) का अर्थ यह भी है कि फर्म का मूल्य बहिर्जात तौर पर नहीं दिया जाता है (जेंसन एंड मेकलिंग 1976, मायर्स 1977, रॉस 1977), बल्कि उसके मूल्य के निर्धारण में वित्तीय संरचना भी मायने रखती है। किए जाने वाले अनुसंधान के प्रयास भी एक सीमा के भीतर गवर्नेंस तंत्र के रूप में कर्ज की भूमिका पर फोकस करते हैं। फिर भी, एमएम मूलभूत सिद्धांत यह अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि उच्च इक्विटी कर्ज एवं इक्विटी दोनों के जोखिमपूर्ण होने की संभावना को कम करती है, अतः रिटर्न की अपेक्षित दर को कम करती है एवं वास्तविक जगत में वित्तपोषण संरचना में सामंजस्य बिठाने में सही-सही अनुमान प्रस्तुत करती है। इसलिए, अमरीका में कर नीति के संबंध में प्रस्तावित कानूनी सुधार जिसका लक्ष्य वित्तीय व्यवस्था को कराधान से अलग रखना है, से यह उम्मीद की जाती है कि वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगी।

संदर्भ:

1. डी एंजेलो, एच. एंड आर डबलू मसूलिस(1980), ' कार्पोरेट एवं वैयक्तिक कराधान के अंतर्गत इष्टतम पूंजी संरचना' जर्नल आफ फार्नेशियल इकानामिक्स, 8:3-27
2. आईएमएफ फालिसी पेपर(2016), 'कर नीति, लीवरेज और समष्टि आर्थिक स्थिरता, अक्टूबर 2016'
3. एम जेंसन, एंड डबलू आर मेकलिंग(1976), 'फर्म का सिद्धांत, प्रबंधकीय व्यवहार, एजेंसी लागत तथा स्वामित्व संरचना,' जर्नल आफ फार्नेशियल इकानामिक्स, 3:305-360
4. एफ माडिगलियानी, एंड एम.मिलर(1958), 'पूंजी की लागत, कारपोरेट वित्त और निवेश सिद्धांत', अमेरिकन इकानामिक रिव्यू, 48:261-297
5. एफ माडिगलियानी, एंड एम.मिलर(1958), ' कारपोरेट आयकर और पूंजी की लागत: एक सुधार', अमेरिकन इकानामिक रिव्यू, 53:433-443
6. एम.मिलर(1977), ' कर्ज एवं कर', जर्नल आफ फिनांस, 32:261-275
7. एस. मायर्स (1977), कार्पोरेट उधार के निर्धारक तत्व, जर्नल आफ फार्नेशियल इकानामिक्स, 5:147-175
8. एस. रास (1977), वित्तीय संरचना के निर्धारक तत्व: प्रोत्साहक संकेत दृष्टिकोण, बेल जर्नल आफ इकानामिक्स, 8:23-40
9. रूड डी मुईज एंड शफीक हेबस, 'कारपोरेट कर्ज के पूर्वाग्रह को समाप्त करना: क्या ब्याज कटौती के प्रति सीमाएं कार्य करती हैं?', आईएमएफ वर्किंग पेपर, डबल्यूपी 17/22

बी. घरेलू बैंकिंग : उठान भरने की तैयारी

3.5 वर्ष 1932 में, बर्ले एंड मीन्स⁶ द्वारा लिखित पुस्तक जो अपने दौर से आगे मानी जाती है, उसमें लिख गया है कि बिखरा हुआ स्वामित्व महत्वपूर्ण प्रबंधकीय स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसका काफी हद तक दुरुयोग किया जा सकता है। इस कथन ने बाद में अकादमिक हलके में कारपोरेट गवर्नेंस एवं कार्पोरेट वित्त के बारे में चिंतन को प्रारंभ किया। हाल के वैश्विक संकट एवं और दोहरे तुलनपत्र⁷ संबंधी संकट को यदि हम घरेलू स्तर के निकट रखकर देखें तो यह बात पक्की हो जाती है कि प्रबंधकीय स्वतंत्रता से उत्पन्न जोखिम मात्र अकादमिक जोखिम नहीं हैं। सरकारी क्षेत्र के

बैंकों के पुनः पूंजीकरण की हाल की घोषणा ने तार्किक रूप से यह बहस पैदा कर दी है कि क्या यह डूबे हुए धन के पीछे अच्छा धन फेकने जैसा प्रकरण तो नहीं है। अधिकांश टिप्पणियां इस बात पर फोकस करती हैं कि इसके पीछे बोर्ड की निगरानी में कमी एवं फलस्वरूप सुधारात्मक उपाय न करना रहा है। वस्तुतः बोर्ड अधिकृत रेगुलेटर्स द्वारा बनाई गई रेगुलेटरी संरचना के तहत कार्य करते हैं तथा उन्हें उपकब्ध सूचनाओं के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। वे आंतरिक नियंत्रण एवं गवर्नेंस प्रणाली की पर्याप्तता का भी पुनर्मूल्यांकन करते हैं जो आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर आधारित होता है, जबकि बाह्य रूप से की गई लेखापरीक्षा

⁵ कराधान के उपाय घरेलू या कार्पोरेट बचत पर प्रथम ऑर्डर प्रभाव की संभावना नहीं है, हालांकि ऋण और इक्विटी के बीच बचत मिश्रण में संशोधन होने की संभावना है।

⁶ बर्ले, ए, जूनियर और जी। मीन्स (1932), द मॉडर्न कार्पोरेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. शिकागो: कॉमर्स क्लियरिंग हाउस

⁷ दोहरे तुलन-पत्र की समस्या (टीबीएस) में दो तुलन-पत्र संबंधी समस्याओं का संदर्भ दिया गया है- कंपनी के तुलन-पत्र में अधिक लीवरेज और बैंकों के तुलन-पत्र में खराब आस्तियों से संबंधित समस्या।

उनके कार्यनिष्पादन के बारे में तीसरी पार्टी द्वारा मूल्यांकन प्रदान करने के समान है। हाल के संकट की जो तीव्रता थी वह यह सबक सिखाती है कि ये लेखापरीक्षाएं प्रत्येक सतह पर कितनी असरदार हैं जो बैंक के कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करती हैं। बोर्ड इसमें सुधार के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है जिसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है:

- प्रभावी निगरानी के लिए डाटा की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार लाना,
- समाधान प्रणाली को मज़बूत बनाना,
- सुधार लाए गए बैंकिंग क्षेत्र के लिए पूंजी एवं गवर्नेंस की समस्या का समाधान देना

प्रभावी निगरानी के लिए डाटा की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार लाना

3.6 आर्थिक सिद्धांतों ने बहुत पहले से ऋण बाज़ार के लिए सूचना की भूमिका पर ज़ोर दिया है। जेफ एंड रसेल(1976) और स्टिग्लिज़ एंड वेड्स(1981) ने यह लिखा है कि उधारकर्ता एवं उधारदाता के बीच सूचनाओं की असमानता से प्रतिकूल चयन की समस्या पैदा होती है तथा नैतिक खतरा उत्पन्न होता है तथा ऋण की सही-सही कीमत आंकना असंभव बना देती है अर्थात् सूचनाओं की असमानता बाज़ार में ब्याज-दर को स्पष्टता की भूमिका का निर्वाह करने से रोकता है। सूचनाओं की असमानता काफी हद तक कम

हो जाती है यदि उधारदाता को उधारकर्ता की साख के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाए। इस संदर्भ में, बड़े ऋणों के बारे में सूचना की केंद्री रिपाजिटरी रखने से महत्वपूर्ण हितधारकों के बीच सुछनाओं के आदान-प्रदान में आसानी होगी। भारत ने पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना करने में प्रारंभिक कदम उठा लिया है।

3.7 कानूनी संस्था पहचानकर्ता कोड, जिसे वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है, को क्रमिक तरीके से पेश किया जा रहा है। कानूनी संस्था पहचानकर्ता प्रणाली शुरू में ओवर-द-काउंटर मार्केट में सभी प्रतिभागियों के लिए पेश की गई थी। इसके बाद, बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं (500 मिलियन और उससे अधिक के कुल निवेश) के लिए कानूनी संस्था पहचानकर्ता की चरणबद्ध रूप से घोषणा की गई है, जो धीरे-धीरे छोटे कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए लागू कर दी जाएगी।

समाधान प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

3.8 इस समय बैंकिंग उद्योग में खराब आस्तियों का निर्धारण करना तथा दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान ये दो पहलू हैं, जो वर्तमान में बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं (बाक्स 3.2)।

बाक्स 3.2: समाधान हेतु विनियमन

जहां रिज़र्व बैंक की मुख्य चिंता यह है कि कि बैंक की गतिविधियों को विवेकपूर्ण तरीके से चलाते हुए जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वहीं रिज़र्व बैंक का फोकस यह भी रहा है उधारकर्ताओं के लिए यह आसानी पैदा की जाए कि उन्हें अपनी कारोबारी गतिविधियों को चलाने के लिए लगातार समयबद्ध रूप से पर्याप्त ऋण प्राप्त होता रहे। वास्तविक क्षेत्र के तुलनपत्र की सेहत, बैंक की बैलेंस शीट्स की सेहत को और इसके विपरीत स्थिति को सुनिश्चित करता है। इसलिए, बैंकों को उनकी दबावग्रस्त आस्तियों का पोषण करने के लिए सुविधा देने के लिए बैंकों को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, इसे उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के हितों को निरूपित करने के लिए विनियामक की एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए।

इन विनियमों को बनाने में 'प्रशंसा और दण्ड' दृष्टिकोण के संबंध में रिज़र्व बैंक काफी विवेकपूर्ण रहा है, इन विनियमों ने

यह भी सुनिश्चित किया है कि कारोबार में उधारकर्ता सुरक्षित बने रहे हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की पुनर्चना और समाधान के संबंध में समय के साथ अपने विनियामक दृष्टिकोण को विकसित किया है।

ऋण और अग्रिमों की आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में, रिज़र्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण उपाय के रूप उधारकर्ता खातों के लिए 'स्वास्थ्य कोड प्रणाली' की शुरुआत सबसे पहले नवंबर 1985 में की गई थी। हालांकि, पुनर्चित खातों के आस्ति वर्गीकरण का स्पष्ट उल्लेख 1992 में वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों⁸ के साथ ही शुरू हुआ।

आस्ति, जहाँ उत्पादन शुरू होने के बाद ब्याज और मूलधन से संबंधित ऋण करार की शर्तों को पुनः तय अथवा पुनर्योजित किया जाता रहा है, उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया

(जारी....)

⁸ वित्तीय प्रणाली पर समिति की संस्तुतियां (अध्यक्ष: एम नरसिंहम)

जाना है और पुनर्निर्धारण और पुनर्योजन की शर्तों के तहत कम से कम दो वर्षों तक संतोषजनक कार्यनिष्पादन के लिए इसी वर्ग में रखा जाना है। बाद में इस अवधि को कम करके मई 1999 में 1 वर्ष कर दिया गया।

सामूहिक ऋण और बहु बैंकिंग व्यवस्था के तहत बड़े खातों का समाधान करने की आवश्यकता महसूस होने पर कॉरपोरेट ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) कक्ष की स्थापना 2001 में की गई। प्रारंभिक अवधि के दौरान, सीडीआर कोर ग्रुप की विशिष्ट सिफारिशों पर सीडीआर प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए रिजर्व बैंक ने प्राधिकार अपने पास रखा था, लेकिन बाद में ये शक्तियां सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह और सीडीआर स्थायी फोरम को सौंप दी गईं। ये दोनों बैंकों के उच्च प्रबंधन में भागीदारी करने वाले उच्च स्तरीय निकाय हैं।

अग्रिमों के पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण मानदंडों को अगस्त 2008 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया और सशक्त करारों और शर्तों के अधीन पुनर्रचना पर आस्ति वर्गीकरण लाभों की अनुमति प्रदान की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आस्ति वर्गीकरण लाभ के साथ केवल व्यवहार्य खातों की पुनर्रचना की जाए। हालांकि, तथ्य यह है कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद हुई इस व्यापक समीक्षा ने बैंकों को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय (सीडीआर) आधार पर बड़े पैमाने पर अपने ऋण पोर्टफोलियो को पुनर्रचित करना पड़ा। जनवरी 2012 में गठित एक कार्यरत समूह ने उक्त सहनशीलता से पैदा होने वाले नैतिक खतरे की व्यापक जांच की। उनकी सिफारिशों पर 1 अप्रैल, 2015 से पुनर्रचना पर आस्ति वर्गीकरण लाभों को हटा लिया गया।

लेनदारों में सूचना विषमता के समापन हेतु, जनवरी 2014 में रिजर्व बैंक ने 'अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए फ्रेमवर्क' जारी किया। इसके आने पर बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार की स्थापना (सीआरआईएलसी) और जब बड़े उधार खाते में प्रारंभिक चेतावनी संकेत दिखाई पड़ते हैं, संयुक्त ऋणदाता मंच के अनिवार्य गठन की आवश्यकता महसूस की गई। गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की बिक्री सूचना साझा नहीं करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई, बेहतर ऋण

प्रबंधन, 'गैर-सहकारी' उधारकर्ता वर्ग का आरंभ और उन पर प्रतिबंध आदि के लिए विनियमनों का उल्लेख भी फ्रेमवर्क में किया गया है।

परियोजना ऋण के लिए जेएलएफ संरचना में विशिष्ट ऋण संरचना उपकरण की अनुपूरक व्यवस्था की गई, इस योजना का आरंभ जुलाई 2014 में हुआ तथा इसे 5/25 योजना के नाम से जाना जाता है। असफल पुनर्रचना निरंतर जारी रहने के कारण बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में डूबंत ऋणों का संचय होने पर, अप्रभावी प्रबंधनों को निकासी की सुविधा प्रदान करने के विचार से रिजर्व बैंक ने कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना (एसडीआर) योजना का आरंभ किया। हालांकि, इससे वांछित परिणामों की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि बैंकों से बाद में ऐसी कंपनियों का कार्यभार स्वीकार करने वाले हितधारकों की संख्या काफी कम रही। अधिक लीवरेज वाले दबावग्रस्त खातों, जहाँ कर्ज को वहनीय स्तर तक कम किए जाने पर कंपनी का मूल्य अनलॉक किया जा सकता है, के लिए एसडीआर के बाद गहन पुनर्रचना योजना के रूप में दबावग्रस्त आस्तियों की वहनीय संरचना (एस4ए) की शुरुआत की गई थी।

इन उपायों के बावजूद, व्यापक दिवालियापन तंत्र का अभाव, बैंकों के ऋण संविभागों की स्थिति की बहाली के प्रयासों में एक बड़ी बाधा साबित हो रहा था। सरकार द्वारा मई 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की अधिसूचना के बाद इस कमी को दूर किया गया। जून 2016 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और अक्टूबर 2016 में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के रूप में विनियामक रूपरेखा की स्थापना की गई। सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करके आईबीसी के प्रावधानों के तहत चूककर्ता के संबंध में दिवाला संकल्प प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी बैंकिंग कंपनी अथवा बैंकिंग कंपनियों को दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति रिजर्व बैंक को प्रदान की है। रिजर्व बैंक ने सक्रिय कदम उठाते हुए, वस्तुनिष्ठ और गैर-विवेकाधीन तरीके से सलाह देने हेतु प्रमुख रूप से अपने स्वतंत्र बोर्ड सदस्यों को शामिल करते हुए एक आंतरिक सलाहकार समिति (आईएसी) का गठन किया।

3.9 मई 2016 में आईबीसी कोड की घोषणा एक ऐतिहासिक घटना है- इसने पुरानी डूबंत आस्तियों के मूल्यांकन को आधार प्रदान किया है। मूल्यांकन मुद्दे के कारण जब ऐसी आस्तियों को विभिन्न आस्ति पुनर्निर्माण मध्यस्थों को अंतरण करना प्रभावी नहीं बन पाया, तब आईबीसी की नीलामी व्यवस्था ऐसी आस्तियों को विशिष्ट रूप से नीलाम करने की अनुमति प्रदान करता है। समान अवधि के प्रोफाइल वाली आस्तियों में निहित मूल्य की संभावी वसूली के लिए इस व्यवस्था में उल्लेख है। समाधान

के तहत किसी कंपनी का अधिग्रहण करने हेतु इरादतन चूककर्ताओं और अन्य अनैतिक प्रवर्तकों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने हाल ही में आईबीसी को सख्त किया है।

3.10 घरेलू बैंकों में हानि संकट ने महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवधि में दीर्घकालिक परियोजनाओं के मूल्यांकन के संबंध में कुछ मूलभूत कमियों को उजागर किया है। ऐसी परियोजनाओं का अधिकतम भाग समूह ऋण के रूप में प्रदान किया गया, जिसका मूल्यांकन व्यावसायिक व्यापारी बैंकों द्वारा किया जा रहा है और इसके कारण हित संघर्ष पैदा होता है

(क्योंकि इनके शुल्क का भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाता है)। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं को उच्च लीवरेज के साथ परियोजना वित्तीय सुविधाकरण में समाहित किया जाता है। विशेष प्रयोजन वाहक पथ (एसपीवी) के माध्यम से ऐसी जोखिमयुक्त परियोजनाओं में निहित समस्याओं के विषय में कई बार बैंकों को स्पष्ट जानकारी नहीं होती थी। इसके अलावा, कई हितधारकों की भागीदारी के कारण दीर्घकालिक अवधि के पीपीपी करार जटिल प्रकृति के होते हैं और पारस्परिक लाभ के लिए इसके उद्देश्यों को पंक्तिबद्ध करने की आवश्यकता है। पीपीपी

परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की करार एजेंसियों, निजी छूटग्राहियों, बैंकों आदि सहित सभी हितधारकों के द्वारा अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए।

संशोधित बैंकिंग क्षेत्र के लिए पूंजी और शासन प्रणाली संबंधी आवश्यकताएं

3.11 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पिछले वर्षों में स्थापित समितियों / कार्यसमूहों ने एकरूपता से यह कहा है कि पीएसबी का कार्यप्रणाली में कुछ संरचनागत पहलू हैं जो उन्हें विशेषरूप से संवेदनशील बनाते हैं। लेकिन, सिफारिशों

बॉक्स 3.3: पीएसबी में शासन प्रणाली- पूर्व समितियों के विचार

i. कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पुनर्रचना पर कार्यसमूह⁹

वर्ष 1999 में कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय, संगठनिक और परिचालन पुनर्रचना की कार्यनीतिक योजना सुझाने के उद्देश्य से एक कार्यसमूह (डब्ल्यूजी) की स्थापना की गई जिसमें इंडियन बैंक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक को कमजोर¹⁰ बैंकों के रूप में चिह्नित किया गया था। कार्यसमूह ने पाया कि इन पीएसबी की कमजोरियाँ तीन क्षेत्रों से संबंधित हैं- परिचालन, मानव संसाधन और प्रबंधन जिसके परिणाम से अपर्याप्त प्रबंधन योजना, अप्रभावी निर्णय और निम्न स्टाफ उत्पादकता घटित हो रही हैं। डब्ल्यूजी ने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हुए बताया कि पिछले सात वर्षों में इन तीन बैंकों में 6740 करोड़ के निवेश के बाद भी, उनकी बुनियादी कमजोरियाँ जारी रही हैं। बैंकों द्वारा पर्याप्त व्यवसाय हासिल करने या लागत कम करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं होने से, भारत सरकार द्वारा बिना किसी शर्त के किया गया पुनर्पूँजीकरण एक नैतिक जोखिम साबित हुआ है।

कार्यसमूह ने तीन व्यापक विकल्पों यानी विलयन, बंदी और निजीकरण पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि तब के समस्त तीनों विकल्प उस परिस्थिति में उपयुक्त नहीं थे। इसलिए, उन्होंने सशर्त पुनर्पूँजीकरण के साथ व्यापक परिचालन और वित्तीय पुनर्गठन की सिफारिश की, साथ ही पुनर्गठन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कानूनी परिवर्तन और संस्था निर्माण के लिए प्रणालीगत पुनर्रचना की सिफारिश भी की।

ii. भारत में स्थित बैंकों के बोर्डों के प्रशासन की समीक्षा हेतु समिति¹¹

हाल ही में, जनवरी 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के बोर्डों के प्रशासन की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने इस विषय पर विस्तृत निदान प्रस्तुत किया कि पीएसबी कैसे कमजोर हो गए और यह भी स्पष्ट किया कि जब तक उनके प्रशासन में सुधार नहीं होते उनकी स्थिति खराब होती जाएगी। इसके साथ-साथ समिति ने पाया कि यदि पीएसबी का प्रशासन ऐसा ही बना रहा तो न्यून उत्पादकता, आस्ति गुणवत्ता में ह्रास और स्पर्धा हीनता बने रहने की स्थिति में, इन बैंकों के पुनर्पूँजीकरण से सतत राजकोषीय लागत होगी जिससे राजकोषीय सुदृढीकरण तथा राजकोषीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ेगा और इसके फलस्वरूप सरकार की शोधन क्षमता प्रभावित होगी। समिति ने दो विकल्पों पर विचार किया - निजीकरण (विलयन के माध्यम से निजीकरण) अथवा पूरी तरह से पृथक बाजार उन्मुख प्रशासन संरचना के तहत पीएसबी का परिचालन।

समिति की प्रमुख संस्तुतियाँ निम्न के प्रति लक्षित थीं- (i) एक स्वतंत्र बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) द्वारा चयन के माध्यम से बोर्डों की गुणवत्ता में सुधार और (ii) स्वामित्व दावों के निष्क्रिय प्रबंधन के माध्यम से सरकार के हस्तक्षेप संबंधी जोखिम को हटाकर बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना। बीबीबी के गठन और पीएसबी के शीर्ष प्रबंधन की नियुक्ति जैसी कुछ सिफारिशें लागू की गई हैं। समिति ने पीएसबी के लिए अतिरिक्त टीयर -1 पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाया है यानी तीन भिन्न परिदृश्यों में वित्तीय वर्ष 2018 तक 2.10 ट्रिलियन, 3.1 9 ट्रिलियन और 5.87 ट्रिलियन का अनुमान है

⁹ <https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?FromDate=10/04/99&SECID=21&SUBSECID=0> पर उपलब्ध है।

¹⁰ बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर समिति (सीबीएसआर) द्वारा संस्तुत दो मूल मापदंडों के आधार पर कार्यसमूह ने कमजोर बैंकों को चिह्नित किया - (क) संचित घाटे और निवल एनपीए बैंक के निवल मूल्य से अधिक हो, अथवा (ख) पुनर्पूँजीकरण बॉण्ड पर आय से परिचालन मुनाफा घटाने पर आय, लगतार तीन साल से नकारात्मक रहे, और सात अतिरिक्त मापदंड - (i) पूंजी पर्याप्तता अनुपात, (ii) कवरेज अनुपात, (iii) आस्तियों पर प्रतिफल, (iv) निवल ब्याज मार्जिन, (v) ऑपरेटिंग लाभ का अनुपात औसत कार्यकारी निधि, (vi) आय के प्रति लागत का अनुपात, और (vii) निवल ब्याज आय (एनआईआई) के प्रति स्टाफ लागत का अनुपात + अन्य सभी आय के लिए।

¹¹ www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=784 पर उपलब्ध।

को विलंब से या आंशिक रूप से लागू करने का मतलब यह है कि उनमें बुनियादी तौर पर प्रभावित करने वाले तत्वों का पर्याप्त रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसका राजकोषीय प्रभाव बहुत ज्यादा है। हाल ही में भारत सरकार ने 2.11 ट्रिलियन रुपए की भारीभरकम पुनःपूँजीकरण की बृहद योजना घोषित की है। जो भी हो, यह बात नोट करने योग्य है कि इस बार सरकार ने स्वामी के रूप में जहां पूँजी देने की वचनबद्धता दिखाई है वहीं पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन मामलों के प्रति भी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

3.12 अभिशासन में रेगुलेटरी पहलू निहित होता है। '..... रेगुलेटरी व्यवस्था में बर्दाश्त करने की प्रवृत्ति निहित होती है जिसमें हितधारकों के ज़रिये जोखिमपूर्ण आचरण की संभावना हो सकती है....'¹² इस संदर्भ में रेगुलेटर की यह प्रतिबद्धता कि बैंक विशेष के प्रति की जाने वाली कार्रवाई को माफ न करने से जो परिणाम होंगे वह इसकी बहुत बड़ी बाध्यता है। प्रसंगवश, उधार देने की प्रथाओं के प्रति इस प्रकार की कड़ी बाध्यता तथा विवेकपूर्ण लेखांकन रवैये से उधारदाता द्वारा उधारकर्ता के पुनर्वास किए जाने के लक्ष्य के लिए विवेकपूर्ण उपाय करने के लिए उसके स्वविवेक को नहीं रोकता है। बल्कि इस प्रकार की कठोर बाध्यता का यह प्रयास रहता है कि इस प्रकार के पुनर्वास उपायों को अपवाद के रूप में रखा जाए और उन्हें संस्थागत न बनाया जाए। यूरोप महाद्वीप से उभरने वाले इस प्रकार के एनपीए पहचानने के मानदंडों से यह प्रणाली उत्पन्न हुई है।

3.13 बाह्य लेखापरीक्षकों और आंतरिक हितधारकों के बीच सूचनाओं की बहुत बड़ी असमानता है। हाल में विश्व में जो सुधार कार्यक्रम किए गए हैं उनका मकसद है कि एक संस्थागत ढांचा खड़ा किया जाए जो लेखापरीक्षकों को अधिक सीखने के प्रति प्रोत्साहित करे तथा हितधारकों को संस्थाओं की कार्यप्रणाली के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के प्रति उन्मुख करे। अमरीका में (यूरोपियन यूनियन के प्रमुख लेखापरीक्षा मामले) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले' को प्रकट करने से आंतरिक हितधारकों एवं बाह्य लेखापरीक्षकों के बीच सूचना संबंधी असमानताओं को जगह दी गई है जिसके पीछे दृष्टिकोण यह है कि इस प्रकार के प्रकटीकरण को जोखिमों के सिद्ध हो जाने के बाद पुष्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ क्षेत्रों को

छोड़कर बाह्य लेखापरीक्षकों से हुई किसी प्रकार की चूक/भूल के कारणों के लिए उन्हें जिम्मेदार बनाया जा सकता है तथा लेखापरीक्षकों के निष्पादन की पुनः जांच की जा सकती है।¹³ इसी प्रकार पूरे विश्व में आंतरिक लेखापरीक्षा में काफी बदलाव हुए हैं क्योंकि बैंकों ने स्वयं को पुनःसंगठित करते हुए वित्तीय सेवाएं शाखा-स्तर से देने के बजाय वेब-आधारित सेवाएं प्रदान करने लगे हैं। विश्व भर में आईएफआरएस के लागू हो जाने से इसने अभिशासन के आंतरिक माडलों को उजागर कर दिया है। इसकी वजह से यह जरूरी हो गया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा को उस क्षेत्र तक विस्तारित कर दिया जाए जिनमें समग्र अभिशासन माडल की संरचना शामिल है जिसका विस्तार रेटिंग माडल को मान्य करना, डाटासेट की प्रयोज्यता तथा विचलन का विश्लेषण शामिल है। सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्थागत ढांचे के रूप में साझा करने से दरम्यानी उपाय करके छलांग लगाने से अभिशासन और नियंत्रण में थोड़ा सा धीमापन पैदा हो सकता है।

3.14 पूरे विश्व में पर्यवेक्षण को बड़ी आशा के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। दूसरे शब्दों में, इससे मध्यावधि में जोखिमों का आकलन प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में, वस्तुनिष्ठ के मूल्यांकन का मानकीकरण, अपवादों के भौतिक परीक्षण के मापदंड एवं पुनः-परीक्षण माडल की भविष्यवाणी साथ ही पुष्ट जोखिमों जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से जोर देना होगा।

3.15 समाधान के लिए आईबीसी के अंतर्गत हाल में जो संदर्भ प्राप्त हुए हैं, उनका पूँजीकरण की आवश्यकताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हुई हानि की रिकवरी आधारित मूल्यांकन का रिकार्ड भी इसका अपरिहार्य तत्व है जैसे इस प्रकार के मूल्यांकन एवं निहित समाधान के बीच लगने वाला समय जो अत्यधिक बड़ा रिकवरी जोखिम पैदा कर सकता है जो पुरानी हो रही हानिकर आस्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन, हाल में सरकार द्वारा पुनः पूँजीकरण की घोषणा बैंकों के लिए मददगार सिद्ध होगी, बैंकों के पास इन मुद्दों से छुटकारा पाने के लिए पूँजी की गुंजाइश मौजूद होगी तथा वे अपने तुलनपत्रों की मरम्मत कर सकेंगे।

3.16 सीआरएआर तथा आस्ति की गुणवत्ता के बीच की खराब होती हुई ऋणात्मक स्थिति को अध्याय 2 में

¹² 15 अक्टूबर को 32 वें वार्षिक जी-30 इंटरनेशनल बैंकिंग सेमिनार, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, वाशिंगटन, डीसी में 'अगले संकट से बचने के लिए वित्तीय विनियमन और आर्थिक नीतियों' पर उजित आर पटेल का अभिभाषण (2017)

¹³ इसके अतिरिक्त, एनरॉन लेखांकन घोटाले को देखते हुए, सर्वेस ऑफस्ले अधिनियम (संयुक्त राज्य में) के तहत लेखापरीक्षा फर्मों पर अपने लेखापरीक्षा ग्राहकों को गैर-लेखापरीक्षा (परामर्श) सेवाएं प्रदान करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों ने हित संघर्ष के संभावित स्रोत को समाप्त कर दिया है।


अभिलिखित किया गया है। इसके लिए यह कारण बताया जाता है कि यह आस्ति ही है जो खराब पूंजीकरण की स्थिति की जिम्मेदार है, और उसपर तुरा यह है कि तुलनपत्र में सुधार शांत बना हुआ है। इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की खासतौर से पूंजी योजनाओं में अदृष्टित मानक आस्तियों (मानक आस्तियों में से पुनर्चित मानक आस्तियों को घटाकर) में हुए कुछ विचलन के बढ़े हुए स्तरों को तथा पूर्व में यथा उल्लिखित एनसीएलटी को संदर्भित आस्तियों में निहित रिकवरी जोखिमों को ध्यान में लेना होगा।

II. प्रतिभूति बाज़ार

3.17 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) ने वर्ष 2014 में ग्राहकों की परिसंपत्तियों के संरक्षण से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में ग्राहकों की परिसंपत्तियों के संरक्षण से संबंधित आठ सिद्धांतों का निर्धारण किया है। आईओएससीओ की मूल्यांकन समिति ने इन सिद्धांतों को किन क्षेत्रों¹⁵ में अपनाया गया है इसके बारे में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक क्षेत्रगत समीक्षा¹⁴ की थी। क्षेत्रगत समीक्षा के निष्कर्षों को जुलाई 2017 में प्रकाशित किया गया था। सामान्य रूप से इस समीक्षा में यह पाया गया था कि रिपोर्टिंग की तारीख को अधिकांश क्षेत्रों में ग्राहकों की परिसंपत्तियों के संरक्षण के सिद्धांत अपनाए गए थे। भारत में केवल सिद्धांत 3¹⁶ को छोड़कर सभी का पालन किया गया था। सिद्धांत 3 के संदर्भ से रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में मध्यस्थों को अनुमोदित अभिरक्षकों के अलावा कोई अन्य कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

3.18 तीव्र पूंजी बाज़ार केलिए सार्वजनिक पारदर्शिता रखना तथा उन तक सूचनाएं पहुंचाना महत्वपूर्ण बातें हैं। पारदर्शिता का आमतौर पर यह मतलब होता है कि व्यापार के बारे में (व्यापार के पहले एवं व्यापार के बाद दोनों स्थिति में) सूचनाएं किस हद तक सार्वजनिक की जाती हैं। इस संबंध में, आईओएससीओ बोर्ड ने अगस्त, 2017 में रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एवं सेकंडरी कारपोरेट बांड बाज़ार में सार्वजनिक पारदर्शिता के संबंध में एक परामर्शी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है कि रेगुलेटरी प्राधिकारी कारपोरेट बांड बाज़ार के संबंध में

चार्ट 3.3: निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बाँड जुटाना



स्रोत: प्राइम डाटाबेस

व्यापार से पूर्व की सूचनाएं सार्वजनिक रूप से और अधिक बढ़ाएं। भारत के संदर्भ में इस प्रकार की पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कारपोरेट बांड बाज़ार में गतिविधियां बढ़ रही हैं (चार्ट 3.3)।

तालिका 3.1 भारत की प्रमुख ऋण साख एजेंसियों (सीआरए) द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों की रेटिंग

रेटिंग एक्शन	रेटिंग एक्शन के संबंध में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण निर्गम की संख्या				रेटिंग एक्शन संबंधित सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी ऋण निर्गमों का प्रतिशत			
	दिसं-16	मार्च-17	जून-17	सितं-17	दिसं-16	मार्च-17	जून-17	सितं-17
आईसीआरए								
उन्नत + पुनःपुष्टि	64	63	19	37	92.75	90.00	82.61	97.37
अवनत + निलंब	5	7	4	1	7.25	10.00	17.39	2.63
कुल	69	70	23	38	100.00	100.00	100.00	100.00
क्रिसिल								
उन्नत + पुनःपुष्टि	914	705	884	1423	94.91	98.33	90.02	97.27
अवनत + निलंब	49	12	98	40	5.09	1.67	9.98	2.73
कुल	963	717	982	1463	100.00	100.00	100.00	100.00
केयर रेटिंग्स								
उन्नत + पुनःपुष्टि	547	178	231	506	96.81	93.19	90.94	90.04
अवनत + निलंब	18	13	23	56	3.19	6.81	9.06	9.96
कुल	565	191	254	562	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत:सेबी

¹⁴ <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD577.pdf> पर उपलब्ध है।

¹⁵ 36 न्यायालयों से 32 आईओएससीओ सदस्य

¹⁶ सिद्धांत 3. मध्यस्थ को ग्राहक की संपत्तियों से संबंधित ग्राहक अधिकारों की रक्षा के लिए उचित व्यवस्था बनाए रखना चाहिए और नुकसान और दुरुपयोग के जोखिम को कम करना चाहिए।

3.19 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों की रेटिंग के बारे में किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2017 की दूसरी तिमाही में रेटिंग ऊपर की ओर गई है जिससे यह ज्ञात होता है कि कारपोरेट क्षेत्र का निष्पादन बहाल हुआ है।

3.20 सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों¹⁷ एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड(सेबी) भारत में कारपोरेट अभिशासन की प्रथा को बेहतर बनाने में सक्रियता से कार्य करती रही हैं। हालांकि कारपोरेट अभिशासन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी जरूरी है। तदनुसार सेबी ने जून 2017 में कारपोरेट अभिशासन से संबंधित एक समिति का गठन किया जिसका मकसद था कि भारत में सूचीबद्ध कंपनियों में कारपोरेट अभिशासन के मानकों को बढ़ाया जाए। समिति ने जो सिफारिशें की हैं, उनमें बहुत से क्षेत्र शामिल किए गए हैं, साथ ही बोर्ड का संघटन, निदेशक मंडल, रेटिंग्स एवं पोरकटीकरण तथा प्रवर्तकों एवं अन्य हितधारकों के साथ सूचनाओं साझा करना शामिल है। इसके अलावा, समिति की सिफारिशों के अनुसार समस्त प्रकार की संस्थाएं चाहे वे सरकारी हों या निजी, सभी को मानक के हिसाब से समान स्तर पर रखा जाए। समिति की सिफारिशें तथा उनपर जनसामान्य से प्राप्त अभिमत इस समय सेबी के पास विचाराधीन हैं।

3.21 सेबी ने एस संरचना का निर्धारण किया है जिसमें पण्यों को संवेदनशील, बृहत् एवं छोटे पण्य की श्रेणी में रखा गया है जिसका उद्देश्य है कि किसी भी वर्ष विशेष में देश में उपलब्ध कृषि संबंधी पण्यों बनाम इस प्रकार के कृषि पण्य जो आपूर्ति के लिए तैयार हैं के संबंध में समस्त ग्राहक के स्तर पर पण्यवार ओपन पोजीशन लिमिट को संख्यात्मक मूल्य को संशोधित करने के लिए सिद्धांत आधारित तौर-तरीके तैयार किए जा सकें। तदनुसार, प्रत्येक पण्य के लिए ओपन पोजीशन लिमिट उसकी आपूर्ति हेतु तैयार पण्य के प्रतिशत के रूप में तय की जा सके, जो यह दर्शाता है कि उस पण्य का उत्पादन कितना है और पण्य विशेष का कितना आयात किया गया है। पूंजी बाजार में हुई अन्य रेगुलेटरी प्रगति की जानकारी सारणी 3.2 में दी गई है।

III. बीमा

3.22 वित्तीय स्थिरता के प्रति बीमा क्षेत्र के योगदान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ(आईएआईएस) की रिपोर्ट¹⁸ में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। बीमाकर्ताओं द्वारा अपनाए गए कारोबारी माडल से खास प्रकार के जोखिम उजागर होते हैं जैसे नश्वरता, रुग्णता, संपत्ति एवं देयता जोखिम, जो आमतौर पर बैंकिंग में नहीं पाए जाते हैं। हालांकि अन्य वित्तीय बाजार की संस्थाओं से परस्पर जुड़े होने के कारण 2008-09 में हुए वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान बीमाकर्ता अन्य वित्तीय संस्थाओं की तुलना में उसका अधिक सामना कर सके क्योंकि उनका उत्पादनचक्र कारोबारी माडल इन्वर्टेड प्रकार का था। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, यह चेतावनी दी गई है कि जो बीमा-समूह या बीम-संगुट गैर-पारंपरिक अथवा गैर-बीमा गतिविधियों में लगे हुए हैं उनपर वित्तीय बाजार में घटित होने वाली गतिविधियों का असर पड़ सकता है, तथा यह ज्यादा अहम है कि उनके यहां जोखिम बढ़ जाए या जोखिमों को बढ़ाने में, प्रणालीगत जोखिमों को बढ़ाने उनका हाथ हो जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीमा कारोबार का माडल, बैंकिंग कारोबार के माडल से अलग है, इसलिए बीमा क्षेत्र की असफलता से अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं वास्तविक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव भिन्न हो सकते हैं। तदनुसार, रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि बीमाकर्ताओं द्वारा हानि उठाने की क्षमता एवं समाधान तंत्र पृथक होना चाहिए क्योंकि बीमा संस्थाओं एवं बैंकों की असफलता से पड़ने वाले प्रभावों में अंतर है।

3.23 भारत में अब तक वर्ष 2017-18 तक बीमा क्षेत्र ने तीव्र वृद्धि दर्ज की है। अक्टूबर, 2017 को समाप्त अवधि के दौरान जनरल इश्यूरेस उद्योग ने सकल डायरेक्ट प्रीमियम में 18.63 प्रतिशत की तथा जीवन बीमा ने नये कारोबार प्रीमियम में 21.29 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके अलावा, बढ़ती हुई आयु सीमा, बचत की अनुकूल प्रवृत्ति, तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर से यह उम्मीद है कि पेंशन प्लान एवं संरक्षण प्लान की मांग बढ़ेगी। इसी प्रकार, अगले दशक में आटोमोटिव उद्योग में अत्यधिक वृद्धि ही मोटर बीमा बाजार की प्रमुख संचालक होगी। स्वास्थ्य बीमा एक

¹⁷ कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित नरेश चंद्र समिति और डॉ जे जे ईरानी कमेटी; सेबी द्वारा गठित कुमार मंगलम बिड़ला समिति और एन आर नारायण मूर्ति समिति।

¹⁸ बीमा और वित्तीय स्थिरता, Available at [50](https://www.iaisweb.org/page/news/other-papers-and-reports//file/34041/insurance-and-financial-stability पर उपलब्ध है।</p>
</div>
<div data-bbox=)

उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें शामिल हैं इंडेमनिटी आधारित, लाइलाज बीमारी आधारित बीमा, फायदा आधारित बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना, स्वदेशी यात्रा तथा विदेशी यात्रा संबंधी उत्पाद। स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद बाजार में जनरल, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पेश किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान उद्योग के समस्त बीमाकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य बीमा खंड के अंतर्गत कुल प्रीमियम राशि 35,430 करोड़ रुपए संकलित की गई थी। इसके अलावा, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएं खुलने से देश पुनर्बीमा के एक हब के रूप में विकसित होता जा रहा है।


3.24 भारतीय बीमा क्षेत्र हाल के समय में बहुत सी गतिविधियों से गुजरा है, वह लोगों तक पहुंचा है तथा काफी समेकन कार्य हुआ है; पांच¹⁹ बीमा कंपनियों को पहले ही स्टाक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कर दिया गया है, और दो अन्य कंपनियों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसा रेगुलेटरी पहल से संभव हुआ है जिसमें इरडा(आईआरडीएआई) एवं सरकार के इस निर्णय कि उसका हित सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं में लगाया जाए तथा इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाए।

3.25 इरडा ने पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि 2018-19 से इंड एस को बीमा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड(आईएसबी) द्वारा आईएफआरएस 4(बीमा संविदा से संबंधित) को आईएफआरएस 17 से बदलने के कारण प्राधिकारी ने अपनी स्थिति की पुनः समीक्षा की। आस्तियों एवं देयताओं के मूल्यांकन में तालमेल बिगड़ने से बचने के लिए तथा बहुस्तरीय अनुपालन की लागत से बचने के लिए इंड एस को लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू किया जाएगा।

IV. पेंशन निधि


3.26 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) में अभिदानकर्ता तथा प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) निरंतर बढ़ती जा रही हैं। एनपीएस के अभिदानकर्ता की कुल संख्या अक्टूबर, 2016 के 13.82 मिलियन से बढ़कर अक्टूबर, 2017 में 18.05 मिलियन हो गई है। इसी अवधि में एयूएम भी 1529 बिलियन रुपए से बढ़कर 2120 बिलियन रुपए हो गयी है (चार्ट 3.4 व 3.5)। अटल पेंशन योजना तथा एनपीएस लाइट अभिदानकर्ताओं का प्रतिशत कुल अभिदानकर्ताओं में

चार्ट 3.4: एनपीएस- अभिदाताओं का क्षेत्रवार वितरण



स्रोत: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

चार्ट 3.5: एनपीएस- एयूएम का क्षेत्रवार वितरण



स्रोत: (पीएफआरडीए)

¹⁹ दो जीवन बीमा कंपनियों, दो सामान्य बीमा कंपनियों और एक पुनर्बीमा कंपनी


63 प्रतिशत है। जबकि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के एयूएम के अभिदानकर्ताओं का प्रतिशत कुल का 88 प्रतिशत है। लेकिन प्रति अभिदानकर्ता के हिसाब से केंद्र सरकार के अभिदानकर्ता का प्रतिशत सबसे अधिक 0.41 मिलियन था, उसके बाद राज्य सरकार एवं कारपोरेट्स का था, क्रमशः आल सिटिजन माडल, एनपीएस लाइट एवं एपीवाय का था (चार्ट 3.6)।

V. दिवालिया और शोधनक्षमता का दौर

3.27 दिवालिया और शोधनक्षमता व्यवस्था का अस्तित्व मई 2016 में दिवालिया और शोधनक्षमता संहिता(आईबीसी) के पारित होने के साथ हुआ, उसके बाद 1 अक्टूबर, 2017 को भारतीय दिवालिया और शोधनक्षमता बोर्ड की स्थापना रेगुलेटर के रूप में हुई। ईको सिस्टम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण पहले से ही कारपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया(सीआईआरपी) के रूप में कार्यरत है। उसके बाद से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बड़ी संख्या में कारपोरेट कर्जदार दिवालिया प्रक्रिया में शामिल हुए हैं और कुछ इस प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। नवंबर 2017 तक एनसीएलटी की विभिन्न बेंचों में 4300 से अधिक आवेदन सीआईआरपी के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। इनमें से अधिकांश मामले ऐसे थे जिनमें दिवालिया फर्मों को उस समय लागू कानून जैसे कंपनी अधिनियम, रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम(एसआईसीए) आदि के अंतर्गत पहले ही स्वीकार किए गए थे, इसलिए अधिकांश मामलों को आगे नहीं बमाया गया तथा उनकी मीयाद समाप्त हो गई थी। इनमें से 500 से अधिक आवेदनों को स्वीकार करने से मना कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, या वापस ले लिया गया। एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए 470 मामले दिवालियापन प्रक्रिया के अनेक चरणों में हैं। अब तक 25 सीआईआरपी संव्यवहारों के बारे में, एनसीएलटी ने समाधान योजना या रिसमापन आदेश को अनुमदित कर दिया है, जबकि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत 25 सीआईआरपी को अपीलीय प्राधिकारियों अर्थात् एनसीएलटी/ उच्चतम न्यायालय के आदेशों से अलग रखा गया है। सीआईआरपी के अंतर्गत किए गए संव्यवहारों को चार्ट 3.7 में प्रस्तुत किया गया है।


3.28 समाधान प्रक्रिया को गति प्रदान करने के अलावा, इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि परिचालनात्मक क्रेडिटर्स जैसे ट्रेड सप्लायर, कर्मचारी, या कामगारों को सशक्त बनाया गया है। इन क्रेडिटर्स को न

चार्ट 3.6: एनपीएस- प्रति अभिदाता एयूएम (रुपये मिलियन)



स्रोत: पीएफआरडीए

चार्ट 3.7: कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) की स्थिति



स्रोत: आईबीबीआई


तो पिछली पुनर्रचना प्रणाली(जैसे एसआईसीए) और न ही वर्तमान वसूली प्रणाली(सरफेसी, आरडीडीबीएफआई) द्वारा कोई सेवा प्रदान की जाती थी। आवेदकों के आधार पर सीआईआरपी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वीकार किए गए आवेदनों के वितरण की स्थिति चार्ट 3.8 में दी गई है।

3.29 दिवालिया स्थिति से निपटने के लिए अक्टूबर 2017 में जारी बाज़ार-आधारित एवं समय-बद्ध प्रणाली को विश्व बैंक समूह की “इंडिंग बिजनेस 2018: रिफार्मिंग टू क्रियेट जॉब” रिपोर्ट में मान्यता प्रदान की गई है। कारोबार करने की सुगमता में भारत की रैंकिंग 130 से घटकर 100 पर आ गई है। दिवालियापन शीर्ष के अंतर्गत मात्र भारत की रैंकिंग तेजी से घटकर 136 से 103 हो गई है।

VI. हाल की विनियामकीय पहल तथा उनके औचित्य

3.30 हाल के समय में की गई कुछ विनियामकीय पहल जिनमें शामिल हैं विवेकपूर्ण एवं उपभोक्ता संरक्षण उपाय तथा उनसे संबंधित औचित्य सारणी 3.2 में दिए गए हैं।

चार्ट 3.8: सीआईआरपी- आवेदक वार- मामलों की संख्या



स्रोत: आईबीबीआई

सारणी 3.2 महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण एवं उपभोक्ता संरक्षण उपाय तथा उनसे संबंधित औचित्य - जून-नवंबर 2017

तारीख	उपाय	औचित्य/उद्देश्य
1. भारतीय रिज़र्व बैंक		
13 जून, 2017	बैंकों को पूंजी पर्याप्तता हेतु उनके दावों के जोखिम भार के प्रयोजन से वर्तमान छह स्वदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों(केयर, क्रिसिल, फिच इंडिया, इकरा, ब्रिकवर्क रेटिंग्स एंड स्मेरा) के अलावा, इन्फोमेटिक्स मूल्यांकन एवं रेटिंग प्रा.लिमि. की रेटिंग का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की गई।	बासेल III संरचना के अंतर्गत दी गई अपेक्षा के अनुसार बैंक ऋण रेटिंग प्रदान करने हेतु प्रमाणन के लिए इन्फोमेटिक्स से प्राप्त आवेदन की संवीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया कि बैंक पूंजी पर्याप्तता हेतु उनके दावों के जोखिम भार के प्रयोजन से इन्फोमेटिक्स द्वारा दी गई रेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
22 जून, 2017	बैंकों को सूचित किया गया कि वे पासबुक/अथवा लेखा-विवरण में लेनदेन के पर्याप्त संबंधित ब्योरे प्रदान करें और पासबुक में कवरेज अपफ्रंट लिमिट सहित जमा बीमा कवर के बारे में जानकारी भी दें।	ये अनुदेश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं कि इससे ग्राहकों एवं जांच एजेंसियों को सहायता मिलेगी।
16 जुलाई, 2017	अनधिकृत/धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ग्राहकों की देयताओं को सीमित करते हुए संशोधित संरचना जारी की गई। इस संरचना के अनुसार, ग्राहक को किसी प्रकार की हानि वहन नहीं करनी होगी यदि कमी बैंक की ओर से है और ऐसे मामलों में भी जिनमें गलती न तो बैंक की है और न ही ग्राहक की है बल्कि गलती प्रणाली में किसी अन्य की है और ग्राहक इस प्रकार के अनधिकृत लेनदेन के बारे में तीन कार्यदिवसों में बैंक को सूचित कर देता है। जिन मामलों में ग्राहक की लापरवाही से नुकसान हुआ है उनमें ग्राहक को पूरा नुकसान वहन करना होगा, जब तक कि वह बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना न दे दे; और जिन मामलों में गलती न तो बैंक की है और न ही ग्राहक की है बल्कि गलती प्रणाली में किसी अन्य की है और ग्राहक इस प्रकार के अनधिकृत लेनदेन के बारे में चार से सात कार्यदिवसों के भीतर बैंक को सूचित कर देता है, तो ग्राहक की अधिकतम देयता 5000 रुपए से 25000 रुपए तक की होगी, जो इस बात पर निर्भर करता है कि खाते/लिखत का पत्रकार क्या था। यदि अनधिकृत लेनदेन की सूचना सात कार्यदिवसों के बाद दी जाती है तो ग्राहक की देयता का निर्धारण बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा।	दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया, जिसमें इस बात को ध्यान में रखा गया कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का उपयोग हो रहा है तथा अनधिकृत/धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन के संबंध में शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि एक व्यापक नीति बनाई जाए ताकि ग्राहकों की देयताओं को सीमित किया जा सके, खासतौर से उन ग्राहकों की जिनकी गलती नहीं है।

तारीख	उपाय	औचित्य/उद्देश्य
13 जुलाई, 2017	शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे पासबुक में/पास शीट/लेखा विवरण में संक्षिप्त मेंतरह से धनप्रेषक(या धन पाने वाले) का ब्योरा और /अथवा किसने क्रेडिट किया (या डेबिट किया) का ब्योरा दें ताकि खाता धारक उनसे उसकी जांच कर सके।	रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह बात आई कि अभी भी बहुत से शहरी सहकारी बैंक पासबुक और/अथवा लेखा विवरण में लेनदेन संबंधी पर्याप्त ब्योरे नहीं प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ये अनुदेश पुनः जारी किए गए।
28 जुलाई, 2017	एक परिचालनगत संरचना जिसमें गैर-बैंक संस्थाएं भारतीय रिज़र्व बैंक से निवासी व्यक्तियों द्वारा छोटी राशि के, प्रति लेनदेन 5000 अमरीकी डालर से कम की राशि के विप्रेषण के लिए अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं, जो उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के अधीन होगी, 16 जून, 2017 को जारी की गई थी, जैसाकि एफईडी के मास्टर निदेश सं. 19/2015-16 को संशोधित करते हुए जारी की गई है। यह व्यवस्था चालू खाता तक सीमित रखी गई है, जो वैयक्तिक विप्रेषण के रूप में होगी। संबंधित प्राधिकृत बैंक भारत में लागू विनियमों तथा भारत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी केवायसी/एएमएल मानकों/ सीएफटी के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा	यह व्यवस्था इस बात को ध्यान में रखकर की गई है कि गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारियों(श्रेणी I) के माध्यम से बाहरी विप्रेषण को सुविधाजनक बनाया जाए।
15 सितंबर, 2017	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के बैंकों को यह निर्देश दिए गए कि निर्यात डाटा प्रोसेसिंग एवं निगरानी प्रणाली(ईडीपीएमएस) को 16 अक्टूबर, 2017 से 'जब भी वसूली हुई हो, के आधार पर' निर्यात आगमों के डाटा के साथ अद्यतन करें तथा बैंक इलेक्ट्रॉनिक वसूली प्रमाणपत्र(ईबीआरसी) केवल ईडीपीएमएस में उपलब्ध डाटा के आधार पर ही तैयार करें।	ये अनुदेश इस नजरिये से जारी किए गए थे कि समस्त स्तरों पर ईबीआरसी तैयार करने के लिए एकसमान प्रथा रहे तथा ईडीपीएमएस में उपलब्ध डाटा डीजीएफटी में ईबीआरसी के माध्यम से समेकित डाटा के अनुरूप हो। ईडीपीएमएस का ईबीआरसी के साथ एकीकरण से निर्यात को नियमित बनाया जा सकेगा तथा ड्यूटी में पाई जाने वाली खामियों एवं प्रोत्साहन प्रक्रिया को आनलाइन बनाया जा सकेगा।
22 सितंबर, 2017	भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि कारपोरेट बांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश करने के प्रयोजन से रूपए मूल्यवर्ग के बांडों के निर्गमों(आरडीबी) को संयुक्त कारपोरेट ऋण सीमा(सीसीडीएल) से अलग रखा जाए। फलस्वरूप, आरडीबी लेनदेन की ईमेल रिपोर्टिंग अपेक्षा, जिसे आगे डिपॉजिटरीज को रिपोर्टिंग की जाती है, को समाप्त कर दिया गया। लेकिन वर्तमान ईसीबी मानदंडों के अनुसार आरडीबी की रिपोर्टिंग जारी रहेगी।	इन अनुदेशों को इसलिए जारी किया गया ताकि आरडीबी(मसाला बांड) निर्गमों के मानदंडों को ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके।
22 सितंबर, 2017	समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया कि 3 अक्टूबर, 2017 से मसाला बांड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा कारपोरेट बांड में निवेश की सीमा में शामिल नहीं होगा। वे ईसीबी का हिस्सा होंगे तथा तदनुसार उनकी निगरानी की जाएगी।	यह समीक्षा इसलिए भी की गई कि मसाला बांड निर्गमों को ईसीबी दिशानिर्देशों के साथ और भी अनुरूप बनाया जाए।
25 सितंबर, 2017	बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) यूनिट पूंजी का 10 प्रतिशत निवेश कर सकते हैं, उससे अधिक निवेश के लिए उन्हें रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।	श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) अधिकांशतः पीई निधियां होती हैं जो गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं लेकिन इस प्रकार की निवेश रणनीतियों का सहारा नहीं लेती हैं। संयुक्त पूंजी निधि(वीसीएफ) व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों ने पहले ही ऐसी अनेक निधियों में निवेश कर रखा है। इसके अलावा, यह भी महसूस किया गया था कि श्रेणी-I वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) तथा श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) में समरूपता लाई जाए।
25 सितंबर, 2017	श्रेणी-III वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में बैंकों द्वारा निवेश खासतौर से प्रतिबंधित है। इसके अलावा, बैंकों की सहायक संस्थाओं द्वारा श्रेणी-III वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) निवेश की उच्चतम सीमा रेगुलेटरी न्यूनतम सीमा तक रखी गई है जो सेबी द्वारा निर्धारित है तथा इसके लिए प्रायोजक/प्रबंधकीय प्रतिबद्धता निर्धारित की गई है।	चूंकि श्रेणी-III वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) इसका सहारा लिया जाता है तथा सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध व्युत्पन्नी में विविध प्रकार की/जोखिमपूर्ण रणनीतियां अपनाई जाती हैं, इसलिए बैंकों पर इन निधियों में निवेश करने पर प्रतिबंध है। जबकि बैंकों की सहयोगी संस्थाओं द्वारा श्रेणी-III वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) की शुरुआत करने की मनाही नहीं है, बैंकों के परोक्ष एक्सपोजर को सीमित करने के लिए इस प्रकार की सहयोगी संस्थाओं द्वारा निवेश की उच्चतम सीमा रेगुलेटरी न्यूनतम सीमा तक रखी गई है जो सेबी द्वारा निर्धारित है तथा इसके लिए प्रायोजक/प्रबंधकीय प्रतिबद्धता निर्धारित की गई है।
25 सितंबर, 2017	बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों में निवेश के लिए सीआरएआर की न्यूनतम अपेक्षा को न्यूनतम निदिष्ट पूंजी सीमा(पूंजी संरक्षण बफर सहित) के अनुरूप बनाया गया है।	पूंजी संरक्षण बफर(सीसीबी) अभिनिर्धारण के कारण कुल पूंजी की पेक्षा को बढ़ा दिया गया है। अतः रिज़र्व बैंक ने न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षा को न्यूनतम निर्धारित पूंजी सीमा(सीसीबी सहित) के अनुरूप बना दिया है। इससे भाविष्य में न्यूनतम सीआरएआर की अपेक्षा को बदलने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी।

तारीख	उपाय	औचित्य/उद्देश्य
4 अक्टूबर, 2017	रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी-एक समूह से दूसरे समूह को उधार(पी2पी) प्लेटफार्म के लिए निदेश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके पंजीकरण एवं उनके परिचालन संबंधी निदेश भी दिए गए हैं।	इस बात को ध्यान में रककर निदेश जारी किए गए हैं कि पी2पी प्लेटफार्म से ऋण सुविधा के प्रावधानों को विनियमित किया जा सके।
4 अक्टूबर, 2017	वाणिज्य बैंकों, प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की सांविधिक चलनिधि अपेक्षा(एसएलआर) को 14 अक्टूबर, 2017 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 20 प्रतिशत से घटाकर 19.5 प्रतिशत कर दिया गया है।	रिजर्व बैंक धीरे-धीरे एसएलआर को कम करता रहा है ताकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए यह आसानी हो कि वे न्यूनतम अपेक्षित चलनिधि कवरेज अनुपात(एलसीआर) को बनाए रख सकें जिसे 1 जनवरी, 2015 से 60 प्रतिशत तक लाया गया था जिसे 1 जनवरी, 2019 तक 100 प्रतिशत तल लाना है जिसमें 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जाएगी।
2 नवंबर, 2017	यह निर्णय लिया गया कि बड़े कारपोरेट उधारकर्ताओं के लिए चरणबद्ध रूप से एलईआई कोड प्रारंभ किया जाए।	वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एलईआई कोड को बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डाटा प्रणाली की गुणवत्ता एवं सटीकता को बेहतर बनाने के प्रमुख उपाय के रूप में अपनाया गया है। एलईआई 20-अंकीय विशिष्ट कोड है जिसकी सहायता से विश्व में वित्तीय लेनदेन करने वाली पार्टियों की पहचान की जा सकती है। तदनुसार, यह निर्णय किया गया कि बड़े कारपोरेट उधारकर्ताओं के लिए चरणबद्ध रूप से एलईआई को अपनाया जाए।
9 नवंबर, 2017	जोखिम नियंत्रण और एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग की आचार संहिता से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए ताकि जो एनबीएफसी अपनी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग कर रही हैं वे यह सुनिश्चित करें कि प्रभावी निगरानी रखने-विधिवत सावधानी बरतने तथा आउटसोर्स की गई गतिविधियों से पैदा होने वाले जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए उनके पास सुदृढ़ एवं जवाबी जोखिम प्रबंधन प्रथा मौजूद है।	एनबीएफसी अपनी अनेक गतिविधियों की आउटसोर्सिंग करती रही हैं और इस तरह से उन्हें अनेक प्रकार के जोखिम उठाने पड़ सकते हैं जैसे रणनीतिगत जोखिम, प्रतिष्ठागत जोखिम, अनुपालन संबंधी जोखिम परिचालनगत जोखिम, विधिक जोखिम, बाहर निकलने की रणनीति संबंधी जोखिम, प्रतिपक्षी जोखिमराष्ट्रगत जोखिम, संविदागत जोखिम, एक्सेस जोखिम तथा संकेंद्रण एवं प्रणालीगत जोखिम।
9 नवंबर, 2017	बैंकों को सूचित किया गया कि वे वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग ग्राहकों को कतिपय विशेष सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रणाली लागू करें जैसे - वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित काउंटरों की व्यवस्था, जीवन-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में आसानी, मुफ्त चेकबुक सुविधा(जिसमें कुछ पन्नों की सीमा हो), फार्म 15जी/एच को भरने की आसानी देना तथा दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना।	यह पाया गया था कि कुछेक अवसरों पर बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग ग्राहकों को शाखाओं में बैंकिंग सुविधाएं देने के प्रति हतोत्साहित किया था और उन्हें वापस लौटा दिया था। ऐसे ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें बैंक की सेवाएं बिना किसी कठिनाई के मिल रही हैं, इन अनुदेशों को जारी किया गया था।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड(सेबी)		
13 जून, 2017	निवेशक संरक्षण निधि एवं निवेशक सेवा निधि तथा उससे संबंधित मामलों के लिए व्यापक दिशानिर्देश।	पूंजी बाज़ार से लेकर पण्य व्युत्पन्नी बाज़ार तक निवेशक संरक्षण तंत्र की व्याप्ति के लिए।
13 जून, 2017	पण्य फ्यूचर्स से संबंधित आप्शंस- उत्पाद डिज़ाइन और जोखिम प्रबंधन ढांचा	भारत में पण्य व्युत्पन्नी बाज़ार को और भी गहन बनाने के लिए
13 जून, एवं 01 अगस्त, 2017	मार्जिन व्यापार सुविधा की व्यापक समीक्षा से संबंधित परिपत्र	मार्जिन व्यापार सुविधा में अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए
14 जून, 2017	डिपाजिटरी प्रणाली में गैर-निस्तारण अभिलेखन(एनडीयू) । एनडीयू एक प्रकार से शेयरधारक द्वारा दिया गया वचन होता है कि प्रतिभूतियों को अंतरित न किया जाए या अन्यथा हस्तांतरण न किया जाए और इनका स्वरूप नकारात्मक लियन के रूप में होता है जो किसी अन्य पार्टी के पक्ष में दिया गया होता है, सामान्यतया उधारदाता के पक्ष में।	सेबी के नीतिगत उपाय का उद्देश्य यह है कि डिपाजिटरी प्रणाली में एनडीयू के ब्योरे प्राप्त करने के लिए एक संरचना प्रदान की जाए क्योंकि ये गतिविधियां डिपाजिटरी प्रणाली के बाहर घटित होती हैं और डिपाजिटरीज के अभिलेखों में नहीं आ पाती हैं तथा परिलक्षित नहीं हो पाती हैं।
21 जून, 2017	श्रेणी III एआईएफ की पण्य व्युत्पन्नी बाज़ार में सहभागिता	पण्य व्युत्पन्नी बाज़ार को संस्थागत निवेशकों की सहभागिता के माध्यम से और अधिक गहन बनाना।
28 जून, 2017	एक्सचेंज में व्यापारित करेंसी व्युत्पन्नी(ईटीसीडी) खंड में अनिवासी भारतीय की सहभागिता	अनिवासी भारतीयों को भारत में उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश में होने वाले करेंसी जोखिमों से बचाव के लिए।
30 जून, 2017	केवायसी प्रयोजन से ईपैन की सकारता	यह उपाय सीबीडीटी द्वारा ईपैन सुविधा की शुरुआत किए जाने के अनुसरण में तथा एफपीआई की पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया गया ।
30 जून, 2017	कर्जगत प्रतिभूतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या(आईएसआईएन) से संबंधित विनिर्देशन	कर्जगत प्रतिभूतियों के समेकन के लिए एक ढांचा लागू करना जो कारपोरेट बांड बाज़ार को गहन बनाने की दिशा में किया गया प्रयास है।

तारीख	उपाय	औचित्य/उद्देश्य
30 जून 2017	डिबेंचर न्यासी द्वारा सीआरए के साथ ब्याज / मूलधन पुनर्भुगतान की निगरानी और इस तरह की जानकारी को साझा करने पर स्पष्टीकरण।	जारीकर्ता कंपनियों द्वारा डिबेंचर धारकों को ब्याज / मूलधन का नियत तारीख पर समय और प्रभावी ढंग से भुगतान की स्थिति का पता लगाने के लिए जानकारी को सीआरए के साथ साझा करती हैं।
30 जून 2017	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) द्वारा रेटिंग की निगरानी और समीक्षा	यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीआरए को जारीकर्ता द्वारा देय दायित्वों की पूर्ति में देरी के बारे में जानकारी का संज्ञान लिया जा सके।
07 जुलाई 2017	ओडीआई जारी करने वाली एफपीआई द्वारा, डेरिवेटिव के साथ, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रुमेंट्स (ओडीआई) जारी करने के लिए दिशानिर्देश	एफपीआई सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और जोखिम नियंत्रण के लिए एक निरंतर उपाय के रूप में।
11 जुलाई 2017	निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली और मध्यस्थता तंत्र में संशोधन।	बाजार आधारभूत संरचना संस्थानों (एमआईआई) में शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए।
25 जुलाई 2017	कृषि वस्तु डेरिवेटिव के लिए स्थिति सीमाएं	किसी भी विशिष्ट वर्ष के दौरान देश में उपलब्ध ऐसी वस्तुओं के 'वितरण योग्य आपूर्ति' के संदर्भ में कृषि वस्तुओं के लिए कमोडिटी-वार कुल ग्राहक स्तर की खुली स्थिति सीमा को संशोधित करने के लिए एक सिद्धांत आधारित पद्धति की रूपरेखा।
08 सितंबर 2017	एक मुद्दे / शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रजिस्ट्रार के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढांचा	आरटीए प्रतिभूति धारकों को सेवाएं प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। आरटीए द्वारा निर्बाद्ध रूप से सेवाएं प्रदान करते रहने के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढांचा होना चाहिए।
13 सितंबर 2017	स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग निगमों द्वारा गतिविधियों की आउटसोर्सिंग	स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग निगमों द्वारा कार्य-कलापों के आउटसोर्सिंग से होने वाले जोखिम / चिंताओं से निपटने के लिए ये दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।
21 सितंबर 2017	एक इकाई के तहत इक्विटी और पण्य व्युत्पन्नी बाजार में ब्रोकिंग गतिविधियों का एकीकरण।	इक्विटी और पण्य व्युत्पन्नी बाजार की ब्रोकिंग गतिविधियों को एकीकृत करने और व्यवसाय करने में सुविधा प्रदान करने के लिए।
17 मई, 23 मई, 31 अगस्त, 26 सितंबर 2017	सेबी ने आईएफएससी में क्रॉस-करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स (भारतीय रुपये को शामिल नहीं करने के लिए) की पोसिशन सीमाओं पर विभिन्न दिशानिर्देशों / परिपत्र जारी किए; आईएफएससी में संचालन के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधकों, वैकल्पिक निवेश फंड और म्यूचुअल फंडों द्वारा अनुमत निवेश; आईएफएससी में ऋण प्रतिभूतियों का जारीकरण, लिस्टिंग और व्यापार; आईएफएससी में कमोडिटी डेरिवेटिव्स में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी, आदि।	इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) में स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग निगमों के व्यवस्थित और सुचारु रूप से कार्रवाई के लिए।
24 सितंबर 2017	म्यूचुअल फंड द्वारा डेरिवेटिव में भागीदारी के लिए मानदंडों की समीक्षा	म्यूचुअल फंड को सक्षम बनाने के लिए कि अपने ऋण पोर्टफोलियो को ब्याज दर की अस्थिरता से बचा सके।
06 अक्टूबर 2017	म्यूचुअल फंड योजनाओं का वर्गीकरण और तर्कसंगत व्यापक समूहों जैसे कि इक्विटी योजनाएं, ऋण योजनाएं, हाइब्रिड योजनाएं, समाधान उन्मुखी योजनाएं और अन्य योजनाएं	म्यूचुअल फंड के प्रचलन में वांछित एकरूपता लाने के लिए और प्रत्येक श्रेणी की योजना श्रेणियों और विशेषताओं को मानकीकृत करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेशक म्यूचुअल फंड की योजनाओं में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने में सक्षम हो सके।
16 अक्टूबर 2017	भौतिक वितरण के माध्यम से निपटान प्रकार की पहली प्राथमिकता के साथ कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंधों के निपटान मोड के लिए मानदंड।	निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने और कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के हेजिंग फंक्शन के द्वारा संबंधित अंतर्निहित भौतिक बाजारों पर अंकुश लगाने की सुविधा प्रदान करने के लिए।
26 अक्टूबर 2017	दो ब्लॉक डील विंडो के द्वारा ब्लॉक डील फ्रेमवर्क- सुबह और दोपहर ब्लॉक डील विंडो	एकल लेन-देन के माध्यम से बड़े आकार के व्यापार निष्पादन को आगे बढ़ाने के लिए।
17 नवंबर 2017	प्रतिभूतियाँ उधर देना और लेना (एसएलबी) फ्रेमवर्क की समीक्षा	एसएलबी की गतिविधियों में आगे सुविधा के लिए
30 नवंबर 2017	स्वतंत्र न्यासियों, स्वतंत्र निदेशकों और म्यूचुअल फंडों के लेखापरीक्षकों के कार्यकाल पर निर्देश।	म्यूचुअल फंडों के लिए फंड गवर्नेंस बढ़ाना

तारीख	उपाय	औचित्य/उद्देश्य
3. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)		
25 जुलाई 2017	यह निर्णय लिया गया कि बीमाकर्ताओं द्वारा 30 सितंबर, 2017 तक जिन पॉलिसीधारकों द्वारा 10 वर्ष से अधिक की अवधि तक बीमा राशि का दावा नहीं किया गया है, उसे वे 1 मार्च 2018 को या उससे पहले वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) को हस्तांतरित किया जाए। बीमा कंपनियों को वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अदावे राशि को स्थानांतरित करने के लिए खाता का विवरण और उसकी पद्धति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष एससीडब्ल्यूएफ नियम-2016 में निर्धारित प्रक्रिया को पॉलिसीधारकों द्वारा अदावे राशियों के हस्तांतरण के संबंध में अपनाया जाएगा।	भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 2015 के तहत वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी निधि अधिनियम, 2015 (एससीडब्ल्यूएफ) को लाया है, जो 10 साल की अवधि के बाद पॉलिसीधारकों द्वारा अदावे राशि को फंड (एससीडब्ल्यूएफ) के हस्तांतरण करना जरूरी है। प्राधिकरण ने अपने परिपत्र में एससीडब्ल्यूएफ फंड में इस तरह की सभी राशि को स्थानांतरित करने संबंधी विनिर्देश जारी किया है।
12 अक्टूबर 2017	बीमा कंपनियों को सलाह दी गई थी कि वे सीईआरटी-इन पैल में सूचीबद्ध ऑडिटों के माध्यम से सुभेद्यता मूल्यांकन और व्यापन परीक्षा (वीएपीटी) सहित अपनी सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के बुनियादी ढांचे के सुरक्षा ऑडिट के संचालन के लिए तत्काल कदम उठाएं एवं कमी की पहचान कर यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑडिट में प्राप्त कमी को तेजी से सुधारा जाए। साइबर घटनाओं से निपटने के लिए बीमा कंपनियों को अपने साइबर संकट प्रबंधन योजनाओं (सीसीएमपी) को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का अनुरोध किया गया है।	अप्रैल 2017 में सूचना और साइबर सुरक्षा पर दिशानिर्देश स्थापित करने के लिए बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए गए। 12 अक्टूबर 2017 को प्राधिकरण ने फिर से बीमा कंपनियों को सुरक्षा ऑडिट करवाने और अप्रैल के परिपत्र में उल्लिखित अन्य दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी है।
17 अक्टूबर 2017	मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएपी) या उसकी सहयोगी कंपनियों को सलाह दी गई थी कि इन दिशानिर्देशों में विनिर्देशित शुल्कों के अलावा बीमाकर्ता से कोई भी शुल्क, शुल्कों, बुनियादी ढांचे के खर्च, विज्ञापन खर्च, दस्तावेजीकरण शुल्क, कानूनी शुल्क, सलाहकार शुल्क या कोई अन्य भुगतान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाहे वह किसी भी नाम से हो न वसूला जाए।	मोटर बीमा पॉलिसियों के वितरण और सर्विसिंग के लिए ऑटोमोटिव डीलरों द्वारा की गई कार्रवाई को जानने के लिए मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएपी) को 31 अगस्त 2017 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। बीमा कंपनियों और बीमा मध्यस्थों को उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एमआईआईपी और नामित व्यक्तियों एवं बिक्रय प्रतिनिधियों का विवरण को भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) पर अपलोड करना होगा।
08 नवंबर 2017	मनी लाउन्ड्रिंग (रिपोर्ट्स के रखरखाव) की रोकथाम को लागू करने के लिए द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के माध्यम से बीमा पॉलिसी में आधार संख्या और पैन कार्ड को अनिवार्य रूप से जुड़ने हेतु निर्देश जारी किया गया।	1 जून 2017 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार ने धन-शोधन निवारण (रिपोर्ट्स का रखरखाव) के दूसरे संशोधन नियम, 2017 के माध्यम से आधार और पैन / फॉर्म 60 को बीमा सहित वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने हेतु एवं विद्यमान पॉलिसी को इससे लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया गया धन-शोधन निवारण (रिपोर्ट्स के रखरखाव) के दूसरे संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार संख्या को बीमा पॉलिसी से लिंक होना अनिवार्य था।
4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)		
5 जुलाई 2017	आधार अधिनियम, 2016 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का अनुपालन	सरकार के निर्देशों के अनुपालन हेतु विभिन्न मध्यस्थों को अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करने के लिए सूचित किया गया और सरकार की ओर प्राप्त क्य करें/ क्या नहीं करें की सूची भी आगे प्रेषित की गई थी।
9 अगस्त 2017	ग्राहक पंजीकरण फॉर्म का बहुतायत में अस्वीकार होना।	येसा देखा गया है कि गलत पैन और अधूरा व्यक्तिगत और संपर्क विवरण सम्बन्धी अनिवार्य सूचना देने के कारण ग्राहक पंजीकरण फॉर्म को बहुतायत में अस्वीकार किया जा रहा है। तदनुसार, पीओपी को एक परिपत्र जारी किया गया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि फॉर्म सीआरए को अग्रोषित करने से पहले ध्यानपूर्वक जांच की जाए।
17 अगस्त 2017	एग्रीगेटर द्वारा एनपीएस लाइट के योगदान की राशि को सीधे जमा करने हेतु अडवाइजरी	एनपीएस लाइट योगदान संग्रह करने के लिए उत्तरदायी एग्रीगेटर्स ग्राहकों को सीधे अपने योगदान को बिना कोई रशीद दिए बैंक खातों में जमा करने के लिए सक्षम बनाना था। पीएफआरडीए ने एग्रीगेटर्स को सीधे जमा करने से रोकने के लिए एवं प्रत्येक योगदान के लिए रसीद जारी करने का निर्देश दिया।

तारीख	उपाय	औचित्य/उद्देश्य
9 अक्टूबर 2017	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत टियर -2 खातों की निरंतरता, एन्यूटी और एकमुश्त को स्थगित करने की जानकारी	पीएफआरडीए ने विनियमों और परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार टियर -2 खातों की निरंतरता तथा स्थगन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट करने तथा उसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए यह परिपत्र जारी किया है।
27 अक्टूबर 2017	सीआरए द्वारा कार्यात्मकताओं का नवीनीकरण/उन्नयन	दो केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों को और अधिक परिचालन दक्षता तथा आसान एक्सेस प्रदान करने के लिए उनके कार्यात्मकता को विस्तारित किया गया था। कार्यात्मकता जैसे कि एफएटीसीए अनुपालन, आहरण, ईकेवाईसी, आधार सीडिंग और ग्राहक का ईएनपीएस में स्थानांतरण, आदि को व्यापक किया गया था।
27 अक्टूबर 2017	एनपीएस के तहत पीओपी हेतु सेवा शुल्क का संशोधन (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट)	एनपीएस को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने तथा उसे वितरित करने हेतु पीओपी को इन्सेंटिव प्रदान करने के दृष्टिकोण से, पीओपी को उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभारों को बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।
01 नवंबर 2017	एनपीएस निजी क्षेत्र, अर्थात् सभी नागरिक मॉडल तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र मॉडल, के तहत एनपीएस में शामिल होने के लिए वर्तमान में उपलब्ध अधिकतम आयु 60 वर्ष को बढ़ा कर 65 वर्ष करना	पीएफआरडीए ने आम जनता, कारपोरेट और मध्यस्थों के साथ बातचीत के दौरान एनपीएस में शामिल होने के लिए आयु बढ़ाने पर फीडबैक/सुझाव प्राप्त किया। निजी क्षेत्र और स्व-रोजगार में उपलब्ध अवसरों के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और फिटनेस के स्तर में वृद्धि के कारण अधिक से अधिक लोग 50 के उतरार्ध और 60 के अपने दशक में सक्रिय जीवन जी रहे हैं। 60 या उससे कम उम्र की तुलना में 60 से अधिक आयु में उपलब्ध एन्यूटी दर में बेहतर एन्यूटीयाँ (वार्षिकियाँ) प्राप्त होती हैं।
5. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)		
15 जून 2017	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए तेजी से दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017	कॉर्पोरेट देनदारों के लिए ₹.1 करोड़ से कम की कुल परिसंपत्तियाँ या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्टार्ट-अप या छोटी कंपनी के साथ तीव्र समाधान प्रक्रिया हेतु जारी अनुदेश। यह प्रक्रिया अन्य मामलों में लगने वाले 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी तथा आगे 45 दिनों की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।
15 जून 2017	कोड के तहत स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताएं कि दिवालिया पेशेवरों (आईपी) के रूप में कौन सेवा प्रदान कर सकता है	स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यह अनुदेश जारी किया गया है कि केवल वही व्यक्ति जिसके पास आवश्यक अर्हता और अनुभव होगा, आईपीए के सदस्य के रूप में नामांकित होने के लिए योग्य होगा एवं उसके बाद आईबीबीआई के साथ एक आईपी के रूप में पंजीकृत होगा तथा कोड के तहत आईपी के रूप में सेवाएं प्रदान कर सकता है। उन सभी दिवालिया पेशेवर संस्थाओं (आईपीई), जो न तो आईपीए के साथ एक सदस्य के रूप में नामांकित हैं और न ही आईबीबीआई के साथ एक आईपी के रूप में पंजीकृत हैं, को कोड के तहत आईपी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है।
29 सितंबर 2017	आईबीबीआई (सूचना उपयोगिताएँ) (संशोधन) विनियम, 2017	संशोधित विनियम, किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण की तारीख से तीन वर्ष तक पेड-अप ईक्यूटी शेयर केपिटल का 51 प्रतिशत या सूचना उपयोगिता के कुल मतदान अधिकार को रखने की अनुमति प्रदान करता है। यह भारतीय कंपनियों को भी कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन सौ प्रतिशत तक इक्विटी रखने की अनुमति देता है। ये प्रावधान 30 सितंबर 2018 से पहले पंजीकृत होने वाली सूचना उपयोगिताओं के संबंध में उपलब्ध हैं।
05 अक्टूबर 2017	आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालियापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 और आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला रिजॉल्यूशन प्रक्रिया) विनियम, 2017 में संशोधन	संशोधित विनियमों के अनुसार, एक रिजॉल्यूशन प्लान में इस बात का समावेश अवश्य हो कि वह कॉर्पोरेट ऋणदाता के वित्तीय लेनदारों और परिचालनात्मक लेनदारों सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा कैसे करेगा।
07 नवंबर 2017	आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालियापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 और आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला संकल्प प्रक्रिया) विनियम, 2017 में संशोधन	संकल्प आवेदनकर्ता और अन्य संबन्धित व्यक्ति जैसे कि होल्डिंग कंपनियाँ, सहायक कंपनियाँ, सम्बद्ध कंपनियाँ तथा संबन्धित पार्टियाँ के मामलों में इस संशोधन के फलस्वरूप संकल्प योजना के तहत दोषसिद्धि, लंबित आपराधिक कार्यवाही, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अन-अर्हता मामलों, सेबी द्वारा जारी किए गए आदेश या निर्देश, इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकरण आदि प्रकटन अनिवार्य हो जाएगा ताकि ऋणकर्ता समिति ऐसे आवेदनकर्ताओं के साथ का मूल्यांकन कर सके और उसके अनुमोदन के लिए संकल्प योजना पर विचार करते समय विवेकपूर्ण निर्णय ले सके।

तारीख	उपाय	औचित्य/उद्देश्य
23 नवंबर 2017	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में संशोधन करने का अध्यादेश को प्रख्यापित करना	अध्यादेश 7 नवंबर, 2017 के नियमों में आईबीबीआई संशोधन को मजबूत करने के लिए कोड के तहत प्रावधानों के अनुरूप करता है। इसका उद्देश्य कोड के प्रावधानों को अनैतिक, अवांछनीय व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग को रोकना या सुरक्षा उपायों को स्थापित करना है।

खंड- बी अन्य गतिविधियां, बाजार प्रथाएं और पर्यवेक्षी चिंताएं

I. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

3.31 जून 2017 में पिछले एफएसआर के प्रकाशन के बाद वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 17वीं बैठक दिनांक 22 अगस्त 2017 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति, वित्तीय क्षेत्र (सीईआरटी-फिन) के लिए कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2017 की प्रगति की समीक्षा, वित्तीय डेटा प्रबंधन केंद्र (एफडीएमसी) की स्थापना, एफएसडीसी की वार्षिक रिपोर्ट, केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (सीआरए) पर चर्चा की गई।

3.32 एफएसडीसी की उप समिति की बैठक दिनांक 23 नवंबर 2017 को गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति ने वैश्विक और घरेलू मोर्चा से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा की जो देश की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। उप-समिति ने नेशनल सेंटर फॉर फाईनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई) की स्थापना, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा पंजीकृत सूचना उपयोगिताओं का संचालन, नियामकों और एलआईआई के कार्यान्वयन की स्थिति के बीच डेटा साझा करने से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके अलावा, उपसमिति ने इसके विभिन्न तकनीकी समूहों की गतिविधियों की समीक्षा की और विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्तर समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की भी समीक्षा की। फिनटेक और डिजिटल नवोन्मेष, शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन


समूह और स्टूवर्डशिप कोड पर समितियों की सिफारिशों पर भी चर्चा हुई।

II. निधि का प्रवाह: एफपीआई और म्यूचुअल फंड्स (एमएफ)

म्यूचुअल फंड्स


3.33 म्यूचुअल फंड भारत में एक परिसंपत्ति के रूप में बड़े पैमाने पर निवेशकों और विस्तृत क्षेत्र के साथ परिपक्व स्थिति में आ रहा है। प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम) मार्च 2017 में रु. 17.55 ट्रिलियन से बढ़कर सितंबर 2017 में रु. 20.40 ट्रिलियन हो गई। व्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश ने इस क्षेत्र में और स्थिरता बढ़ा दी है। हालांकि, 2013-14 से बकाया एसआईपी की संख्या लगातार बढ़ रहा है जो 6 मिलियन से बढ़कर जुलाई, 2017 में 16.5 मिलियन हो गई, इस अवधि में दौरान समयपूर्व निकासी की संख्या 1.9 मिलियन से घटकर 0.6 मिलियन रह गई। इससे और आगे बढ़ते हुए बी-15 शहरों की एयूएम 2012-13 के तुलना में 2016-17 में बढ़कर 230 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, एक ही अवधि के दौरान म्यूचुअल फंड्स की एयूएम में व्यक्तिगत हिस्सेदारी का हिस्सा अप्रैल 2016 में 46 फीसदी से बढ़कर सितंबर 2017 तक 51 फीसदी हो गया, जबकि संस्थानों (कंपनियों और बैंकों) की हिस्सेदारी 54 फीसदी से घटकर 49 फीसदी हो गई। निवेशक के आधार में व्यापकता होने पर बाजार में मूल्यांकन की स्थिति में गिरावट आने पर बिकवाली के दबाव से निपटने में मदद मिलेगी (चार्ट 3.9)।

चार्ट 3.9: म्यूचुअल फंड्स




स्रोत: सेबी

चार्ट 3.10: शीर्ष 500 शेयरों के लिए वर्गवार हिस्सेदारी



चार्ट 3.11: जून 2017 को समाप्त तिमाही- शीर्ष 500 शेयरों आदि शेयर सूचकांक के लिए वर्गवार हिस्सेदारी




अन्य डीआईआई में वित्तीय संस्थान/बैंक, कर्मचारी न्यास, बीमा कंपनियां, आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी, भविष्य निधि और एआईएफ शामिल हैं।
* विदेशी निक्षेपागार (डीआर धारण), विदेशी जोखिम पूंजी निधि, जोखिम पूंजी निधि, विदेशी संस्थाएं, कॉरपोरेट निकाय, कर्मचारी कल्याण निधि, फर्म/एलएलपी, विदेशी कॉरपोरेट निकाय, निजी इक्विटी निधि और सोसाइटियां, अभिरक्षक, कर्मचारी कल्याण न्यास और कारोबार सदस्य और संयुक्त कारोबार सदस्य आदि अन्य में शामिल हैं।

III. भारतीय स्टॉक के स्वामित्व का स्वरूप

3.34 सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों में विविध स्वामित्व, स्टॉक बाजार की पहुंच एवं चलनिधि के लिए अनुकूल है। बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में शीर्ष 500 स्ट्रिप के शेयरधारिता स्वरूप का विश्लेषण घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की शेयरधारिता प्रतिशतता में क्रमिक बढ़ोतरी को दर्शाता है। पिछले तीन वर्षों में म्यूच्युअल फंड के हिस्से में बढ़ोतरी हुई है। (चार्ट 3.10)। निफ्टी 50 एवं शीर्ष 500 स्ट्रिप दोनों के स्वामित्व में प्रमोटर्स एवं सरकार द्वारा बड़ा हिस्सा रखा जाना जारी है (चार्ट 3.11)।


3.35 पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2016-17 में शीर्ष 100 स्ट्रिप से अधिक के कुल करोबार में हुई अत्याधिक बढ़ोतरी से पता चलता है कि भारतीय इक्विटी बाजार के विकास की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पिछले दो वर्षों में निवेशकों ने लघु एवं मध्यम बाजार प्रतिभूतियों में अपनी रुचि दिखाई है (चार्ट 3.12)। 501-1000 समूह के स्ट्रिप का कुल कारोबार (बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में), कुल एक्सचेंज के कुल कारोबार में 19 प्रतिशत एवं शीर्ष 50 स्ट्रिप के मामलों में 12 प्रतिशत बढ़ोतरी की तुलना में लगभग 36 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। तथापि, इक्विटी की ताजा

चार्ट 3.12 कुल बिक्री के प्रतिशत में परिवर्तन -2016-17 (वर्ष दर वर्ष)



स्रोत: एनएसई

चार्ट 3.13: समूहवार कुल कारोबार - कुल इक्विटी के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में शीर्ष



टिप्पणी: \$ 31 अक्टूबर 2017 के अनुसार
 स्रोत: एनएसई

आपूर्ति धीमी हुई है क्योंकि 'ऑफर फॉर सेल' (ओएफएस)²⁰ के माध्यम से जुटाई गई पूंजी 'प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव' (आईपीओ) के माध्यम से जुटाई गई पूंजी से अधिक है। अप्रैल-सितंबर 2017 के दौरान, कुल प्राथमिक बाजार इक्विटी से जुटाई गई पूंजी में से आईपीओ एवं ओएफएस के माध्यम से ताजा निर्गम क्रमशः 15 एवं 85 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान ये क्रमशः 25 एवं 75 प्रतिशत था। पिछले छह वर्षों में, दोनों एक्सचेंजों की सूचीबद्ध कंपनियों में संख्या की दृष्टि से वृद्धि में 15 प्रतिशत की आंशिक बढ़ोतरी हुई। दीर्घावधि में, गुणवत्तापूर्ण सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि बढ़ती हुई मांग को मुख्यतया म्यूच्युअल फंड के माध्यम से पूरा किया जा सके।


IV. पण्य व्युत्पन्नी

3.36 अप्रैल-सितंबर 2017 के दौरान, धातु एवं कृषि पण्य वस्तुओं में सकारात्मक वृद्धि के साथ पण्य व्युत्पन्नी बाजार ने बढ़त की प्रवृत्ति दिखाई दी है (चार्ट 3.14 एवं 3.15)।

V. आधारभूत बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों पर विमुद्रीकरण का प्रभाव एवं डिजिटल लेनदेन


3.37 विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की निकासी का वित्तीय समावेशन पर पर्याप्त प्रभाव था जो

चार्ट 3.14: भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय पण्य सूचकांकों की गति



स्रोत: एमसीएक्स, एनसीडेक्स, एनएमसीई एवं आईसीईएक्स


चार्ट 3.15: अखिल भारतीय पण्य फ्युचर कुल कारोबार में उत्पाद खंडवार हिस्सा (अप्रैल-सितंबर 17)



स्रोत: एमसीएक्स, एनसीडेक्स, एनएमसीई एवं आईसीईएक्स

²⁰ ऑफर फॉर सेल मुख्यतः हितधारकों द्वारा धारित वर्तमान इक्विटी का ऑफलोडिंग है। ओएफएस का अर्थ मुख्यतः वर्तमान इक्विटी के स्वामित्व में परिवर्तन है एवं इसका मतलब नई इक्विटी को जोड़ना नहीं है।

चार्ट 3.16: बीएसबीडी खाते - बकाया राशि एवं संख्या



स्रोत: आरबीआई


बीएसबीडी²¹ खातों एवं बकाया जमा से प्रदर्शित होता है। विमुद्रीकरण के बाद बीएसबीडी खातों की कुल संख्या अक्टूबर 2016 के 504 मिलियन के मुकाबले मार्च 2017 में बढ़कर 533 मिलियन हो गई, जबकि इसी अवधि में इन खातों में बकाया राशि ₹732 बिलियन से बढ़कर ₹976 बिलियन हो गई। ऐसे खातों द्वारा ली गई ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा नवंबर 2016 में चरम पर रही, जिसका श्रेय क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोतों की अनुपलब्धता को जाता है (चार्ट 3.16 एवं 3.17)।

3.38 विमुद्रीकरण ने इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को पर्याप्त बढ़ावा दिया (चार्ट 3.18 एवं 3.19)। स्मार्टफोन एवं इंटरनेट तक पहुंच का विस्तार तथा डिजिटल लेनदेन के प्रोत्साहन को संगत बनाना इस प्रवृत्ति को मजबूती प्रदान कर सकता है। नई तकनीकों का तेजी से उभरता तंत्र भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिसे हाल के आंकड़ों में देखा जा सकता है।

VI. फिनटेक


3.39 फिनटेक ने बैंकिंग क्षेत्र में अपनी सार्थकता एवं मौजूदगी को बढ़ाना ही नहीं जारी रखा है बल्कि यह आनेवाले समय में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए एक पसंदीदा तरीका के रूप में उभरेगा। बिग डेटा के साथ-साथ मशीन लर्निंग (एमएल) एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बैंकिंग क्षेत्र को बदल रहा है

चार्ट 3.17: बीएसबीडी खाते - ओडी सुविधा का लाभ लेना




स्रोत: आरबीआई

चार्ट 3.18: कुल इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का मूल्य एवं उसकी मात्रा



चार्ट 3.19: प्रचलन में नोट बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का मूल्य



²¹ आधारभूत बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडी) को सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध सामान्य बैंकिंग सेवा माना जाता है एवं यह निम्नलिखित न्यूनतम सामान्य सुविधाएं मुहैया करते हैं: (i) कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं (ii) बैंक शाखाओं एवं एटीएम दोनों में नकद जमा करना एवं वहाँ से नकद आहरण सेवाओं में शामिल हैं; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनल या केंद्रीय/राज्य सरकार एजेंसियों एवं विभागों द्वारा आहरित चेक के संग्रहण के माध्यम से पैसे की प्राप्ति/क्रेडिट; (iii) एक महीने में जमा की संख्या में कोई सीमा नहीं, लेकिन एक महीने में अधिकतम चार आहरण, एवं (iv) एटीएम/टीएम सह डेबिट कार्ड

जिससे विनियामक चुनौतियां बढ़ रही हैं। डेटा भंडारण एवं प्रोसेसिंग की घटती कीमत बड़ी मात्रा में डेटा के लाभप्रद प्रयोग की सुविधा मुहैया करा रहा है, जो विश्व के सभी स्थानों से उत्पन्न हो रहा है। यद्यपि, फिनटेक बैंकिंग उद्योग को प्रभावित करने वाला नवोन्मेष का केवल नवीनतम लहर है, दक्ष तकनीक एवं नए व्यवसाय मॉडलों को तेजी से अपनाने के कारण मौजूदा बैंकों के लिए चुनौती बढ़ी हैं। हाल ही के फिनटेक²² के रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने उल्लेख किया है कि एआई लेखा-परीक्षा या समझ की कमी एवं मशीन शिक्षा पद्धतियां वृहत-स्तरीय जोखिम बनी हुई है, जबकि अस्पष्ट मॉडल (ओपेक मॉडल) का ज्यादा उपयोग से अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं।

3.40 वैश्विक स्तर पर, रेगटेक एवं सुपटेक में रुचि एवं निवेश बढ़ रहा है क्योंकि पारंपरिक बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन स्वचालन को जोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं, जैसे कि ग्राहक सेवा में किया गया सुधार। केपीएमजी रिपोर्ट²³ ने बताया है कि 'वैश्विक स्तर पर फिनटेक क्रियाकलाप में बढ़ोतरी से अनेक विशिष्ट फिनटेक हब का निर्माण हुआ है। जबकि यूएस, यूके एवं इजराइल जैसे परंपरागत हब का अभी भी प्रभुत्व है, अन्य क्षेत्राधिकार फिनटेक के विशिष्ट सब-सेक्टर में अग्रणी बनने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, रोबोटिक्स प्रासेस ऑटोमेशन (आरपीए) के क्षेत्र में पेशा को प्रोत्साहित करने में जापान अग्रणी बन रहा है, जबकि ताईवान एक ब्लॉकचेन केंद्र के रूप में उभर रहा है एवं मलेशिया साइबर सुरक्षा नवोन्मेष के लिए एक हब के रूप में अपने आप को साबित कर रहा है।' भारतीय फिनटेक क्षेत्र के लिए वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल भुगतान जैसे संगत क्षेत्रों में उभरने का एक अवसर है। रेगटेक एवं सुपटेक के अलावा, इंस्योरटेक एक अन्य उभरता हुआ क्षेत्र है एवं सिंगापुर इसके हब के रूप में उभर रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से इंस्योरटेक अभी भी नया विषय है यदि इसकी तुलना बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के अन्य क्षेत्रों से करेंगे, परंतु यह तेजी से बढ़ रहा है।

3.41 विनियामक वातावरण के अधीन भारत ने फिनटेक के डिजिटल भुगतान पहलू में काफी प्रगति की है। हालांकि, अनेक भुगतान बैंकों ने परिचालन शुरू कर दिया है, रिज़र्व बैंक ने हाल ही में पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) उधारदेने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं जो पी 2 पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर व्यवसाय करने के लिए इच्छुक कंपनियों के पंजीकरण और उनके परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करते हैं। हालांकि, भारतीय फिनटेक उद्यम में निजी क्षेत्र का निवेश 2017 में काफी धीमा रहा। केपीएमजी की रिपोर्ट²³ के अनुसार, भारत में फिनटेक में उद्यम निवेश 2015 की तीसरी तिमाही के सबसे उंचे \$ 800 मिलियन के निवेश एवं 20 बंद सौदों से ज्यादा की तुलना में यह 2017 की तृतीय तिमाही में कम होकर \$ 100 मिलियन एवं 10 बंद सौदों तक रहा।

VII साइबर सुरक्षा

3.42 फिनटेक में एकसपोनेशीयल विकास और संबंधित क्षेत्रों में, अब तक ज्ञात साइबर जोखिमों के अतिरिक्त अज्ञात जोखिम को भी जन्म दे रहे हैं। वित्तीय प्रणाली की संस्थाओं के बीच बढ़ता परिष्कार और जटिलता भी उन्हें साइबर जोखिम के प्रति संवेदनशील बना रही हैं। इस संदर्भ में, साइबर जोखिम प्रबंधन और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों का आईटी केंद्रित जांच किया जाता रहा है। जबकि जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के अधीन बैंक के समग्र जोखिम प्रोफाइल के आकलन को फैक्टर किया जाता है, वर्ष के दौरान भुगतान प्रणालियों एवं नेटवर्क सुरक्षा जैसे कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों में और गहन संवीक्षा किया जाना प्रस्तावित है। ऑफसाइट निगरानी प्रणाली के सुदृढीकरण के भाग के रूप में, विभिन्न डेटा क्षेत्रों (दोनों उद्देश्यपरक एवं वस्तुपरक) से बैंकों के साइबर सुरक्षा की स्थिति से संबंधित सूचना तिमाही आधार पर एकत्र की जा रही है। बैंकों की तैयारी एवं प्रतिक्रिया क्षमताओं का आकलन करने के लिए समय-समय पर साइबर ड्रिल किए जाते हैं। यह प्रयास रिज़र्व बैंक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) द्वारा समर्थित है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है।

²² एफएसबी: फिनटेक के लिए वित्तीय स्थिरता निहितार्थ (27 जून 2017)

²³ पल्स ऑफ फिनटेक तीसरी तिमाही 2017, ग्लोबल एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिनटेक, केपीएमजी इंटरनेशनल

3.43 उप गवर्नर की अध्यक्षता में सरकार द्वारा स्थापित कार्य समूह इंडियन कम्प्यूटर ईमर्जेंसी रेसपॉस टीम (सीईआरटी-इन) ने वित्तीय क्षेत्र के विनियमकों, विभागों एवं विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व के उपरांत इंडियन कम्प्यूटर ईमर्जेंसी रेसपॉस टीम फॉर फाईनेंशियल सेक्टर (सीईआरटी-एफआईएन) के गठन के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को जून 2017 में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था और इसपर प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर जांच चल रही है। यह अनुशंसा की गई थी कि सीईआरटी-एफआईएन अन्य बातों के साथ साथ रिपोर्ट की गई वित्तीय क्षेत्र की साइबर घटनाओं का विश्लेषण करेगा, साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं पर चेतावनी एवं पूर्वानुमान जारी करेगा, वित्तीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली एवं आधुनिक साइबर सुरक्षा तंत्र स्थापित करने की दिशा में किए गए क्षेत्रगत प्रयासों की निगरानी करेगा, सभी हितधारकों को नीतिगत सलाह की पेशकश करेगा एवं विनियमित संस्थाओं एवं जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने की दिशा में योगदान देगा। सीईआरटी-एफआईएन के पूरी तरह से कार्य शुरू करने के संक्रमण काल तक, भारतीय रिज़र्व बैंक अग्रणी विनियामक की तरह कार्य करेगा। साथ साथ, सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान के तकनीक एवं प्रक्रिया दोनों में शामिल सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

3.44 सेबी ने विभिन्न साइबरथ्रेट वैक्टर एवं साइबर हमले के परिदृश्य की सूची तैयार करने के लिए और वैसे मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई करने की भी सलाह मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (एमआईआई) को दिया। इसके बाद, सीईआरटी-इन के साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) और आंतरिक अनुसंधान के आधार पर साइबर खतरा वैक्टर और हमले के परिदृश्यों की एक व्यापक सूची सेबी ने परिचालित की। साइबर सुरक्षा एवं वर्तमान जोखिमों एवं धोखाधड़ियों के विरुद्ध सुरक्षा के संबंध में एमआईआई को भी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके बारे में मार्गदर्शन को आंतरिक प्रयोगकर्ताओं, बाज़ार की मध्यस्थ संस्थाओं एवं निवेशकों के लिए परिचालित करने की सलाह दी गई थी। रैनसमवेयर संबंधी खतरों एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) जैसी अन्य एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर

संस्थानों को एडवाइजरी भी जारी किया है। 2 करोड़ से ज्यादा फोलियो संधारित करने वाले वैसे सभी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को सेबी द्वारा साइबर सुरक्षा एवं साइबर आघात सहनीयता ढांचा मुहैया करवाया गया था।

3.45 पेंशन फंड : एनपीएस संरचना में बहुत बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण डेटा होता है एवं उनका सेंट्रल रिकार्डकिपिंग एजेंसी (सीआरए) जो अभिरक्षक है के पास रिकार्ड रखवाना, पीएफ का हिफाज़त एवं न्यासी बैंक सुरक्षा विनियामक के लिए प्राथमिक चिंता है। आईटी सिस्टम में उभरते हुए साइबर सुरक्षा खतरों के संदर्भ में एक 'पीएफआरडीए' में पंजीकृत मध्यस्थ संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा नीति का प्रस्ताव रखा गया था। इस नीति के तहत, मध्यस्थ संस्था को महत्वपूर्ण आईटी आस्तियों एवं उससे जुड़े जोखिमों की पहचान करनी होगी, उपयुक्त नियंत्रण, साधन एवं उपायों को तैनात करके आस्तियों की सुरक्षा की योजना बनानी होगी, उचित निगरानी के साधन/प्रक्रियाओं के माध्यम से घटनाओं, विसंगतियों एवं हमलों की पहचान हेतु योजना बनानी होगी, घटना, विसंगति अथवा हमले की पहचान के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कदम उठाने होंगे एवं घटना प्रबंधन, आपदा राहत एवं व्यवसाय निरंतरता ढांचा के माध्यम से किसी घटना से उभरने हेतु कदम उठाने होंगे। मध्यस्थ संस्था को प्रतिक्रिया एवं राहत योजना की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता की जांच के लिए उपयुक्त आवधिक ड्रिल भी करनी चाहिए।

VIII. पर्यवेक्षण, प्रवर्तन एवं बाज़ार निगरानी

3.46 वैश्विक और घरेलू वित्तीय क्षेत्र के वातावरण को ध्यान में रखते हुए, दंडात्मक कदम से विनियमित संस्थाओं द्वारा संबंधित संविधि/दिशा निर्देश एवं निदेशों के उल्लंघन की पहचान के कार्य को अलग करने के उद्देश्य से एवं इस प्रक्रिया को अंतर्जात, औपचारिक एवं संरचित बनाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक में अप्रैल 2017 में एक अलग प्रवर्तन विभाग की स्थापना की गई है। इस विभाग का मुख्य कार्य विनियमों को लागू कराना एवं अनुपालन में सुधार लाना है जिससे कि वित्तीय प्रणाली में समग्र रूप से स्थिरता और लोक हित एवं ग्राहक संरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। अन्य बातों के साथ साथ, विभाग (i) प्रवर्तन के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से संगत एक मजबूत नीतिगत ढांचा विकसित करेगा; (ii) इसके द्वारा प्राप्त/तैयार किए

गए निरीक्षण/पर्यवेक्षण रिपोर्ट एवं बाज़ार आसूचना रिपोर्ट के आधार पर किए गए उल्लंघन पर अपेक्षित कार्रवाई की पहचान करेगा; (iii) यदि जरूरत हो तो आगे, पहचान किए गए उल्लंघन पर अपेक्षित कार्रवाई से संबंधित अनुसंधान/सत्यापन करेगा एवं उन्हें एक उद्देश्यपरक, सुसंगत एवं पक्षपातरहित तरीके से लागू करेगा (iv) प्रवर्तन के लिए प्रबंधन द्वारा इसके पास प्रेषित शिकायतों का निपटारा करेगा; एवं (v) न्यायनिर्णयन के लिए गठित कार्यपालक निदेशकों की समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। शुरू में, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 47ए के तहत यह विभाग वाणिज्यिक बैंकों के मामले में दंडात्मक प्रावधानों के प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेगा। अभी तक विभाग ने प्रवर्तन के लिए एक नीतिगत ढांचा बना लिया है एवं प्रवर्तन संबंधी कार्य शुरू कर दिया है।

3.47 पेंशन फंड के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस): बढ़ती परस्पर संबद्धता और संक्रमण जोखिम प्रबंधन पर बल ने पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को अनुपालन आधारित के स्थान पर जोखिम आधारित बना दिया है। निहित जोखिमों की पर्याप्त पहचान और उनका विश्लेषण विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारियों को अधिक व्यापक एवं विवेकपूर्ण उपाय करने के लायक बनाएगा जिससे कि उन जोखिमों से निपटा जा सके एवं किसी प्रणालीगत जोखिम को अधिक दक्षता एवं प्रभावी तरीके से अप्रभावी बनाने के लिए सीमित संसाधनों को तैनात किया जा सके। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के समन्वयन में, पीएफआरडीए ने दो भिन्न थीम पर विश्व बैंक के साथ कार्य किया है - एनपीएस/एपीवाई कवरेज का विस्तार एवं आरबीएस को शुरू किया जाना। आरबीएस पर आधारभूत ढांचा विकसित करने में विश्व बैंक की टीम ने पीएफआरडीए का सहयोग किया जिसके आधार पर इसने मध्यस्थ संस्थाओं का प्रायोगिक जांच शुरू किया गया है। यह ढांचा वित्तीय निष्पादन, वित्तीय मजबूती एवं निम्नलिखित छह अन्वेषण/नियंत्रण कार्य पर बल देता है: (i) बोर्ड, (ii) वरिष्ठ प्रबंधन, (iii) अनुपालन, (iv) जोखिम प्रबंधन, (v) आंतरिक लेखा-परीक्षा, एवं (vi) बीमांकिक

3.48 बीमा कंपनियों का जोखिम आधारित पर्यवेक्षण: आईआरडीआई ने जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचा बनाने

की प्रक्रिया शुरू करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जून 2016 में, इसने भारत में जोखिम आधारित पूंजी प्रणाली को लागू करने संबंधी रूपरेखा बनाने के लिए 'जोखिम आधारित पूंजी' पर एक समिति का गठन किया है। समिति ने जुलाई 2017 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिणामस्वरूप, जोखिम आधारित पूंजी (आरबीसी) कालावधि को लागू करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है। साथ ही, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए उचित ढांचा के अध्ययन एवं विकास के लिए एक आंतरिक प्रोजेक्ट समिति को भी कार्य सौंपा गया था।

IX. ग्राहक संरक्षण

3.49 वैश्विक वित्तीय संकट ने वित्तीय स्थिरता के लिए उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय साक्षरता के महत्व को चिह्नित किया है। उदाहरणस्वरूप, वित्तीय बाजारों की स्थिरता कम हो सकती है जब उपभोक्ताओं में सहन करने की क्षमता से ज्यादा संदेह की स्थिति हो अथवा उनको वित्तीय विकल्पों या दायित्वों²³ के बारे में गलत सूचना दी गई हो। आज का डिजिटल युग और हाइपर-कनेक्टेड वातावरण एवं बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा नवोन्मेषी जटिल वित्तीय उत्पादों के सामने ला रहा है जिनका आक्रामक ढंग से विपणन किया जा रहा है। इसका परिणाम धोखाधड़ी और कदाचार की घटनाओं में वृद्धि है और प्रायः कम जानकार एवं भोले-भाले ग्राहक धोखेबाजों के शिकार हो जाते हैं। यह एटीएम/डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड²⁴ से संबंधित शिकायतों के डेटा से समर्थित है। उसी प्रकार से, वित्तीय उत्पादों के दुर्विक्रय से संबंधित मामले भी सामने आ रहे हैं। एक मजबूत एवं परिणामोन्मुख ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली संस्थाओं में एक विश्वास का वातावरण निर्मित करने के लिए आवश्यक है जिसकी कारण ग्राहक अपना बचत एवं निवेश उनके पास जमा करते हैं। अपर्याप्त शिकायत निवारण प्रणाली के साथ साथ शिकायतों की बड़ी मात्रा कन्फिडेंस चैनल के माध्यम से प्रणालीगत अस्थिरता लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसलिए, बैंकों में इस प्रणाली की मजबूती, एक हद तक, बैंकों के स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण संकेतक है। बैंकिंग लोकपाल को भेजे गए शिकायतों की संख्या 2015-16 एवं

²³ विश्व बैंक रिपोर्ट, 2010 : ग्राहक संरक्षण एवं वित्तीय साक्षरता की नैदानिक समीक्षा

²⁴ बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) के अंतर्गत 2016-17 में दर्ज शिकायतों का 18.9 प्रतिशत एटीएम/डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड से संबंधित है।

2016-17²⁵ में क्रमशः करीब 21 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत तक बढ़ गया है। शिकायतों में यह बढ़ोतरी का प्रमुख कारण बैंकों के निचले स्टाफ का दृष्टिकोण है, जो शिकायतों से निपटने के लिए न केवल कम प्रशिक्षित हैं एवं जिनको न केवल प्रोत्साहन पर आधारित कड़ा लक्ष्य दिया जाता है, बल्कि उनको लगातार रोटेट भी किया जाता है एवं इस तरह वे एक फ्रंट लाइन स्टाफ के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं।

3.50 भारतीय रिज़र्व बैंक जागरूकता बढ़ाने, ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार लाने, शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने एवं ग्राहक संरक्षण को बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर कार्य कर रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ, चुनिंदा एनबीएफसी के ग्राहकों के लिए लोकपाल योजना शुरू करना, चुनिंदा बैंकों में आंतरिक लोकपाल योजना लागू करना एवं 2016-17 में बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों की संख्या 15 से 20 करना, इसमें शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक व्यापक वेब आधारित एप्लीकेशन के विकास पर कार्य शुरू किया है जिससे कि शिकायतों पर विचार के लिए संपूर्ण ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली मुहैया करवाई जा सके। ग्राहक शिक्षण को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जागरूकता के लिए मुहिम को तेज किया जा रहा है एवं यह प्रयास किया जा रहा है कि आरबीआईएसएवाई हैंडल का प्रयोग करते हुए एसएमएस के माध्यम से एवं वित्तीय शिक्षा के लिए स्थापित किए जाने वाले केन्द्रों के माध्यम से, अंतिम मील तक पहुंच स्थापित किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान माध्यम को प्रोत्साहित एवं स्थापित करने के लिए अपेक्षित तंत्र को बनाने के उद्देश्य से ग्राहकों के खातों में

अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के मामलों में उनकी देयता को सीमित करते हुए आवश्यक संरक्षण दिया गया है।

3.51 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता एवं विनियमकों की सहायता के लिए 4 अगस्त 2016 को एक आसान मोबाइल पोर्टल सचेत (sachet.rbi.org.in) शुरू किया है जिससे कि जनता से केवल विनियमित संस्थाओं द्वारा जमा लिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। यह पोर्टल लोगों द्वारा जमा स्वीकार करने वाली संस्थाओं के बारे में सूचना प्राप्त करने और शिकायतें दर्ज करने एवं उन्हें ट्रैक करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। पोर्टल का एक खंड सीमित प्रयोगकर्ता ग्रुप के लिए है - राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी), एक अंतर-विनियामक मंच है जहां वे सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकें एवं अप्राधिकृत जमा संग्रहण एवं वित्तीय क्रियाकलापों पर समन्वित कार्रवाई कर सकें। सचेत में दर्ज की गई ऐसी गतिविधियों से संबंधित शिकायतों का समाधान त्वरित तरीके से की गई।

3.52 बीमा क्षेत्र में, आईआरडीएआई ने 'पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा' पर शिकायत निवारण प्रणाली एवं अन्य संगत पहलुओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विधिवत संशोधित विनियमों को अधिसूचित किया है। इसके द्वारा निवास स्थान, कार्यालय, होटल, दुकान इत्यादि और सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों के लिए विजिटिंग प्रॉडक्ट स्ट्रक्चर पर आग और अन्य संबद्ध खतरों के विरुद्ध कवर के लिए एक कार्य दल गठित किया गया है जिससे कि वर्तमान उत्पाद ढांचे में बदलाव से संबंधित सुझाव दिया जा सके। विनियामकों द्वारा किए गए विभिन्न ग्राहक संरक्षण उपायों को सारणी 3.2 में दिया गया है।

²⁵ शिकायतों की संख्या - 2014-15: 85,131; 2015-16: 1,02,894; and 2016-17: 1,30,987.

अनुबंध 1

सर्वांगी/प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

वित्तीय प्रणाली के समक्ष वर्तमान के प्रमुख जोखिमों के संबंध में बाजार के प्रतिभागियों सहित विशेषज्ञों की राय जानने के लिए अक्टूबर-नवंबर 2017 में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) किया गया, जो इस श्रृंखला का तेरहवां सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार, वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले वैश्विक जोखिम को मध्यम जोखिम के रूप में देखा गया। वर्तमान सर्वेक्षण में समष्टि आर्थिक स्थिति एवं संस्थागत स्थिति पर जोखिम बोध को भी मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा गया है। तथापि, बाजार जोखिमों एवं अन्य सामान्य जोखिम को इस सर्वेक्षण में कम जोखिम की श्रेणी में रखा गया है (चित्र 1)।

वैश्विक जोखिम के अंतर्गत वैश्विक वृद्धि एवं पण्य कीमत से संबंधित जोखिम को मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा गया। समष्टि-आर्थिक जोखिम समूह के अंतर्गत घरेलू वृद्धि, घरेलू मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा, पूंजी प्रवाह, कारपोरेट क्षेत्र, बुनियादी संरचना विकास की गति, रियल स्टेट कीमतें एवं पारिवारिक बचत से संबंधित जोखिम को वर्तमान सर्वेक्षण में मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा गया है। सर्वेक्षणकर्ताओं ने वित्तीय बाजार जोखिम के अंतर्गत विदेशी मुद्रा जोखिम, इक्विटी कीमत में अस्थिरता, चल निधि एवं ब्याज दर जोखिम को मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा है। संस्थागत जोखिम में, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, पूंजी आवश्यकता के कारण उत्पन्न जोखिम, ऋण में वृद्धि एवं साइबर जोखिम को उच्च जोखिम कारकों के रूप में देखा गया (चित्र 2)।

भू-राजनीतिक जोखिम सभी वर्ग के भागीदारों के लिए निगरानी का विषय रहा। बाजार के भागीदारों ने मुख्यतः घरेलू इक्विटी बाजार, विदेशी विनिमय बाजार में सुधार पर जोर दिया जो जोखिम के कारणों के रूप में उभरते हुए यूएस व्यापार/कर नीति के दृष्टिकोण एवं अंतरराष्ट्रीय पण्य बाजारों में अस्थिरता के कारण था। ज्यादातर भागीदार यह महसूस करते हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में खराब आस्तियों के निपटारे में दिवाला एवं शोधन कोड की भूमिका में तेजी तो

चित्र 1 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए प्रमुख जोखिम समूह (अक्टूबर 2017)

प्रमुख जोखिम समूह	अक्टूबर-17	परिवर्तन	अप्रैल-17
अ. वैश्विक जोखिम		↔	
आ. समष्टि-आर्थिक जोखिम		↑	
इ. वित्तीय बाजार जोखिम		↓	
ई. संस्थागत जोखिम		↓	
उ. सामान्य जोखिम		↓	

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - (अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2017)

टिप्पणी :

जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
-----------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा

समय-समय पर किए गए (अप्रैल और अक्टूबर अर्ध वार्षिक आधार पर) प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि जोखिम संभावनाएं एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित (कमी/वृद्धि) हो सकती हैं जिसे रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। किंतु समान जोखिम श्रेणी (अर्थात, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स) में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है, जिनको तीर के निशान द्वारा दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं में दर्शाया गया परिवर्तन लगातार दो सर्वेक्षणों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से संबंधित है।

चित्र 2. : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए विभिन्न जोखिम (अक्टूबर 2017)				
जोखिम समूह	जोखिम की मद	अक्टूबर-17	परिवर्तन	अप्रैल-17
अ. वैश्विक जोखिम	वैश्विक वृद्धि		↓	
	राष्ट्रिक जोखिम/संक्रमण		↓	
	फंडिंग जोखिम (बाह्य उधार)		↑	
	पण्य मूल्य जोखिम (कच्चे तेल की कीमतों सहित)		↑	
	अन्य वैश्विक जोखिम		↑	
आ. समष्टि-आर्थिक जोखिम	घरेलू वृद्धि		↑	
	घरेलू मुद्रास्फीति		↓	
	चालू खाता घाटा		↑	
	पूंजीगत अंतर्वाह/बहिर्वाह (एफआईआई का लौटना, एफडीआई में कमी)		↑	
	राष्ट्रिक रेटिंग में कमी		↑	
	राजकोषीय घाटा		↑	
	कॉर्पोरेट क्षेत्र का जोखिम		↓	
	आधारभूत संरचना के विकास की गति		↑	
	रियल एस्टेट कीमतें		↓	
	पारिवारिक इकाइयों की बचत		↑	
	राजनैतिक अनिश्चितता/शासन/नीति का कार्यान्वयन		↑	
	अन्य समष्टि-आर्थिक जोखिम		↓	
	इ. वित्तीय बाजार संबंधी जोखिम	विदेशी मुद्रा दर का जोखिम		↑
इक्विटी मूल्य में उतार-चढ़ाव			↑	
ब्याज दर जोखिम			↑	
चलनिधि जोखिम			↑	
बाजार संबंधी अन्य जोखिम			↓	
ई. संस्थागत जोखिम	विनियामक जोखिम		↑	
	आस्ति गुणवत्ता में कमी		↑	
	बैंकों की अतिरिक्त पूंजी संबंधी आवश्यकता		↓	
	बैंकों द्वारा फंडिंग तक पहुंच		↓	
	क्रेडिट वृद्धि का स्तर		↑	
	साइबर जोखिम		↔	
	परिचालन जोखिम		↑	
	संस्थागत अन्य जोखिम		↓	
उ. सामान्य जोखिम	आतंकवाद		↓	
	प्रकृति से संबंधित जोखिम		↑	
	सामाजिक अशांति (बढ़ती असमानता)		↑	
	अन्य सामान्य जोखिम		↓	

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - (अक्टूबर 2017 और अप्रैल 2017)

टिप्पणी :
जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
-----------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा


समय-समय पर किए गए (अप्रैल और अक्टूबर अर्ध वार्षिक आधार पर) प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि जोखिम संभावनाएं एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित (कमी/वृद्धि) हो सकती हैं जिसे रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। किंतु समान जोखिम श्रेणी (अर्थात्, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स) में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है, जिनको तीर के निशान द्वारा दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं में दर्शाया गया परिवर्तन लगातार दो सर्वेक्षणों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से संबंधित है।

आई है, लेकिन अंतिम परिणाम और हेयरकट का स्तर आस्ति हानि संकट से मुक्ति एवं घरेलू वित्तीय प्रणाली में विश्वास में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण हैं। भागीदारों के एक बड़े भाग ने निवेश मांग को सुधारने के लिए सरकार के विभिन्न प्रयासों की सराहना की है लेकिन उनका यह भी मानना है कि वृद्धि का समर्थन करने के लिए निजी निवेश का बढ़ना अब जरूरी है।


मौजूदा दौर के सर्वेक्षण में अधिकांश सहभागियों ने महसूस किया कि अल्पावधि (1 वर्ष तक) और साथ ही साथ मध्यावधि (1 से 3 वर्ष) में वैश्विक वित्तीय प्रणाली और भारतीय वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव डालने वाली किसी घटना के घटित होने की संभावना मध्यम है। तथापि, लगभग आधे उत्तरदाताओं ने मध्यावधि में घरेलू वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव डालने वाली घटना के घटित होने की मध्यम संभावना जताई है। मौजूदा सर्वेक्षण में जैसे उत्तरदाताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिन्होंने यह दर्शाया कि वे वैश्विक और भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को लेकर काफी आश्वस्त हैं (चार्ट 1)।

चार्ट 1: उच्च प्रभाव वाली घटनाएं घटित होने का बोध और वित्तीय प्रणाली में विश्वास

उत्तरदाता (प्रतिशत)




वित्तीय प्रणाली में विश्वास



स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अक्तूबर 2016, अप्रैल 2017 एवं अक्तूबर 2017)

अगले तीन महीनों में ऋण की मांग में होने वाले संभाव्य परिवर्तन के मामले में अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि यह अपरिवर्तित रहेंगे। ऋण की औसत गुणवत्ता के संबंध में अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह व्यक्त किया कि अगले तीन महीनों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा (चार्ट 2)।

चार्ट 2 : ऋण की मांग तथा उसकी गुणवत्ता संबंधी दृष्टिकोण (अक्तूबर 2017)



स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अक्तूबर 2017)

अनुबंध 2
कार्यप्रणालियां

2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक किसी दी गई अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाली स्थितियों और जोखिम घटकों में होने वाले परिवर्तनों का समग्र अनुमान प्रदर्शित करते हैं। बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक में पांच संयुक्त सूचकांकों का प्रयोग किया गया है जिनके पांच आयाम हैं - मजबूती, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि और कार्यकुशलता। प्रत्येक संयुक्त सूचकांक बनाने में जिन अनुपातों का प्रयोग किया गया है उन्हें तालिका 1 में दिया गया है:-

सारणी 1: बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक बनाने के लिए प्रयुक्त अनुपात				
आयाम	अनुपात			
मजबूती	सीआरएआर #	टिअर II पूंजी के प्रति टिअर-I पूंजी #	पूंजी और आरक्षी के प्रति कुल आस्ति के रूप में लीवरेज अनुपात	
आस्ति-गुणवत्ता	कुल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए	कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	सकल एनपीए के प्रति अवमानक अग्रिम #	मानक अग्रिमों की तुलना में पुनःसंचित- मानक- अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिफल #	निवल ब्याज मार्जिन #	लाभ में वृद्धि #	
चलनिधि	कुल आस्तियों की तुलना में चलनिधि आस्तियां #	कुल आस्तियों की तुलना में ग्राहक जमा राशियां #	ग्राहक की जमा राशियों की तुलना में गैर-बैंक अग्रिम	कुल जमा राशियों की तुलना में 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली जमा राशियां
कार्यकुशलता	आय की तुलना में लागत	स्टाफ खर्च की तुलना में व्यवसाय (क्रेडिट + जमा राशि) #	कुल खर्च की तुलना में स्टाफ व्यय	

नोट: # जोखिम से प्रतिलोम संबंध है।

प्रत्येक संयुक्त सूचकांक जो बैंक की कार्यप्रणाली के आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, वह शून्य और 1 के बीच का मान लेता है। प्रत्येक सूचकांक इसके निर्माण के लिए प्रयुक्त नमूना अवधि के दौरान एक संबंधित पैमाना होता है जिसमें उच्च मान का अर्थ होता है कि उस आयाम में जोखिम अधिक है। अतः किसी विशेष आयाम में सूचकांक का मान बढ़ना यह दर्शाता है कि उस आयाम में अन्य अवधियों की तुलना में संबंधित अवधि में जोखिम में वृद्धि हुई है। किसी आयाम के लिए प्रयोग में लाए गए प्रत्येक अनुपात द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक भारित औसत निकाला जाता है जिसमें भारों को बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में किसी बैंक की व्यक्तिगत आस्तियों के अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है। किसी नमूना अवधि के लिए प्रत्येक सूचकांक का सामान्यीकरण निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है :

$$\frac{(X_t - \min(X_t))}{(\max(X_t) - \min(X_t))}$$

जिसमें X_t अनुपात के मूल्य को t समय पर प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आयाम के संयुक्त सूचकांक की गणना, उस आयाम के लिए प्रयुक्त सामान्यीकृत अनुपातों के भारित औसत के रूप में की जाती है जहां भार, सीएएमईएलएस रेटिंग के अनुमान हेतु निर्धारित अंकों पर आधारित होते हैं। इन पांच संयुक्त सूचकांकों के सामान्य औसत के रूप में बैंकिंग स्थिरता संकेतक का निर्माण किया जाता है।

समष्टि-दबाव परीक्षण

समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रति बैंकों की आघात-सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, एक मैक्रो दबाव परीक्षण क्रेडिट जोखिम के लिए किया गया। इसके अंतर्गत, बैंकों (सिस्टम एवं बड़े बैंक समूह स्तर पर) के जीएनपीए अनुपात पर एवं अंततः उनकी पूंजी पर्याप्तता (बैंकवार एवं सिस्टम स्तर पर 55 बैंकों के नमूनों के लिए) पर मैक्रो आघात का प्रभाव देखा गया।

जीएनपीए अनुपात का प्रभाव

यहाँ, गिरावट अनुपात (एसआर)¹ को समष्टि-आर्थिक चरों के एक फंक्शन के रूप में मॉडल किया गया था जिसमें विविध अर्थमितीय मॉडल का प्रयोग किया गया जो चुनिंदा बैंकिंग प्रणालियों को समग्रतः समष्टि-आर्थिक चरों से संयुक्त करता है। जिन समय-शृंखला अर्थमितीय मॉडलों का प्रयोग किया गया है वे इस प्रकार हैं: (i) बहुविचर रीग्रेशन को नमूना प्रणाली स्तरीय गिरावट अनुपात के साथ; (ii) वेक्टर स्वरीग्रेशन (वीएआर) को नमूना प्रणाली स्तरीय गिरावट अनुपात के साथ, (iii) क्वान्टाइल रीग्रेशन को नमूना प्रणाली स्तरीय गिरावट अनुपात के साथ, (iv) बहुविचर रीग्रेशन को नमूना बैंक समूह-वार गिरावट अनुपात के साथ, और (v) वीएआर को नमूना बैंक समूह-वार गिरावट अनुपात के साथ। समग्र बैंकिंग प्रणाली में गिरावट अनुपात (स्लिपेज रेश्यो) के मौजूदा और पिछले मान शामिल होते हैं जबकि समष्टि-आर्थिक चरों में आधार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) संवृद्धि, भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर), सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात $\left(\frac{EX}{GDP}\right)$, जीडीपी अनुपात की तुलना में चालू खाता शेष $\left(\frac{CAB}{GDP}\right)$, और जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा $\left(\frac{GFD}{GDP}\right)$ शामिल होते हैं।

जहां बहुविचर रीग्रेशन, बैंकिंग प्रणाली आस्ति गुणवत्ता पर चुनिंदा समष्टि-आर्थिक चरों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है, वहीं वीएआर मॉडल फीडबैक प्रभाव को भी संज्ञान में लेता है। इन पद्धतियों में, गिरावट अनुपात¹ के सशर्त मध्यमान का अनुमान लगाया जाता है और यह माना जाता है कि क्रेडिट गुणवत्ता के स्तर में परिवर्तन होने के बावजूद क्रेडिट गुणवत्ता पर मैक्रो-चरों का प्रभाव समान रहेगा, जो कि हमेशा सत्य नहीं रह सकता है। इस अनुमान में छूट देने के लिहाज से क्रेडिट गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए क्वान्टाइल रीग्रेशन को अपनाया गया, जिसमें सशर्त मध्यमान के स्थान पर सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाया जाता है और इस प्रकार यह छुद्र जोखिमों का सामना कर सकता है और यह समष्टि-आर्थिक आघातों के गैर-रैखिक प्रभावों का भी ध्यान रखा जाता है।

गिरावट अनुपात (एसआर) पर समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित अर्थमितीय नमूने अपनाए गए :

प्रणाली स्तरीय नमूने

प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का अनुमान लगाने के लिए तीन भिन्न परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय नमूने: बहुविचर रीग्रेशन, वीएआर और क्वान्टाइल रीग्रेशन का उपयोग किया गया। इन नमूनों से उत्पन्न अनुमानों के औसत को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

• बहुविचर रीग्रेशन

यह विश्लेषण संपूर्ण वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के लिए समग्र स्तर पर गिरावट अनुपात के संबंध में किया गया।

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-1} + \beta_5 \Delta CPI_{t-4} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-2}$$

जहां $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ and $\beta_6 > 0$.

• वेक्टर स्वतःरीग्रेशन (वीएआर) मॉडल

नोशनल /अंकन रूप में, ऑर्डर पी मध्यमान-समायोजित वीएआर (VAR(p)) को इस प्रकार लिखा जा सकता है:

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t; t=0,1,2,3,\dots$$

जहां, $y_t = (y_{1t}, \dots, y_{Kt})'$ समय t पर वेरिएबल /चर का एक वेक्टर ($K \times 1$), A_i ($i=1,2,\dots,p$) निर्धारित ($K \times K$) कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैं और $u_t = (u_{1t}, \dots, u_{Kt})'$ एक K-आयामी व्हाइट न्वाइज़ या नवोन्मेषी प्रक्रिया है।

¹ एक अवधि के दौरान गिरावट, अनर्जक आस्तियों में नई अभिवृद्धि है। गिरावट अनुपात = अवधि की शुरुआत में नई अनर्जक आस्तियां/ मानक अग्रिम।

वीएआर मॉडल का अनुमान लगाने के लिए, गिरावट अनुपात, डब्ल्यूएएलआर, सीपीआई(संयुक्त) मुद्रास्फीति, आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धि और जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का चुनाव किया गया। न्यूनतम सूचना दृष्टिकोण आधार पर और अन्य उपचारों के साथ ही वीएआर के उपयुक्त क्रम का चुनाव किया गया और इसके लिए क्रमांक 2 उचित पाया गया। चुने गए वीएआर के संवेग अनुक्रिया प्रणाली का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के मैक्रो इकोनॉमिक आघातों के प्रभावों का निर्धारण किया गया।

- क्वान्टाइल रीग्रेशन

0.8 पर गिरावट अनुपात के सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित क्वान्टाइल रीग्रेशन का प्रयोग किया गया:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-3} + \beta_5 \Delta CPI_{t-5}$$

बैंक समूह स्तरीय मॉडल /पद्धति

बैंक समूह-वार गिरावट अनुपात(एसआर) का अनुमान दो भिन्न परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय नमूने: बहुविचर रीग्रेशन, वीएआर और क्वान्टाइल रीग्रेशन का उपयोग किया गया। इन नमूनों से उत्पन्न अनुमानों के औसत को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

- बहुविचर रीग्रेशन

विभिन्न बैंक समूहों के गिरावट अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विभिन्न बैंक समूहों के लिए निम्नलिखित बहुविचर रीग्रेशन का उपयोग किया गया:

सरकारी क्षेत्र के बैंक

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{CAB}{GDP} \right)_{t-3} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP} \right)_{t-2}$$

निजी क्षेत्र बैंक :

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-1} + \beta_3 RWALR_{t-2} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-1}$$

विदेशी बैंक:

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-2} + \beta_3 \Delta CPI_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-5} + \beta_5 \text{Dummy}$$

- वेक्टर स्वतः रीग्रेशन मॉडल

विभिन्न बैंक समूहों के गिरावट अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विविध क्रमों के विभिन्न वीएआर नमूनों के अनुसार अनुमान लगाया गया जो निम्नलिखित मैक्रो वेरिएबल /चरों पर आधारित थे:

सरकारी क्षेत्र के बैंक: आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धि, सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर, जीडीपी अनुपात की तुलना में सीएबी और क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में जीएफडी।

निजी क्षेत्र के बैंक: आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धि, वास्तविक डब्ल्यूएएलआर और क्रम 1 के जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात।

विदेशी बैंक: सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में डब्ल्यूएएलआर और सीएबी।

गिरावट से जीएनपीए का अनुमान

उपर्युक्त उल्लिखित नमूनों द्वारा एकबार गिरावट अनुपात का अनुमान लगा लेने पर जीएनपीए का अनुमान निम्नलिखित तादात्म्य के माध्यम से लगाया गया:

$$GNPA_{T+1} = GNPA_T + \text{Slippage}_{(T,T+1)} - \text{Recovery}_{(T,T+1)} - \text{Write-off}_{(T,T+1)} - \text{Upgradation}_{(T,T+1)}$$

गिरावट अनुपातों से निकाले गए जीएनपीए जिनका अनुमान उपर्युक्त उल्लिखित क्रेडिट जोखिम अर्थमितीय मॉडलों द्वारा प्रक्षेपित किया जाता था, वे निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित थे: 7 प्रतिशत की क्रेडिट संवृद्धि, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 3.6 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत की दर से सुधार हुआ, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 5.6 प्रतिशत, 4.0 प्रतिशत, 4.4 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत की दर से बढ़े खाते डालना; मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 2.6 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत की दरों में उन्नयन (अप-ग्रेडेशन)।

पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव

बैंक में पूंजी पर्याप्तता पर समष्टि आघातों का प्रभाव निम्नलिखित कदमों के जरिए निकाले गए:

- भविष्य पूंजी संचयन पर प्रभाव को कल्पित समष्टि परिदृश्य के तहत लाभ का अनुमान कर किया गया है, माना कि केवल 25 प्रतिशत कर पश्चात लाभ (पैट) (जो कि न्यूनतम विनियामक अपेक्षाएं हैं) बैंक की पूंजी में गई।
- भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता और समष्टि दबाव परिदृश्य का अनुमान आंतरिक मूल्यांकन आधारित सूत्र का उपयोग कर (आईआरबी) जोखिम-भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) का आकलन कर किया गया है।

पूंजी पर्याप्तता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया गया है:

$$CRAR_{t+1} = \frac{Capital_t + 0.25 * PAT_{t+1}}{RWAs(credit\ risk)_{t+1} + RWAs(others)_{t+1}}$$

$$Common\ Equity\ Tier\ 1\ Capital\ Ratio_{t+1} = \frac{CET1_t + 0.25 * PAT_{t+1}}{RWAs(credit\ risk)_{t+1} + RWAs(others)_{t+1}}$$

जहां पैट का पूर्वानुमान सेटलाइट नमूना का उपयोग कर किया गया है जिसकी व्याख्या आगे की खंड में दी गई है। आरडबल्यूए (अन्य) जो कि कुल आरडबल्यूए में से क्रेडिट जोखिम आरडबल्यूए को घटाकर है जो पिछले एक वर्ष देखी गई औसत वृद्धि दर पर आधारित अनुमान पर था। आईआरबी सूत्र का उपयोग करते हुए आरडबल्यूए (क्रेडिट जोखिम) अनुमान निम्नानुसार दिया गया है:

आईआरबी सूत्र: क्रेडिट जोखिम के लिए बैंकवार आरडबल्यूए अनुमान निम्नलिखित आईआरबी सूत्र द्वारा की गई थी।

$$RWAs(credit\ risk) = 12.5 \times \left(\sum_{i=1}^n EAD_i \times K_i \right)$$

जहां EAD_i बैंक के सेक्टर i ($i = 1, 2, \dots, n$) का डिफॉल्ट जोखिम है।

K_i क्षेत्र i के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता है जिसकी गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए की गई है:

Capital Requirement (K_i)

$$= \left[LGD_i \times N \left[(1 - R_i)^{-0.5} \times G(PD_i) + \left(\frac{R_i}{1 - R_i} \right)^{0.5} \times G(0.999) \right] - PD_i \times LGD_i \right] \\ \times (1 - 1.5 \times b(PD_i))^{-1} \times (1 + (M_i - 2.5) \times b(PD_i))$$

जहां LGD_i क्षेत्र i की दी गई डिफॉल्ट हानि है, PD_i क्षेत्र i के डिफॉल्ट की संभाव्यता है, $N(\dots)$ मानक सामान्य वितरण का संचयी वितरण फंशन है, $G(\dots)$ मानक सामान्य वितरण के संचयी वितरण फंशन का व्युत्क्रम है, M_i क्षेत्र (इस मामले में

सभी क्षेत्र के लिए 2.5 ली गई है) के ऋण की औसत परिपक्वता है, $b(PD_i)$ अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति के साथ क्षेत्र i की सुस्पष्ट परिपक्वता समायोजन है और R_i सह-संबंध है। $b(PD)$ और R दोनों की गणना PD पर निर्भर है।

उपर्युक्त वर्णित आईआरबी सूत्र के तीन प्रमुख इनपुट की आवश्यकता होती है यथा क्षेत्र की PD, EAD और LGD। यहाँ बैंक डाटा का उपयोग कर संबंधित क्षेत्र की वार्षिक गिरावट से क्षेत्र की PD ली गई है। PD क्षेत्र विशेष में प्रत्येक के लिए चयनित 55 बैंकों के समान (अर्थात प्रणालीगत दबाव) नमूने से लिए गए थे, जबकि, EAD क्षेत्र विशेष में बैंक के लिए उस क्षेत्र विशेष में बैंक के कुल बकाया ऋण था। इसके अतिरिक्त, LDG पर पूर्वानुमान इस प्रकार ली गई थी: आधाररेखा परिदृश्य के अंतर्गत, LGD = 60 प्रतिशत (मोटे तौर पर पूंजी पर्याप्तता पर आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार - ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता की गणना के लिए आईआरबी पद्धति) जो माध्यम समष्टि अर्थशास्त्र जोखिम परिदृश्य में बढ़ाकर 65 प्रतिशत और गंभीर समष्टि अर्थशास्त्र जोखिम परिदृश्य में 70 प्रतिशत होता है।

चयनित क्षेत्र : निम्नलिखित 17 क्षेत्र (और अन्य) दबाव की जांच के लिए चयनित किए गए।

सारणी 2: चयनित क्षेत्रों की सूची

क्र. सं.	क्षेत्र	क्र. सं.	क्षेत्र
1	इंजिनियरिंग	10	मूलभूत धातु और धातु उत्पाद
2	ऑटो	11	खनिज
3	सीमेंट	12	कागज
4	रसायन	13	पेट्रोलियम
5	विनिर्माण	14	कृषि
6	कपड़ा	15	रिटेल - हाउसिंग
7	खाद्य प्रसंस्करण	16	रिटेल - अन्य
8	रत्न और आभूषण	17	सेवाएँ
9	बुनियादी संरचना	18	अन्य

क्षेत्रगत वार्षिक गिरावट अनुपात (अर्थात क्षेत्रीय PD) का समष्टि परिवर्ती के साथ स्टोकास्टिक संबंध का अनुमान प्रत्येक क्षेत्र के लिए बहुभिन्नरूपी प्रतिगमन का उपयोग कर किया गया था। इन अनुमानित प्रतिगमन का उपयोग कर प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रगत पीडी की गणना कल्पित आधाररेखा के साथ-साथ दो प्रतिकूल परिदृश्यों, यथा, माध्यम दबाव और भयंकर दबाव के अंतर्गत आगली चार तिमाहियों तक के लिए की गई थी। सेक्टरियल प्रतिगमन के नमूने आगे के खंडों में प्रस्तुत की गई है।

कल्पित समष्टि परिदृश्यों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता की गणना करने के क्रम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रेडिट विकास का अनुमान किया गया जो कि अंतिम दो वर्षों में देखे गए प्रवृत्ति पर आधारित था। बैंकवार पैट की गणना निम्नलिखित चरणों का उपयोग कर की गई:

- प्रत्येक बैंक-समूहों के लिए पैट की घटकों (अर्थात निवल ब्याज आय, अन्य परिचालनगत आय, परिचालनगत व्यय और प्रावधान) की गणना आधाररेखा और प्रतिकूल परिदृश्यों के अंतर्गत आगे के खंडों में वर्णित विधि द्वारा की गई।
- प्रत्येक बैंक के पैट के घटकों के अंश (आयकर को छोड़कर) की गणना उनके संबंधित बैंक-समूह में की गई।

- संबंधित बैंक-समूह के पैट के घटक की अनुमानित मूल्य और पैट के घटक विशेष में उस बैंक के अंश लागू कर प्रत्येक बैंक के पैट (आयकर को छोड़कर) के प्रत्येक घटक क अनुमान किया गया।
- अंत में, बैंकवार पैट का पूर्वानुमान पिछले चरण में अनुमानित उनके घटकों को उपयुक्त रूप से जोड़ते अथवा घटाते हुए की गई और आयकर का दर 35 प्रतिशत प्रयोग में लिया गया।

उपर्युक्त सूत्रों, कल्पना और इनपुट का प्रयोग करते हुए, बैंक स्तर पर पूंजी पर्याप्तता पर कल्पित समष्टि परिदृश्यों का प्रभाव का अनुमान लगाया गया और अंतिम वास्तविक तथ्यात्मक आंकड़े से आधाररेखा के अंतर्गत भविष्य में पूंजी पर्याप्तता में बदलाव तथा आधाररेखा से प्रतिकूल समष्टि दबाव तक बैंक की पूंजी पर्याप्तता में बदलाव की गणना की गई। अंत में, इन बदलावों को समुचित रूप से अंतिम तथ्यात्मक पूंजी पर्याप्तता (स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंतर्गत) पर लागू किया गया।

क्षेत्रगत पीडी का पूर्वानुमान

1. इंजिनियरिंग

$$\Delta PD_t = \alpha - \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-2} - \beta_3 EXGDP_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA(Industry)_{t-3} + \beta_5 Dummy_t$$

2. ऑटो

$$\Delta PD_t = \alpha - \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-1} - \beta_3 EXGDP_{t-1} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-2} + \beta_6 Dummy_t$$

3. सीमेंट

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 EXGDP_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

4. रसायन और रासायनिक उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \Delta GVA_{t-1} + \beta_4 Dummy_t$$

5. विनिर्माण

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 EXGDP_{t-1} - \beta_4 \Delta GVA_{t-1} + \beta_5 Dummy_t$$

6. कपड़ा

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 EXGDP_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-1} + \beta_5 \Delta CPI_{t-3} + \beta_6 Dummy_t$$

7. खाद्य प्रसंस्करण

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-3} - \beta_3 EXGDP_{t-1} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

8. रत्न और आभूषण

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 EXGDP_{t-3} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

9. बुनियादी संरचना

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-1} - \beta_3 \Delta GVA_{t-2} + \beta_4 Dummy_t$$

10. मूलभूत धातु और धातु उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 \Delta GVA_{t-1}$$

11. खनिज और उत्खनन

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} - \beta_2 EXGDP_{t-1} - \beta_3 \Delta GVA_{t-2} + \beta_4 \Delta CPI_{t-3}$$

12. कागज और कागज उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-4} - \beta_3 EXGDP_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-1} + \beta_5 Dummy_t$$

13. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-2} - \beta_3 EXGDP_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 Dummy_t$$

14. कृषि

$$PD_t = \alpha - \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-1} - \beta_3 EXGDP_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-1} + \beta_5 Dummy_t$$

15. सेवाएँ

$$\Delta PD_t = \alpha - \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-1} - \beta_3 EXGDP_{t-2} - \beta_4 \Delta GVA_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1}$$

16. रिटेल - आवास

$$\Delta PD_t = \alpha - \beta_1 \Delta PD_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-2} - \beta_3 \Delta GVA_{t-1}$$

17. रिटेल - अन्य

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-2} - \beta_3 EXGDP_{t-1} + \beta_4 Dummy_t$$

18. अन्य

$$PD_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 \Delta WALR_{t-2} - \beta_3 \Delta GVA_{t-1} + \beta_4 Dummy_t$$

बैंक-समूहवार कर पश्चात लाभ (पैट) का अनुमान

प्रमुख बैंकों-समूहों (यथा पीएसबी, पीवीबी, एफबी) के पैट के कई घटक होते हैं, जैसे कि ब्याज से आय, अन्य आय, परिचालनगत खर्च और प्रावधान। इन घटकों का विभिन्न समय श्रृंखलाओं पर आधारित अर्थमितीय नमूनों (जैसा कि नीचे दिया गया है) के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। अंत में निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए पैट का अनुमान लगाया जाता है।

$$\text{पैट} = \text{एनआईआई} + \text{ओओआई} - \text{ओई} - \text{प्रावधान} - \text{आयकर}$$

जहां, एनआईआई- निवल ब्याज आय, ओओआई- अन्य परिचालनगत आय और ओई- परिचालनगत खर्च है।

निवल ब्याज आय (एनआईआई): ब्याज से आय और ब्याज पर खर्च के बीच का अंतर एनआईआई होता है, उसे निम्नलिखित रीग्रेशन मॉडल का प्रयोग कर निकाला जाता है:

$$LNII_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LNII_{t-1} + \beta_2 \times LNGVA_SA_{t-1} + \beta_3 \times Adv_Gr_{t-1} + \beta_4 \times Spread_t$$

एलएनआईआई, एनआईआई का लॉग है। एलएनजीवीए_एसए सांकेतिक जीवीए का मौसमी रूप से समायोजित लॉग है। एडीवी जीआर अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष होने वाली संवृद्धि दर है। स्प्रेड, ब्याज कमाने वाली आस्तियों पर कमाए गए औसत ब्याज दर और ब्याज देने वाली देयताओं पर दिए गए औसत ब्याज के बीच का अंतर है।

अन्य परिचालनगत आय (ओओआई): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओओआई को निम्नलिखित रीग्रेशन मॉडल का प्रयोग करते हुए अनुमानित किया गया:

$$LOOI_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LOOI_{t-1} + \beta_2 \times LNGDP_SA_t$$

एलओओआई, ओओआई का लॉग है

परिचालनगत खर्च (ओई): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ओई को स्वतःपरावर्तित संचरित औसत (एआरएमए) मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किया गया।

प्रावधान (बढ़े खाते को शामिल करके): अपेक्षित प्रावधानों का अनुमान निम्नलिखित रीग्रेशन का उपयोग कर दिया गया:

$$P_Adv_t = \alpha_1 + \beta_1 \times P_Adv_{t-1} - \beta_2 \times RGVA_Gr_{t-2} + \beta_3 \times GNPA_{t-1} - \beta_4 \times Dummy$$

पीएडीवी, कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में किया गया प्रावधान है। आरजीवीए_जीआर वास्तविक जीवीए की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर है। जीएनपीए कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में सकल गैर-निष्पादन आस्तियां हैं और इसलिए कल्पित समष्टि दबाव के अंतर्गत आस्तियों की गुणवत्ता में हास का आय पर प्रभाव इस समीकरण से निकाला गया। डमी, समयावधि डमी है।

आयकर: लागू आयकर को कर पूर्व आय का 35 प्रतिशत माना गया है, जो कर पूर्व लाभ की तुलना में आयकर के पिछले रुझानों पर आधारित है।

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण-दबाव जांच

तिमाही निगरानी के रूप में, क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि को शामिल करते हुए दबाव परीक्षण किए जाते हैं और इन आघातों के प्रत्युत्तर में वाणिज्यिक बैंकों की समुत्थानशीलता का अध्ययन किया जाता है। यह विश्लेषण व्यक्तिगत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के स्तर पर और प्रणाली के स्तर पर भी किया गया।

क्रेडिट जोखिम

बैंकों की समुत्थानशीलता का पता लगाने के लिए सभी प्रकार के पोर्टफोलियो और कुछ चुनिंदा सेंक्टरों में जीएनपीए के स्तरों में बढ़ोतरी करके आघात दिया जाता है। क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम की जांच करने के लिए मुख्य व्यक्तिगत उधारकर्ता (कर्ताओं) और उधारकर्ता(कर्ताओं) के सबसे बड़े समूह को चूककर्ता के रूप में मान लिया गया। यह विश्लेषण समग्र स्तर पर और व्यक्तिगत बैंक दोनों ही स्तरों पर किया गया। जीएनपीए में मानी गई वृद्धि को मानक से कम, संदेहास्पद और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में बांट दिया गया जिस अनुपात में एनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध था। तथापि, क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम के लिए संभावित आघातों के तहत अतिरिक्त जीएनपीए पर विचार किया गया ताकि उसे केवल अवमानक श्रेणी में रखा जा सके। विभिन्न आस्ति श्रेणियों के लिए लागू मौजूदा औसत मानदंडों के आधार पर इन दबाव जांचों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों का उपयोग किया गया। अवमानक, संदेहास्पद और हानि अग्रिमों के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को संज्ञान में लिया गया। दबाव की परिस्थितियों के तहत गणना में लिए गए अतिरिक्त जीएनपीए पर इन मानदंडों को ही लागू किया गया। जीएनपीए में मानी गई वृद्धि के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त जीएनपीए पर हुई आय की हानि को एक तिमाही के लिए प्रावधानीकरण की अतिरिक्त आवश्यकताओं के अलावा कुल हानियों में भी शामिल किया गया। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमानित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को बैंकों की पूंजी में से घटा दिया गया और दबावग्रस्त पूंजी पर्याप्तता अनुपातों की गणना की गई।

ब्याज दर जोखिम

भारतीय रुपए के प्रतिफल वक्र में आने वाले अंतर के कारण माने गए आघात के तहत, पोर्टफोलियो की कीमत में होने वाली कमी या आय में होने वाली गिरावट के कारण होने वाली हानियों को संज्ञान में लिया गया। बैंकों की पूंजी में से इन अनुमानित हानियों को कम कर दिया गया ताकि दबावग्रस्त सीआरएआर को प्राप्त किया जा सके।

ट्रेडिंग पोर्टफोलियो (एचएफटी+एएफएस) में ब्याज दर जोखिम के लिए मुद्दत विश्लेषण पद्धति पर विचार किया गया ताकि, कीमत के प्रभाव (पोर्टफोलियो हानियों) की गणना की जा सके। दिए गए आघातों के आधार पर प्रत्येक कालावधि के लिए इन निवेशों पर पोर्टफोलियो हानियों की गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त हानियों/लाभों का प्रयोग इससे प्रभावित सीआरएआर पर निकालने के लिए किया गया। एचटीएम पोर्टफोलियो में ब्याज दर आघात प्रभाव देखने के लिए अलग से एक प्रक्रिया अपनाई गई, मुद्दत पद्धति का उपयोग करते हुए, ब्याज वहन करने वाली आस्तियों पर प्रत्येक कालावधि के

लिए हानियों के मूल्यांकन की गणना की गई। एचटीएम पोर्टफोलियो पर जांच के लिए मूल्यांकन प्रभाव की गणना यह मानते हुए की गई कि एचटीएम पोर्टफोलियो दैनिक बाजार मूल्य पर आधारित (मार्कडू-टु-मार्केट) है।

बैंकिंग बही पर ब्याज दर जोखिम के प्रभाव का मूल्यांकन 'आय पद्धति' के जरिए किया गया। एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियो को छोड़कर दर संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के एक्सपोजर अंतर के आधार पर आघातों के प्रभाव का आकलन आय हानियों के अनुमान द्वारा प्रत्येक कालावधि के लिए अलग से केवल एक वर्ष हेतु किया गया। यह वर्तमान वर्ष के लाभ और हानि पर इसके प्रभाव को दर्शाता है।

इक्विटी मूल्य रिस्क

इक्विटी मूल्य रिस्क के अंतर्गत इक्विटी मूल्य सूचकांक में निश्चित दशमलव अंकों की गिरावट के आघात का बैंक के पूंजी और लाभ पर प्रभाव का परीक्षण किया गया। पोर्टफोलियो के मूल्य में गिरावट या इक्विटी मूल्य में बदलाव के कारण आय की हानि को कल्पित आघात के कारण बैंक की कुल हानि के लिए लेखाबद्ध किया गया। इसप्रकार निकली हुई कुल हानि को बैंक के पूंजी में से कम किया गया।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि दबाव जांच का उद्देश्य यह है कि चलनिधि के अप्रत्याशितरूप से बाहर चले जाने पर, बाहर से चलनिधि की कोई मदद लिए बगैर, बैंक की उसे वहन करने की क्षमता का पता लगाया जा सके। जमाकर्ताओं के अचानक विश्वास खो देने के कारण विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जमाराशि निकासी की विविध प्रकार की संभावनाएं (जमाराशि की प्रकृति के अनुसार) सामने लाती हैं और साथ ही स्वीकृत/प्रतिबद्ध/गारंटीशुदा क्रेडिट (कार्यशील पूंजी की स्वीकृत अप्रयुक्त सीमा, प्रतिबद्ध क्रेडिट और क्रेडिट पत्रों तथा गारंटियों की अप्रयुक्त सीमा को ध्यान में रखते हुए) सीमाओं के अप्रयुक्त हिस्से के लिए मांग उत्पन्न करती है। दबाव परीक्षण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि क्रेडिट के लिए अतिरिक्त और अप्रत्याशित मांग को बैंकों की केवल चलनिधि युक्त आस्तियों की सहायता से पूरा करने की उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके।

चलनिधि दबाव परीक्षण की मान्यताएं इस प्रकार हैं:

- यह माना गया कि बैंक केवल चलनिधियुक्त आस्तियों की बिक्री के जरिए जमाराशियों की दबावग्रस्त निकासी या क्रेडिट की अतिरिक्त मांग को पूरा कर लेगा।
- किए गए निवेशों की बिक्री उनके बाजार मूल्य में दस प्रतिशत के हेयरकट पर कर ली जाएगी।
- दबाव परीक्षण "स्टैटिक मोड" के अंतर्गत किया गया।

चुनिंदा बैंकों के व्युत्पन्नी (डेरीवेटिव) पोर्टफोलियो का दबाव परीक्षण

दबाव परीक्षण को शीर्ष 20 बैंकों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श समूह के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो के संबंध में केंद्रित किया गया और इसके लिए व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो की अनुमानित कीमत ली गई। प्रतिदर्श में शामिल प्रत्येक बैंक से कहा गया कि वे अपने संबंधित व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो के संबंध में दबाव परिस्थितियों के प्रभाव का अनुमान लगाएं।

घरेलू बैंकों के मामले में, घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो को शामिल किया गया। विदेशी बैंकों के मामले में, इस प्रक्रिया में केवल घरेलू (भारतीय) स्थिति पर विचार किया गया। व्युत्पन्नी व्यापार के लिए जहां हेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, उन्हें दबाव परीक्षण से छूट प्रदान की गई, जबकि अन्य सभी प्रकार के व्यापार को इसमें शामिल किया गया।

दबाव परिस्थितियों में चार संवेदनशीलता जांचों को शामिल किया गया जिसमें स्पॉट यूएस डालर/ भारतीय रुपया की दर और घरेलू ब्याज दरें मानकों के रूप में ली गईं।

सारणी 3 : संवेदनशीलता विश्लेषण के संबंध में आघात

घरेलू ब्याज दरें		
आघात 1	एक दिवसीय	+2.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष तक	+1.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष से अधिक	+1.0 प्रतिशत अंक

घरेलू ब्याज दरें		
आघात 2	एक दिवसीय	-2.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष तक	-1.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष से अधिक	-1.0 प्रतिशत अंक

विनिमय दरें		
आघात 3	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	+20 प्रतिशत

विनिमय दरें		
आघात 4	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	-20 प्रतिशत

2.2 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण- दबाव परीक्षण

क्रेडिट जोखिम

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में उनके क्रेडिट जोखिम के बारे में दबाव परीक्षण किया गया। यह जांच एक घटकीय संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थी। ऐतिहासिक मानक विचलन (एसडी) का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार विभिन्न परिदृश्यों (सेनारियो) के अंतर्गत सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया था :

- परिदृश्य I: जीएनपीए पर 1 मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य II: जीएनपीए पर 2 मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य III: जीएनपीए पर 1 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य IV: जीएनपीए पर 2 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत).

चलनिधि जोखिम

1-28 दिन की कालावधि में नकदी के प्रवाह के आधार पर एक चलनिधि दबाव परीक्षण भी किया गया जिसमें बहिर्वाह (नकदी निकासी) के 20 प्रतिशत से अधिक असंतुलन [नकारात्मक अंतर (नकदी बहिर्वाह की तुलना में नकदीप्रवाह का कम होना)] की स्थिति में इसे दबावग्रस्त माना गया।

- परिदृश्य I : 1-28 दिन की कालावधि में नकदी निकासी 50 प्रतिशत तक होना (नकदी जमा आने में कोई परिवर्तन नहीं)
- परिदृश्य II: 1-28 दिन की कालावधि में नकदी निकासी 100 प्रतिशत तक होना (नकदी जमा आने में कोई परिवर्तन नहीं)

2.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण-दबाव परीक्षण

क्रेडिट जोखिम

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमा स्वीकार करने वाली और जमा स्वीकार नहीं करने वाली -दोनों प्रकार की और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियां शामिल थीं) पर क्रेडिट जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण किया गया। ये परीक्षण एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थे। ऐतिहासिक मानक विचलन के आधार पर तीन विभिन्न परिस्थितियों में सीआरएआर पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया:

- परिदृश्य I: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 0.5 मानक विचलन(एसडी) की बढ़ोत्तरी।
- परिदृश्य II: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 1 मानक विचलन(एसडी) की बढ़ोत्तरी।
- परिदृश्य III: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 3 मानक विचलन(एसडी) की बढ़ोत्तरी।

जीएनपीए में परिकल्पित वृद्धि को अवमानक, संदेहास्पद और हानिगत श्रेणियों में उसी अनुपात में बांटा गया जिस अनुपात में वे जीएनपीए के मौजूदा स्टॉक में उपलब्ध थी। प्रावधानीकरण की अतिरिक्त अपेक्षाओं को मौजूदा पूंजी (की स्थिति) से समायोजित कर दिया गया। दबाव परीक्षण एकल एनबीएफसी स्तर के साथ ही साथ समग्र स्तर पर भी किया गया।

2.4 अंतर-संबद्धता- नेटवर्क विश्लेषण

नेटवर्क विश्लेषण के केन्द्र में मूलतः मैट्रिक्स अल्जेब्रा है, जो वित्तीय क्षेत्र में संस्थाओं (इंटीटीज) के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजरों का उपयोग करता है। वित्तीय प्रणाली में एक संस्था की सभी अन्य संस्थाओं को दी गई उधारियों अथवा ली गई उधारियों को वर्ग (स्कवायर) मैट्रिक्स में रखा जाता है और तब उन्हें एक नेटवर्क ग्राफ में चिह्नित किया जाता है। प्रणाली में अंतर-संबद्धता के स्तर को मापने के लिए नेटवर्क मॉडल में विभिन्न सांख्यिकीय तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित हैं :

संबद्धता : यह एक सांख्यिकी होती है जो एक पूर्ण ग्राफ में सभी संभव श्रृंखलाओं से संबंधित नोड्स के बीच श्रृंखलाओं की सीमा को मापती है। एक निर्देशित ग्राफ में $K = \sum_{k=1}^N k_i$ के बराबर बाहरी अंशों की कुल संख्या दर्शाती है और N नोड्स की कुल संख्या के रूप में है, ग्राफ की संबद्धता $\frac{K}{N(N-1)}$ के रूप में दी गई है।

क्लस्टर गुणांक : नेटवर्क में क्लस्टरिंग यह माप करती है कि प्रत्येक नोड आपस में किस प्रकार अंतर-संबद्ध है। विशेष रूप से, इस बात की प्रबल संभावना होती है कि किसी नोड के दो पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षी) आपस में भी पड़ोसी होंगे। किसी नेटवर्क के लिए उच्च क्लस्टरिंग गुणांक का अर्थ यह होता है कि प्रणाली में उच्च स्थानिक अंतर-संबद्धता मौजूद है। k_i , निकटवर्ती/पड़ोसियों वाले प्रत्येक बैंक हेतु उनके बीच सभी प्रकार के संभावित जुड़ावों की कुल संख्या $k_i(k_i-1)$ द्वारा दर्शायी जाती है। मान लेते हैं कि E_i एजेंट i बैंक के k_i निकटवर्तियों के बीच वास्तविक संबद्धता को प्रदर्शित करता है अर्थात जो i के k_i निकटवर्ती हैं वो आपस में भी निकटवर्ती हैं। i बैंक के लिए क्लस्टरिंग गुणांक C_i को इस सर्वसमिका (सूत्र) द्वारा व्यक्त गया है:-

$$C_i = \frac{E_i}{k_i(k_i - 1)}$$

समग्र रूप में नेटवर्क का क्लस्टरिंग गुणांक (सी) सभी C_i का औसत निम्नलिखित है:

$$C = \frac{\sum_{i=1}^N C_i}{N}$$

निकटतम मार्गस्थ दूरी : यह नेटवर्क के किसी एक नोड और अन्य नोडों में प्रत्येक के बीच मौजूद सीधी श्रृंखलाओं (संबंधों) की औसत संख्या बताता है। जिन नोडों के बीच निकटतम मार्ग होता है उन्हें प्रणाली में हब के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

मध्यस्थ केंद्रीयता (इन-बिटवीननेस सेंट्रलिटी) : यह सांख्यिकी बताती है कि निकटतम मार्गस्थ दूरी किस प्रकार एक विशिष्ट नोड के जरिए गुजरती है।

केंद्रीयता की आईजेनवेक्टर माप : किसी नेटवर्क में किसी नोड (बैंक) का क्या महत्व है इसे आईजेनवेक्टर केंद्रीयता के जरिए मापा जाता है। यह बताता है कि किसी नोड का पड़ोसी कितना संबद्ध है और यह उनकी बाहरी डिग्री या एक नोड के प्रत्यक्ष रूप से कितने 'पड़ोसी' हैं, उससे कहीं कुछ अधिक बताने का प्रयास करता है। यह अल्गोरिथम नेटवर्क के सभी नोड्स को एक संबद्ध केंद्रीयता अंक प्रदान कर देती है और किसी नोड का केंद्रीयता अंक, आपस में संबद्ध सभी नोड्स को दिए गए केंद्रीय अंक के जोड़ के समानुपातिक होता है। किसी NxN मैट्रिक्स के लिए इसमें N विभिन्न प्रकार के आईजेन मान होंगे, जिनके लिए आईजेनवेक्टर समाधान मौजूद होता है। प्रत्येक बैंक का अपना अलग आईजेन मान होता है जो प्रणाली में उसका महत्व दर्शाता है। नेटवर्क विश्लेषण में इस उपाय का उपयोग किया जाता है ताकि किसी बैंक के प्रणालीगत महत्व को स्थापित किया जा सके और यह अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है।

परतदार नेटवर्क संरचना : विशिष्ट रूप से वित्तीय नेटवर्क में परतदार संरचना की प्रवृत्ति देखी जाती है। परतदार संरचना एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न संस्थाओं की अन्य नेटवर्क के साथ विविध अंशों पर या स्तरों पर संबद्धता होती है। मौजूदा विश्लेषण में सर्वाधिक संबद्ध बैंक (केंद्रीयता के आईजेनवेक्टर माप के आधार पर) सबसे भीतरी केंद्र में होते हैं। इसके बाद बैंकों को मध्य-केंद्र, बाहरी केंद्र और परिधि में (चित्र में केंद्र के चारों ओर संबंधित संकेंद्रिक चक्रों में) उनकी संगत संबद्धता के आधार पर रखा जाता है। बैंकों की संबद्धता की रेंज को प्रत्येक बैंक के अनुपात के अंश रूप में परिभाषित किया जाता है और बाह्य अंश को सर्वाधिक संबद्ध बैंक के अंश से विभाजित किया जाता है। जो बैंक इस अनुपात के शीर्ष 10 प्रतिशत में आते हैं वे भीतरी केंद्र का निर्माण करते हैं। 90 और 70 प्रतिशत के बीच आने वाले बैंक मध्य-केंद्र में आते हैं और 40 तथा 70 के बीच प्रतिशतक वाले बैंकों की एक तीसरी सतह/परत होती है। 40 प्रतिशत से कम संबद्धता प्राप्त करने वाले बैंकों को परिधि के रूप में श्रेणीकृत/वर्गीकृत किया जाता है।

नेटवर्क चार्ट में रंग संकेत: नेटवर्क चार्ट में नीली और लाल गेंदें क्रमशः निवल उधारदाता और निवल उधारकर्ता को निरूपित करती हैं। परतदार नेटवर्क चित्र में श्रृंखलाओं के रंग संकेत नेटवर्क में मौजूद विभिन्न कतारों/परतों से ली गई उधारियों को निरूपित करती हैं (उदाहरण के लिए हरे रंग की श्रृंखलाएं मूल कोर में स्थिति बैंकों से ली गई उधारियों को निरूपित करती हैं)।

ऋण-शोधन क्षमता संक्रामकता का विश्लेषण

संक्रामकता विश्लेषण एक प्रकार का दबाव परीक्षण होता है जिसमें एक या अधिक बैंकों के असफल हो जाने के कारण उत्पन्न दूरगामी प्रभावों के चलते बैंकिंग प्रणाली को होने वाले सकल घाटे का पता लगाया जाता है। इसके लिए हम राउंड बाई राउंड या अनुक्रमिक (सीक्वेंशियल) अल्गोरिथम का उपयोग करते हैं ताकि अनुरूपता संक्रामकता, जिसे अब फरफाइन (2003) के नाम से बेहतर जाना जाता है, का पता लगाया जा सके। यदि i बैंक से प्रारंभ करें जो 0 समय पर असफल होता है तो प्रत्येक चक्र या पुनरावृत्ति में जो बैंक परेशानी में आते हैं उन्हें D_q , $q = 1, 2, \dots$ के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इस विश्लेषण के लिए, किसी बैंक को दबावग्रस्त तब माना जाता है जब इसका कोर सीआरएआर 7 प्रतिशत से नीचे चला जाए। प्राप्तकर्ता बैंक के लिए निवल प्राप्तियों को घाटे के रूप में माना जाता है।

चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण

जहां ऋण शोधनक्षमता संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारकर्ता के विफल हो जाने की स्थिति में वित्तीय प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का आकलन करता है वहीं चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारदाता के विफल हो जाने की स्थिति में इस प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का अनुमान व्यक्त करता है। यह विश्लेषण बैंकों के बीच होने वाले सकल एक्सपोजर के संबंध में किया जाता है। एक्सपोजर में निधि आधारित और व्युत्पन्नी दोनों प्रकार के एक्सपोजर शामिल होते हैं। इस विश्लेषण का मूलभूत आकलन यह होता है कि किसी बड़े उधारदाता के विफल होने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले चलनिधि दबाव से निपटने के लिए (किसी) बैंक की चलनिधि आस्तियों या बफर में पहले तो गिरावट आएगी। चलनिधि आस्तियों के तहत विचार में ली जाने वाली मदें इस प्रकार हैं : (क) सीआरएआर का अतिरिक्त अधिशेष; (ख) एसएलआर का अतिरिक्त अधिशेष और (ग) निवल मांग और मीयादी देयताओं का 11 प्रतिशत। यदि बैंक


केवल चलनिधि बफर की मदद से ही दबाव से निपटने में सक्षम होता है तो ऐसी स्थिति में इसका आगे कोई और संक्रमण नहीं होता है।

तथापि, यदि केवल चलनिधि बफर पर्याप्त नहीं होते हैं तो बैंक को उन सभी ऋणों को वापस लेना होगा जो 'वापस लिए जाने योग्य' हैं, जिसके परिणामस्वरूप संक्रामकता होती है। यदि विश्लेषण करने के लिए देखा जाए तो केवल अल्पावधि की आस्तियां जैसे कि कॉल मार्केट में उधार दी गई राशि और अन्य बहुत ही अल्पावधि के लिए दिए गए ऋणों को ही वापसी योग्य कहा जा सकता है। इसके पश्चात किसी बैंक का अस्तित्व या तो बना रह सकता है अथवा उसका परिसमापन किया जाना होगा। इस मामले में इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं कि जहां ऋणों की वापसी होने से बैंक का अस्तित्व बच गया हो परंतु इसके परिणामस्वरूप इससे आगे संक्रामकता हो सकती है जिससे अन्य बैंकों की परेशानी बढ़ सकती है। दूसरा आकलन यह किया गया है कि जब किसी बैंक का परिसमापन किया जाता है तो उस बैंक द्वारा उधार दिए गए ऋणों को सकल गणना के आधार पर वापस मांगा जाता है, जबकि परिसमापन किए बगैर जब बैंक द्वारा दिए गए अल्पावधि ऋणों को वापस मांगा जाता है तो ऋण को निवल आधार पर वापस मांगा जाता है (इस अनुमान के अनुसार, प्रतिपक्षी अपने उसी प्रतिपक्षी के प्रति पहले अपनी अल्पावधि देयताओं को कम करना चाहेगा)।

संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामकता का विश्लेषण

औसतन किसी बैंक की कुछ बैंकों के प्रति सकारात्मक निवल ऋण प्रदान करने की स्थितियां और कुछ अन्य बैंकों के प्रति ऋणात्मक निवल उधार की स्थितियां -दोनों ही होती हैं। इस प्रकार ऐसे किसी बैंक के विफल हो जाने पर ऋणशोधन तथा चलनिधि संक्रामकता दोनों साथ-साथ उत्पन्न हो जाएंगी। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित फ्लोचार्ट द्वारा बताया गया है:

किसी बैंक के दबाव में आने के कारण संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामकता संबंधी फ्लोचार्ट



यह माना गया कि प्रारंभकर्ता बैंक कुछ अंतर्जात कारण से विफल हुआ अर्थात् यह निश्चित रूप से दिवालिया हो जाता है और इस प्रकार सभी उधारकर्ता बैंकों को प्रभावित करता है। उसी समय, यह अपनी आस्तियों को भी बेचना प्रारंभ करता है ताकि जहां तक संभव हो यह अपने दायित्वों को पूरा कर सके। परिसमापन प्रक्रिया एक चलनिधि संकट उत्पन्न करती है क्योंकि प्रारंभकर्ता बैंक अपने दिए गए ऋणों को वापस मंगाना प्रारंभ कर देता है।

उधारदाता/उधारकर्ता बैंक जो कि भली प्रकार पूंजीकृत होते हैं, वे आघात सहन कर जाते हैं और वे दूसरों को संक्रमित नहीं करते हैं। दूसरी तरफ, वे उधारदाता बैंक जिनकी पूंजी एक निश्चित सीमा से कम हो जाती है वो एक नई संक्रामकता प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार के उधारकर्ता जिनकी चलनिधि बफर पर्याप्त होती है वे भी आगे कोई संक्रामकता फैलाए बिना दबाव सहन कर लेते हैं। परंतु कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो चलनिधि दबाव का सामना करने में तभी सक्षम हो पाते हैं जब वो अपनी अल्पावधि आस्तियों को वापस मँगवाते हैं। अल्पावधि आस्तियों को वापस मांगने की प्रक्रिया से वे पुनः एक नई संक्रामकता प्रारंभ कर देते हैं।

ऋणशोधन और चलनिधि **दोनों** ही ओर से संक्रामकता तभी रुक पाएगी/स्थिर हो पाएगी जब, प्रणाली हानि/आघातों को पूर्णतः अवशोषित कर सके और भविष्य में विफलताएं न हों।

